खण्ड २ — अंक २२
१९ मार्च, १९५६, (सोमवार)

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

( खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

# विषय-सूची

(खण्ड २—१६ मार्च से १६ अप्रैल, १९५६)


अंक २१—शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६ पृष्ठ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४९, ७५४ से ७५६, ७५८, ७६०, ७६२ से ७६४, ७३९, ७४६, ७५१ और ७५२ ६९२–७१२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४६, ७४७, ७४८, ७५०, ७५३, ७५७, ७५९ और ७६१ ... ... ... ७१२–१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१९ से ४४० ... ७१६–२१

**दैनिक संक्षेपिका** **७२२–२३**

---

अंक २२—सोमवार, १९ मार्च, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ७६५, ७९१, ७९७, ७६६, ७६७, ७६९ से ७७३, ७७६ से ७७९, ७८१, ७८४, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९५, ७९८ और ७९९ ... ७२४–४७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७५, ७८०, ७८२, ७८३, ७८५, ७८६, ७८८ और ७९६ ... ... ७४७–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४७७ ७५०–६३

**दैनिक संक्षपिका** **७६४–६५**

---

अंक २३—मंगलवार, २० मार्च, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८०० से ८०८, ८११ से ८१४, ८१६, ८२० से ८२६, ८२८, ६१६, ८१० और ८१७ ७६६–८६

**एक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि** **७८६**

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ ७८६–८८

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८१८, ८१९ और ८२७ ७८८–८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७८ से ४८६ ७८९–९२

**दैनिक संक्षेपिका** **७९३–९४**


---

पृष्ठ

अंक २४—बुधवार, २१ मार्च, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८२९ से ८३१, ८३३ से ८३९, ८४१, ८४३ और ८४५ से ८५६ ७९५–८१६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८३२, ८४० से ८४२ और ८४४ ... ८१६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८७ से ४९९ ८१७–२०

**दैनिक संक्षेपिका** ८२१–२२

———

अंक २५—गुरुवार, २२ मार्च, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८५७, ८५९ से ८६३, ८६५ से ८६७, ८६९, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८७८, ८८०, ८८२, ८८५, ८५८, ८६४ और ८८१ ८२३–४५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७०, ८७५, ८७९, ८८३, ८८४ और ८८६ ८४५–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०० से ५१७ ८४७–५३

**दैनिक संक्षेपिका** ८५४–५५

———

अंक २६—शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८८७ से ८९२, ८९६ से ८९८, ९००, ९०२, ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९११, ८९४, ८९९, ९०१, ९१० और ८९५ ८५६–७३

प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विभिन्न मंत्रालय के लिये दिन नियत करना ८७४

**प्रश्न के उत्तर की शुद्धि** ८७४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८९३, ९०३ और ९०५ ८७४–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१८ से ५२२ ८७५–७६

**दैनिक संक्षेपिका** ८७७–७८

———

अंक २७—बुधवार, २८ मार्च, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९१२, ९१५, ९१९, ९२१, ९२३ से ९२५, ९२८, ९२९, ९३१, ९४० से ९४३, ९४६ से ९४९, ९१६, ९१७, ९२६, ९२७, ९३३, ९३४, ९३८ और ९४४ ८७९–९०१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ९०१–०३

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९१३, ९१४, ९१८, ९२०, ९२२, ९३०, ९३२, ९३५ से ९३७, ९३९ और ९४५ ९०४–०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५४९ ९०७–१८

**दैनिक संक्षेपिका** ९१९–२०

---

अंक २८—गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९५१, ९५३, ९५४, ९५६ से ९५९, ९६३, ९६५, ९६८, ९७४, ९७५, ९७८, ९८०, ९८२, ९८४ से ९८६, ९८९ से ९९१, ९९३, ९९६ और ९६० ९२१–४०

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९५०, ९५२, ९५५, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७३, ९७६, ९७७, ९७९, ९८१, ९८३, ९८७, ९८८, ९९२, ९९४, ९९५ और ९९८ से १००० ... ९४१–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५० से ५५६ और ५५८ से ६०२ ९४८–६७

**दैनिक संक्षेपिका** ९६८–७०

---

अंक २९—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १००६, १००७, १०११ से १०१३, १०१५, १०१७ से १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३० से १०३२, १०३४ से १०३७, १०३९ और १०४० ९७१–९४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १००२, १००४, १००५, १००८ से १०१०, १०१४, १०१६, १०२३, १०२५, १०२९, १०३३, १०३८ और १०४१ ९९४–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६२९ ... ९९८–१००८

**दैनिक संक्षेपिका** १००९–११

---

अंक ३०—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४६, १०४९, १०५३, १०५७, १०५९, १०६१, १०६३ १०६५, १०६९, १०७८, १०८०, १०७०, १०७१, १०७५, १०७९ और १०८१ से १०८४ ... १०१२–३४

पृष्ठ

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०५० से १०५२, १०५४ से १०५६, १०५८, १०६०, १०६२, १०६४, १०६७, १०७२ से १०७४ और १०७६ ... १०३५–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३७ १०३९–४१

**दैनिक संक्षेपिका** **१०४२–४३**

---

अंक ३१—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०८५, १०८७ से १०९१, १०९३ से १०९५, ११००, ११०१, ११०३ ११०५ से ११०७, १११०, ११३६, १११९ से १११६, १११९ और ११२० ... ... १०४४–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ... १०६५–६९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९२, १०९६ से १०९९, ११०२, ११०४, ११०८, ११०९, १११७, १११८, ११२१ से ११३५, ११३७ से ११४२ और ११४४ से ११४९ ... ... १०६९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८ से ६५२ और ६५४ से ६९४ १०८०–११०३

**दैनिक संक्षेपिका** **११०४–०७**

---

अंक ३२—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५४ से ११५६, ११५९, ११६४, ११६५, ११६७ से ११६९, ११७१, ११७३ से ११७५, ११८० से ११८२, ११८६, ११८८, ११५२, ११६० और ११७९ ११०८–२८

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१, ११५३, ११५७, ११५८, ११६१ से ११६३, ११६६, ११७०, ११७२, ११७६ से ११७८, ११८३ से ११८५, ११८७ और ११८९ से ११९१ ११२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ से ७२५ और ७२७ से ७३५ ११३४–४७

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... **११४८–५०**

---

अंक ३३—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

**बैठकों का समय** **११५१**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२, ११९४ से ११९६, १२०१, १२०२, १२०५ से १२०७, १२०९ से १२१४, १२१७ से १२२० ११५२–७१

पृष्ठ

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, ११९७ से १२००, १२०३, १२०४, १२०८, १२१५, १२१६, १२२१, १२२२ ... ... ११७१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ से ७४३ ११७५–७७

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... **११७८–७९**

---

अंक ३४—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

**सत्र काल में संसदीय समितियों की बैठकों का समय** **११८०**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३, १२२५, १२२६, १२२९, १२३१, १२३२, १२३४, १२३७, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२५०, १२५२, १२५३, १२५५ और १२५७ से १२६३ ११८०–१२०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ १२०२–०३

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२२८, १२३०, १२३३, १२३५, १२३६, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२५१, १२५४, १२५६, १२६४ और १२६५ ... ... १२०३–०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७९७ १२०८–२७

**दैनिक संक्षेपिका** ... **१२२८–३०**

---

अंक ३५—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७४, १२७७, १२७८, १२८४, १२८६, १२८८, १२९० से १२९२, १२९४ से १२९६, १२९९, १२७५, १२८२, १२८७ और १२९७ १२३१–५२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२६६, १२७६, १२७९ से १२८१, १२८३, १२८५, १२८९, १२९३ और १२९८ ... ... १२५३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८४० १२५६–७०

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... **१२७१–७३**

---

अंक ३६—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ से १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१४ से १३१७, १३१९ से १३२१, १३२३ से १३२५, १३२७ से १३२९, १३३१, १३३३ से १३३५ और १३०० ... १२७४–९६

पृष्ठ

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०२, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१८, १३२२, १३२६, १३३०, १३३२, १३३६ और १३३७ ... ... १२९६–९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४१, ८४२ और ८४४ से ८६४ १३००–०७

**दैनिक संक्षेपिका** ... १३०८–०९

---

अंक ३७—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

**सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण** ... **१३१०**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १३३९ से १३४२, १३५०, १३५१, १३५३ से १३५५, १३५७, १३५९, १३६०, १३६३, १३६५, १३६६, १३६८, १३७० से १३७२, १३७७, १३७९, १३८१ और १३८२ ... १३१०–३१

**प्रश्नों के लिखित उत्तर---**

तारांकित प्रश्न संख्या १३३८, १३४३ से १३४९, १३५२, १३५६, १३५८, १३६१, १३६२, १३६४, १३६७, १३६९, १३७३ से १३७६, १३७८, १३८० और १३८३ से १३८५ १३३१–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६५ से ९३०क १३३९–६१

**दैनिक संक्षेपिका** ... **१३६२–६५**

---

अंक ३८—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ से १३८८, १३९०, १३९२, १३९८, १४०१, १४०४, १४०६, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६ से १४१८, १३९७, १४००, १४०९, १४१३ और १४१४ १३६६–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३८४–८८

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १३८९, १३९१, १३९३, १३९४, १३९६, १३९९, १४०२, १४०३, १४०५ और १४०७ १३८८–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३१ और ९३३ से ९५२ १३९१–९८

**दैनिक संक्षेपिका** **१३९९–१४००**

---

अंक ३९—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १४१९, १४२०, १४२२, १४२३, १४२५ से १४२७, १४३० से १४३९ और १४४१ से १४४६ १४०१–२१

पृष्ठ

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १४२१, १४२४, १४२८, १४२९, १४४० और १४४७ से १४५२ १४२१–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९७४ १४२४–३४

**दैनिक संक्षेपिका** १३३५–३६

---

अंक ४०--सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ से १४५९, १४६४, १४६६ से १४६८, १४७०, १५०१, १४७३ से १४७५, १४७८, १४७९, १४८१, १४८२, १४८४ से १४८६ और १४८८ से १४९० १४३७–५९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १४६० से १४६३, १४६५, १४७१, १४७२, १४७६, १४७७, १४८०, १४८३, १४८७, १९९१ से १५००, १५०२ और १५०३ १४५९–६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७५ से १०६९ १४६६–१५०३

**दैनिक संक्षेपिका** १५०४–०७

---

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ – प्रश्नोत्तर)

# लोक-सभा

सोमवार, १९ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**श्री एम० एल० द्विवेदी :** प्रश्न संख्या ७६५ ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** श्रीमान् इस विषय पर तीन प्रश्न हैं, संख्या ७६५, ७९१ और ७९७ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, उन सब का एक साथ उत्तर दे दिया जाये ।

**शिवा राव समिति**

*७६५. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम चाहने वाले व्यक्तियों के लिये और विशेष रूप से उन लोगों के लिये जिन्होंने अपने नाम काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज कराये हैं, कार्य-दक्षता परीक्षण की व्यवस्था को जारी रखने के बारे में शिवा राव समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस समय कार्य-दक्षता परीक्षणों की क्या स्थिति है; और

(ग) यदि सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तो किस के द्वारा यह कार्य करवाया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) तथा (ग). अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाने के बारे में छान-बीन कर रहे हैं । यह कार्य, काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा ही चलाया जायेगा ।

(ख) सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से, कुछ काम दिलाऊ दफ्तरों में, टाइपिंग और शार्टहैंड की योग्यता जानने के लिये इम्तहान लिये जाते हैं । स्थानीय टेकनीकल प्रशिक्षण केंद्रों में भी कुछ टेकनीकल कामों की योग्यता जानने के लिये इम्तहान लिये जाते हैं ।

**शिवा राव समिति**

*७९१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिवा राव समिति की इस सिफारिश पर कि राज्य सरकारों के अन्तर्गत सेवाओं के लिये भर्ती हमेशा काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा की जानी चाहिये, सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : काम दिलाऊ दफ्तरों का प्रशासन राज्य सरकारों को सौंपा जाने के बाद, इस बारे में विचार किया जायेगा ।

**शिवा राव समिति**

*†७९७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है कि डी० जी० आर० और ई० नमूने की प्रशिक्षण सुविधायें किन-किन राज्यों में उपलब्ध हैं और कहां तक उपलब्ध हैं;

(ख) क्या शिवा राव समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये इस प्रशिक्षण के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसा किया जायेगा और कितनी मात्रा में विस्तार किया जायेगा ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां, इस बारे में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणक जांच समिति और नियोजन तथा प्रशिक्षण सेवा संगटन समिति (शिवा राव समिति) ने जांच की है ।

(ख) तथा (ग). जी हां, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कारीगरों को काम सिखाने की सुविधाओं का सभी राज्यों में विस्तार किया जायेगा । सुविधाओं के विस्तार की मात्रा निश्चित करने के लिये राज्य सरकारों से सलाह ली जा रही है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : चींटी भी अपना भोजन पहले से तैयार कर लेती है तब बरसात आती है तो राज्य सरकारों को एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज सुपुर्द करने से पेश्तर आपने इस बात पर विचार भी नहीं किया कि उनकी क्या व्यवस्था होगी ।

**श्री आबिद अली** : इसके बारे में तो काफी विचार किया जा चुका है और राज्य के श्रम मंत्रियों से भी जो पिछले साल हैदराबाद में मिले थे, सलाह ली जा चुकी है लेकिन जब यह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज उनको सुपुर्द कर दिये जायेंगे उस वक्त इस पर अन्तिम तरीके से फैसला किया जा सकेगा ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : अभी उसके पूर्व विचार क्या है ? मैं जानना चाहता हूँ कि अभी इस सम्बन्ध में क्या विचार बना है और इस वक्त क्या निर्णय हुआ है ?

**श्री आबिद अली** : यह तय पाया गया है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसको मान लिया जाये ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या किन्हीं राज्यों ने इसके सम्बन्ध में तरमीम भी पेश की है ?

**श्री आबिद अली** : करीब-करीब सभी राज्य सरकारें इसको मान रही हैं ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं एक बात जानना चाहता हूँ और वह यह कि जो एफ़िशियेंसी (कार्य-कुशलता) टेस्ट्स (परीक्षायें) होते हैं तो जब हम विभिन्न राज्य सरकारों को इन एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को दे देंगे तो इन सब में देश भर के लिये युनिफार्मिटी, एक सी चीज हो सके, एकरूपता हो सके और सब में योग्यता बराबर-बराबर मिल सके, इसकी जांच के लिये क्या प्रयत्न किया जायेगा ?

**श्री आबिद अली** : जी हां, उसका मुख्य दफ्तर तो केंद्रीय सरकार के मातहत रहेगा और उसी के जरिए से तमाम देश के लिये नीति निश्चित होगी और उस पर अमल किया जायेगा और सभी जगह एक तरीके से काम होगा ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या इन कार्य-कुशलता परीक्षणों के लिये कोई शुल्क लगाने के लिये कोई उपबन्ध है और क्या मजदूरों के मालिकों ने इन परीक्षणों के परिणामों को स्वीकार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : इसके लिये कोई शुल्क नहीं होगा । जहां तक गैर-सरकारी मालिकों का सम्बन्ध है उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है । उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में कोई तुक ही नहीं थी । परन्तु जब हम अभ्यर्थियों की परीक्षा लेते हैं और उनकी उपयुक्तता देखकर उनका संवरण करते हैं तो उनको नौकरी दिलाने के अच्छे अवसर रहते हैं ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या राज्य सरकारें राज्यीय काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा काम दिलाऊ दफ्तरों के कार्य से पहले ही सम्बद्ध हैं ?

†**श्री आबिद अली** : काम दिलाऊ दफ्तर राज्य सरकारों को सौंप दिये जायेंगे; और राज्यों के प्रधान कार्यालयों में स्थित दफ्तरों के अतिरिक्त अधिकांश जिलों के प्रधान कार्यालयों में भी ये दफ्तर रहेंगे ।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि स्टेट एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम दर्ज कराता है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैस्ट के लिये भी काम आ सकता है ?

**श्री आबिद अली** : जहां-जहां हमको जरूरत रहती है वहां-वहां की ज़रूरत के अनुसार टैस्ट लिया जाता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या समस्त राज्य ३१ मार्च तक इन दफ्तरों को संभाल लेने के लिये सहमत हो गये हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने गत अवसर पर कहा था ?

†**श्री आबिद अली** : अधिकांश राज्य सरकारें ३१ मार्च को संभाल लेने को सहमत हो गई हैं । जो राज्य सहमत नहीं हुये हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं ताकि समस्त काम दिलाऊ दफ्तर ३१ मार्च को उन्हें सौंप दिये जायें ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या उन लोगों के जो मुफस्सल से इन परीक्षाओं में बैठने आते हैं, यात्रा व्यय के लिये भी इस दपतर ने कोई उपबन्ध किया है ?

†**श्री आबिद अली** : जी, नहीं ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी तक केंद्रीय एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के मातहत कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं और जब यह एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज़ राज्यों को दे दिये जायेंगे तो वे प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार चलायगी या उनको राज्य सरकारें चलायेंगी या उनकी क्या व्यवस्था होगी ?

**श्री आबिद अली** : यह प्रशिक्षण केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत ही रहेंगे और उन्हीं के मार्फत यह टैस्ट लिया जायगा । यह केंद्र कई जगह पर हैं देहली में भी हैं और जहां-जहां विशेष तौर पर इनकी जरूरत रहती है, वहां पर उसका इन्तजाम कर दिया गया है ।

**पंडित सी० एन० मालवीय** : श्रम उपमंत्री महोदय ने फरमाया कि एक आई० एल० ओ० एक्सपर्ट (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विशेषज्ञ) भारत आया हुआ है जो इस टैस्ट के सिलसिले में जांच कर रहा है तो क्या शिवा राव समिति ने इस सिलसिले में जो सिफारिशें की हैं वे काफी नहीं समझी गई हैं जो उनकी और अधिक जांच करने के लिये यह आई० एल० ओ० एक्सपर्ट यहां पर आये हैं ?

**श्री आबिद अली** : जी हां, उनका प्रत्यक्ष अनुभव है और उसका लाभ हम उठाना चाहते हैं, इसलिये आई० एल० ओ० से इस बारे में लिखा पढ़ी की गई थी और वह एक्सपर्ट पिछले साल से यहां

---

†मूल अंग्रेजी में

पर आये हुये हैं। वे एक साल यहां पर रहेंगे और इस अर्से में वे हमारे जो दूसरे कार्यकर्त्ता हैं उनको सिखा रहे हैं और उससे उम्मीद की जाती है कि काफी फायदा होगा।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की है कि इन एक्सचेंजेज़ को ले सकें तो क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन-कौन वे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है ?

**श्री आबिद अली :** इनमें मुख्य कर के तो सिर्फ मद्रास है लेकिन उन्होंने भी इंकार नहीं किया है, बातचीत हो रही है और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था वह हमारी बात को मान जायेंगे।

## वनस्पति घी

†*७६६. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद के न्यायिक दण्डाधिकारी के उस निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत वनस्पति घी उत्पाद नियंत्रक के आदेश को शक्तिपरस्तात् घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) जी, हां।

(ख) उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर दी गई है।

†**श्री झूलन सिंह :** क्या सरकार ने इस बात का विश्लेषण किया है कि घी में वनस्पति घी के अपमिश्रण की समस्या पर इस आदेश का क्या कानूनी प्रभाव पड़ेगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** यदि मेरे मित्र का तात्पर्य यह है कि हमने उस उपबन्ध की वैधता की जांच कर ली है तो मैं कहूँगा कि हमने जो अपील की है, तो उसका मतलब यह है कि हम समझते हैं कि हमारी बात सही है।

†**श्री डाभी :** वह अपील कब की गई ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** यह ब्योरा बम्बई सरकार द्वारा दिया नहीं गया है। उनसे उसके भेजने के लिये कहा गया है।

## विमान संचालकों के लिये प्रशिक्षण

†*७६७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के विमान संचालकों के लिये असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाने वाला है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** इस प्रकार के एक प्रस्ताव की असैनिक उड्डयन विभाग में जांच की जा रही है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** हमें वर्ष में प्रथम श्रेणी के प्रमाण पत्र वाले कितने विमान संचालकों की आवश्यकता होती है ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक प्रथम श्रेणी के प्रमाणपत्रों का सम्बन्ध है हमारे पास २३ प्रथम श्रेणी के विमान संचालक पहले ही हैं। उनकी आवश्यकता एयर एण्डिया इन्टरनेशनल की विमान-सेवाओं में होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या हमारे यानों की दिल्ली से काबुल तक की उड़ान में भी प्रथम श्रेणी के प्रमाण पत्र वाले विमान संचालक रहते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** प्रथम श्रेणी के विमान संचालक प्रमाणपत्र के लिये यह नियम है : यदि विमान को बिना कहीं उतरे केवल महासागर पर अथवा अभिज्ञात मार्गों के अतिरिक्त अन्यत्र दिन में ६०० मील अथवा रात के समय ६०० मील से अधिक उड़ना होता है तो प्रथम श्रेणी के विमान संचालक की आवश्यकता होती है। अन्यथा द्वितीय श्रेणी के विमान संचालकों ही से काम चलाया जाता है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या यह सच है कि यदि विमान १०,००० फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ता है तो प्रथम श्रेणी के प्रमाणपत्र वाले विमान संचालक की आवश्यकता होती है ?

†**श्री राज बहादुर :** मुझे पक्की तरह नहीं मालूम कि उसमें ऊंचाई का भी ध्यान रखा जाता है। जहां तक मैं जानता हूँ उसमें एक ठहरने के स्थान और दूसरे ठहरने के स्थान के बीच के फासले का ध्यान रखा जाता है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** आपात काल में कभी-कभी इन जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर नहीं होते जैसा कि "काश्मीर प्रिंसेस" के मामले में हुआ था। इन बड़े हवाई जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर और विमान-संचालक दोनों क्यों नहीं रखे जाते ?

†**श्री राज बहादुर :** इस मामले में हम अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चलते हैं। और हम चालकों और चालकवृन्द की सलाह और इच्छाओं का भी विचार रखते हैं। उस विशेष मामले में रेडियो ऑपरेटरों को इस कारण नहीं रखा गया था।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** जब इलाहाबाद के असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र में विमान संचालक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा तो इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये क्या उपबन्ध होगा—दाखिल किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी होगी ?

†**श्री राज बहादुर :** ये सब प्रश्न, पाठ्यक्रम की आवश्यकता, लाभ उठाने वाले संभावित व्यक्तियों की संख्या, निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम अर्हतायें, होने वाली बचत और अन्य बातें विचाराधीन हैं। मंत्रालय इन प्रस्तावों की असैनिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जांच करायेगा और तब हम उस पर कोई निर्णय करेंगे।

## कोयला खान भविष्य निधि योजना

†***७६६. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने मजदूर कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य बन चुके हैं ; और

(ख) अब निधि में कुल कितनी धनराशि है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) ३१ जनवरी, १६५६ तक ६,१०,७७८। १६५४-५५ में वास्तविक सदस्यों की संख्या ३,१२,७२१ थी।

(ख) लगभग ४६५ लाख रुपये।

†**सरदार हुक्म सिंह :** इस निधि में प्रतिवर्ष औसतन कितना धन दिया जाता है ?

†**श्री आबिद अली :** १६५५-५६ का १,४५,२३,१५४ रुपये है।

†**सरदार हुक्म सिंह :** ऐसे कोयला-खनिकों की संख्या क्या है जिनको योजना से अभी लाभ नहीं हो रहा है और उनको उसमें सम्मिलित होने का प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** हैदराबाद के मजदूरों को अभी इस योजना से लाभ नहीं हो रहा है परन्तु उनके लिये भी एक योजना तैयार कर ली गई है और वह इस सप्ताह के गजट में प्रकाशित की जायेगी और अभिदान का भुगतान १ अप्रैल, १६५६ से प्रारंभ होगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** सदस्य बनाये गये मजदूरों और वास्तविक अभिदाताओं की संख्याओं में बहुत असमानता है––वे क्रमश: ६,१०,७७८ और ३,१२,७२१ हैं । इस बड़ी असमानता के क्या कारण हैं ?

†**श्री आबिद अली :** यह योजना कोयला खान मजदूरों पर लागू होती है और उनकी संख्या लगभग ३ लाख है । ये मजदूर कोयला खानों में हैं । अब प्राय: सभी उसमें आ जाते हैं ।

## होम्योपैथी

†*७७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने होम्योपैथी में गवेषणा की पुनरीक्षित विस्तृत योजनायें, जैसी कि सरकार ने मांगी थीं, दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [ **देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १** ]

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** विवरण से मालूम होता है कि केवल दो राज्यों––पश्चिमी बंगाल और बम्बई––ने योजना भेजी है । अन्य राज्यों में क्या स्थिति है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** हमने समस्त राज्यों को लिखा था कि वे केंद्रीय सरकार से सहायता के लिये योजनायें भेजें । केवल पश्चिमी बंगाल और बम्बई की सरकारों से उत्तर प्राप्त हुये और इसलिये हमने उन पर विचार किया ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** होम्योपैथी पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिये कितनी रकम का उपबन्ध किया जायेगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** होम्योपैथी के विकास के लिये १६५६-५७ के आय व्ययक प्राक्कलन में ६·६ लाख रुपये की राशि सम्मिलित की गयी है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** हम लोक-सभा में अनेक बार जान चुके हैं कि चिकित्सा की आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रणालियां माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं । राज्य सरकारों को इन प्रणालियों पर इतने लाख रुपये व्यय करने की अनुमति देने के पूर्व क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री को निकट भविष्य में चिकित्सा की इन प्रणालियों की उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई दैव ज्ञान हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** मैं नहीं जानती कि यह प्रश्न यहां कैसे उत्पन्न होता है । परन्तु मैं कहूँगी कि सभी वर्तमान चिकित्सा प्रणालियों के लिये धन रखा गया है । अर्थात् चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के अतिरिक्त आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के लिये उपबन्ध किया जाता है । यदि कुछ राज्यों में होम्योपैथी के स्कूल हैं तो हम उन राज्यों से योजनायें भेजने के लिये कहते हैं और हम उन्हें ऐसी योजनाओं के लिये, जिनको हमने मान्यता दे रखी है, धन देते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## रेलवे के ऊपरी पुल

*७७१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री ३० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाइवरज़न सड़क के निर्माण के पश्चात् दिल्ली में निजामुद्दीन और ओखला के बीच दो ऊपरी पुल बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो किस तारीख तक इन ऊपरी पुलों का निर्माण कार्य आरम्भ होने की आशा है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता :

**श्री भक्त दर्शन** : इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा और इस पर कुल कितना खर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : ख्याल तो यह है कि तकरीबन एक साल के अर्से में यह पुल पूरे हो जायेंगे। खर्चा जो होगा उसका एस्टिमेट तो रेलवेज़ ने लगाया है और रेलवे बोर्ड में उसका इन्तज़ार किया जा रहा है। अभी तक वहां कागज़ात पहुंचे नहीं हैं।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य है कि इन पुलों के न बनने के कारण रक्षा मंत्रालय तिलपट के मैदान में जो वायु सेना का प्रदर्शन किया करता था वह नहीं कर पा रहा है ? अतः क्या इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जायेगी ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : जितनी शीघ्रता मुमकिन है उतनी शीघ्रता हम कर रहे हैं।

## तटीय नौवहन

†*७७२. **श्री इब्राहीम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विदेशी जलयान हैं जो भारतीय कम्पनियों ने भाड़े पर ले रखे हैं और जो इस समय भारतीय तटों पर चल रहे हैं; और

(ख) उनका वार्षिक भाड़ा कितना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस समय ऐसे ६ जलयान, जिनका कुल भार लगभग ४६,५०० टन है, पूर्णतः या आंशिक रूप में भारतीय तटीय व्यापार में काम में लगे हुये हैं।

(ख) इन जलयानों पर एक वर्ष का विदेशी मुद्रा व्यय लगभग १·०६ करोड़ रुपये होगा।

†**श्री इब्राहीम** : क्या इन भाड़े की दरों पर सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है ?

†**श्री अलगेशन** : वास्तव में नौवहन कम्पनियां खुले बाजार में बातचीत करती हैं। ये दर घट बढ़ सकती हैं।

†**श्री इब्राहीम** : भारत तटीय नौवहन में कब तक आत्म निर्भर हो जायगा ?

†**श्री अलगेशन** : इनके भाड़े पर लिये जाने की अनुमति भी इस शर्त पर दी गई थी कि उनको एक या दो साल में अपने जलयानों द्वारा बदल दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

## चित्तरंजन और टेलको कारखाने

*७७३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी लाइन और छोटी लाइन के रेलवे इंजनों की इस समय कितनी आवश्यकता है;

(ख) इस आवश्यकता को चित्तरंजन और टेलको किस हद तक पूरा कर सकेंगे;

(ग) चित्तरंजन और टेलको कारखानों में बनाये गये रेलवे इंजनों के अतिरिक्त बड़ी और छोटी लाइनों के कितने इंजनों को विदेशों से आयात करना पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है जिससे कि एक निश्चित कालावधि के बाद इंजनों का आयात करना आवश्यक न हो ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़ी और मीटर लाइनों पर भाप से चलने वाले इतने इंजनों की जरूरत होगी :

| | |
|---|---|
| बड़ी लाइन | १,४३० |
| मीटर लाइन | ८५३ |

(ख)

| | |
|---|---|
| चित्तरंजन | लगभग १,००० |
| और | बड़ी लाइन के इंजन |
| टेल्को | लगभग ३०० |
| | मीटर लाइन के इंजन |

(ग) जितने इंजनों के लिये पहले ऑर्डर दिये गये हैं उनके अलावा लगभग ३६५ इंजन।

(घ) जी हां। दूसरी पंचवर्षीय योजना में चित्तरंजन और टेलको कारखानों का विकास करने का विचार है ताकि वे बड़ी और मीटर लाइनों की सामान्य जरूरत के अनुसार इंजन तैयार कर सकें।

**श्री विभूति मिश्र** : क्या यह सही नहीं है कि सरकार ब्रॉड गेज के साथ जिस तरह से व्यवहार करती है उस तरह से मीटर गेज के साथ नहीं करती है, और इसका क्या कारण है ?

**श्री अलगेशन** : मीटर गेज का भी हम काफी अच्छा प्रबन्ध कर रहे हैं।

**श्री विभूति मिश्र** : अभी माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे पता चलता है कि ८०० तो ब्राड गेज के इंजन मंगाये जायेंगे और ३०० मीटर गेज के। इसका अर्थ यह है कि मीटर गेज के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। इसको कब तक सुधारा जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि हमने अपने मूल प्राक्कलनों में अधिक बड़ी लाइन के इंजन प्राप्त करने का विचार किया था, परन्तु फिर ज्ञात हुआ कि छोटी लाइन में पुराने इंजनों की संख्या अधिक होगी। इसलिये अब उसको बराबर कर दिया गया है और हम बड़ी लाइन की अपेक्षा छोटी लाइन के अधिकाधिक इंजन प्राप्त करने जा रहे हैं।

†**श्री सी० डी० पाण्डे** : इस बात को देखते हुये कि भविष्य में बिजली के इंजन रहेंगे क्या सरकार भविष्य में बिजली के इंजनों का निर्माण करने के लिये कदम उठायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : वह हमारे विचार में है, परन्तु बिजली के इंजनों के निर्माण के लिये हमें बिजली की भारी साज-सामग्री के कारखानें की स्थापना तक प्रतीक्षा करनी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सारंगधर दास** : क्या चित्तरंजन के कारखाने में इंजनों के उत्पादन में गत वर्ष से कुछ सुधार हुआ है और क्या अब एक से अधिक पारी में कार्य हो रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां । चित्तरंजन से बनकर निकलने वाले इंजनों की संख्या बढ़ रही है । उत्पादन की नवीनतम दर १२ इंजन प्रतिमाह है ।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो छोटी लाइन के ३०० इंजन मंगाये गये हैं उनमें से एन० ई० रेलवे के लिये कितने रखे गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूँ परन्तु मैं यह कह दूँ कि ये विभिन्न रेलों को आवश्यकतानुसार दिये जायेंगे ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पूर्वोत्तर रेलवे में स्टेशन अभी भी बहुत घुटे-घुटे से हैं और सरकार ने उस घुटन को दूर करने का वचन दिया था ? उस घुटन को दूर करने के लिये कितने इंजन और गाड़ियां वितरित किये जा रहे हैं ।

†**श्री अलगेशन** : जब उस रेलवे को इंजन दिये जायेंगे उस समय उस रेलवे की दशा को ध्यान में रखा जायेगा । मैं समझता हूँ कि उस रेलवे को अधिक संख्या में इंजन दिये जायेंगे ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हम अभी १५ से २० वर्ष तक संकरी लाइन को बदलने नहीं जा रहे हैं, हम उस लाइन के इंजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकेंगे ? क्या चित्तरंजन अथवा टैलको में डीज़ल इंजनों के निर्माण के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री अलगेशन** : जब तक सब संकरी लाइनें छोटी लाइन या बड़ी लाइनों में नहीं बदली जातीं, हमें संकरी लाइन के इंजन व डिब्बों की भी आवश्यकता होगी । हमें उनका आयात करना होगा या उनका यहां गैर-सरकारी सार्थों द्वारा निर्माण भी कराया जा सकेगा ।

**टी० टी० ई०**

†*७७६. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में टीटीओं (टिकट निरीक्षकों) की संख्या में १९५० से कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इन टिकट निरीक्षकों को कुछ न कुछ साप्ताहिक आय दिखाने के लिये विवश किया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि छोटे स्टेशनों पर थोड़ी दूर तक के टिकट बेचे जाते हैं ताकि टिकट निरीक्षक यात्रा बढ़ा सकें और आवश्यक आय दिखा सकें ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १०७१ ।

(ख) और (ग) नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि गाड़ियों में टिकटों की जांच करने वालों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि हो जाने के कारण, वह यात्रा ही करते रहते हैं और पहले दर्जे के यात्रियों के लिये उपलब्ध अधिकांश स्थान पर अधिकार जमाये रहते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पहली बात तो यह है कि टी० टी० ई०यों से पहले दर्जे के डिब्बों में बैठने की अपेक्षा नहीं की जाती है । कुछ भी हो, यदि उनको यात्रा करनी है तो उनको गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा, अन्यथा वह यात्रा कर ही नहीं सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ाये गये कर्मचारियोंको गाड़ियों के साथ चलने के लिये कुल कितना भत्ता दिया जाता है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

**श्री अजित सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि नादर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में कुछ देर तक टिकटों की शारटेज (कमी) क्यों रही ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं आनरेबुल मैम्बर (माननीय सदस्य) का सवाल अच्छी तरह समझ नहीं सका हूँ ।

†**श्री अजित सिंह** : मेरा मतलब है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में कुछ समय तक टिकटों की कमी क्यों रही ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस चीज का इल्म हम लोगों को नहीं है। अगर आनरेबुल मैम्बर (माननीय सदस्य) नोटिस दें तो उसका जवाब दिया जा सकता है ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अपने वेतन और भत्ते के कम होने तथा उच्च कर्मचारियों पर व्यय अत्यधिक होने के कारण इन टी०टी०ई०यों में व्यापक असंतोष फैला हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की बातों में सुझाव दिये गये हैं, और पूछताछ की जा रही है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या गाड़ियों में टिकटों की शत-प्रतिशत जांच करने के कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने कुछ गाड़ियों पर यह व्यवस्था लागू की है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि जो अतिरिक्त भाड़ा-टिकट बनाये जाते हैं उनके सम्बन्ध में क्लियरिंग हाउस यह हिसाब नहीं रखता कि वह जुर्माने के अतिरिक्त-भाड़ा टिकट हैं अथवा साधारण दूरी बढ़ाने के अतिरिक्त भाड़ा टिकट हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : माननीय सदस्य का प्रश्न इस तथ्य से सम्बन्धित है कि वह केवल अतिरिक्त भाड़ा एकत्र करते हैं, जुर्माना नहीं । मैं उनका पूरा प्रश्न समझ नहीं पाया हूं । परन्तु जहां तक अतिरिक्त भाड़ा टिकटों का सम्बन्ध है, इस राशि को टी०टी०ई० यों० के आय नहीं माना जाता है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवदी** : मैं यह कह नहीं सकता हूं कि मंत्री महोदय मेरा प्रश्न जो अत्यन्त ही संगत था, समझे हैं या नहीं । सभी यात्रा करने वाले टिकट निरीक्षक अतिरिक्त भाड़ा टिकट जारी करते हैं जिनको साधारण बोलचाल में ई० एफ० टी० कहा जाता है । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या क्लियरिंग हाउस को ई०एफ०टी० यों से यह पता लग जाता है कि क्या वह बिना टिकट यात्रा करने वालों से जुर्माने के रूप में वसूल किये जाने वाले नियमित अतिरिक्त भाड़े के लिये जारी किये गये थे अथवा केवल यात्रा की दूरी बढ़ाने के लिये जारी किये गये थे ।

†**श्री अलगेशन** : इसका सहज ही विश्लेषण किया जा सकता है ।

## माल डिब्बों की व्यवस्था

†***७७७. श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यापारियों ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के रायपुर धमतरी खण्ड पर माल-डिब्बों के लिये आदेश दिये थे;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) क्या यह सच है कि जब इन माल डिब्बों को दिया गया तब उन व्यापारियों ने उनका उपयोग नहीं किया;

(ग) क्या यह सच है कि इन व्यापारियों ने सामान के लाने ले जाने पर नियंत्रण रखने के लिये यह जाली आदेश दिये थे; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेलवे मंत्रालय यह बता सकने की स्थिति में नहीं है कि व्यापारियों द्वारा यह जाली आदेश ठीक-ठीक किस उद्देश्य से दिये गये थे, परन्तु यह प्रतीत होता है कि उन्होंने माल डिब्बों की कमी की संभावना के कारण यह व्यादेश दिये थे ।

(घ) जाली व्यादेश देने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा व्यापारियों के विरुद्ध केवल यही सीधी कार्यवाही की जा सकती थी कि जब वह पक्ष संभरित माल डिब्बों में माल लादने में असफल रहें अथवा पंजीयन कराने के १५ दिन के भीतर ही व्यादेश वापस ले लिये जायें तो पंजीयन शुल्क ज़ब्त कर लिया जाये । अगस्त १६५५ से जनवरी १६५६ तक १२७६ व्यादेशों का पंजीयन शुल्क, जो कुल मिलाकर १६,१८५ रुपये होता था, ज़ब्त किया गया है । इसके अतिरिक्त रेलवे प्रशासन स्टेशनों पर स्थानीय व्यापारियों और व्यापारिक संस्थाओं के साथ भेंट करके और समाचार पत्रों में प्रचार के द्वारा व्यापारियों की अनियमितता करने की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास कर रहा है ।

†**श्री गिडवानी** : ऐसे जाली व्यापारियों की कुल संख्या कितनी थी ?

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : सभी जाली थे ।

†**श्री शाहनवाज खां** : व्यादेश जाली थे ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : व्यापारी नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह संख्या जानना चाहते थे ।

†**श्री शाहनवाज खां** : ज़ब्त किये गये व्यादेशों अथवा पंजीयनों की संख्या १२७६ थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सभासचिव को संख्या के सम्बन्ध में कोई सूचना न हो तो वह कह सकते हैं, 'मेरे पास सूचना नहीं है ।' इसमें कोई हर्ज नहीं है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : यह प्रश्न दक्षिण-पूर्व रेलवे से सम्बन्धित है । क्या रेलवे मंत्रालय को यह पता है सभी रेलवेज़ पर यह एक आम बात है ? यदि हां, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिये रेलवे मंत्रालय द्वारा क्या निदेश जारी किये गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें समय समय पर प्रायः सभी रेलवेज से इसी आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । रेलवे प्रशासन जो एकमात्र कार्यवाही कर सकता है वह यह है कि जो माल डिब्बों का उपयोग न करे उसकी जमानत अथवा पंजीयन शुल्क ज़ब्त कर ले ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या यह सही है कि रेलवेज पर यह जाली व्यादेशों की प्रथा बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार की इन व्यादेशों के पंजीयन शुल्क में कुछ वृद्धि कर देने की कोई प्रस्थापना करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । रेलवेज का पंजीयन शुल्क बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री झुनझुनवाला** : इस सम्बन्ध में जमानत के रूप में कुल कितनी राशि जब्त की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले ही बता चुके हैं कि यह लगभग १६,००० रुपये हैं ।

†**श्री गिडवानी** : जब यह कहा जा रहा है कि यह सामानों को उपयोग में लाये जाने से रोकने और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया था—कुछ दिन पूर्व कलकत्ते में भी बिल्कुल इसी प्रकार की एक घटना हुई थी जिसमें इसी प्रकार कपड़े का स्टाक रोक लिया गया था—तो क्या सरकार विधि में कोई ऐसा संशोधन करने की वांछनीयता पर विचार करेगी जिससे कि भयोत्पादक दण्ड दिया जा सके क्योंकि केवल जब्ती पर्याप्त नहीं होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : कलकत्ते वाली घटना तो बिल्कुल ही भिन्न है । वहां तो व्यापारियों ने स्टाक आने पर उसको उतारने से ही इन्कार कर दिया था । इन दोनों में कोई साम्य नहीं है ।

## रेडियो-टेलीफोन सेवा

†*७७८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत में रेडियो-टेलीफोन सेवा ने किस सीमा तक प्रगति की है ; और

(ख) क्या इस प्रश्न पर राष्ट्रमंडलीय दूर संचार बोर्ड के साथ चर्चा की गयी थी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजनाओं की सफल कार्यान्विति के फलस्वरूप, भारत की अब विदेशों से सत्रह सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवायें हैं, जबकि इस योजना के आरम्भ से पूर्व भारत की ऐसी केवल दो सेवायें ही थीं ।

(ख) जी हां ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या अतलांतक पार समुद्री तार बिछाने का कार्य पूरा किया जा चुका है, और यदि हां, तो उसके कब तक कार्य शुरू कर देने की आशा है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ से सम्बन्धित हो सकता है । यहां हम राष्ट्र-मंडलीय दूर संचार बोर्ड की बात कर रहे हैं । जहां तक अतलांतक के आर-पार समुद्री तार बिछाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह इस प्रश्न के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या भारत में किये गये विकास कार्यों की योजनायें राष्ट्रमंडलीय दूर-संचार बोर्ड को प्रस्तुत की जाती हैं ? यदि हां, तो कितने कितने दिनों में ?

†**श्री राज बहादुर**: सीधे रेडियो टेलीफोन, रेडियो-तार और रेडियो फोटो-सर्विसों की स्थापना सम्बन्धी सभी नयी प्रस्थापनाओं को राय जानने के लिये बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाता है । उससे केवल परामर्श ही मांगा जाता है । उसकी राय अथवा निर्णय को मानने के लिये हम बाध्य नहीं हैं ।

## सहायक शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण

†*७७६. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत नयी दिल्ली में सहायक शिक्षिकाओं के लिये एक नवीकरण पाठ्यक्रम शुरू किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह विषय कौन से हैं जिन में इनको प्रशिक्षित किया जायेगा;

(ग) यह शिक्षिकायें देश के किन भागों से आयी हैं; और

(घ) इस योजना को किन स्रोतों से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) सहायक शिक्षिकाओं को पारिवारिक खाद्य और आहार-पोषण; परिवार के लिये परिधान; माता तथा शिशु की देखरेख; आवास तथा गृह-प्रबंध; स्वास्थ्य एवं स्वच्छता; हस्तकला एवं कुटीर उद्योग; कृषि एवं रसोई-उद्यान कला; दुग्धशाला; कुक्कुट पालन; मधु मक्खी पालन और खेती; सहकारिता; गृह विज्ञान विस्तार; शिक्षण प्रणाली और दृष्य-श्रव्य उपकरणों में प्रशिक्षित किया जायेगा ।

(ग) यह शिक्षिकायें पंजाब, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आसाम, मध्य भारत, पश्चिम बंगाल, सौराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, भोपाल, मद्रास, हिमाचल प्रदेश, त्रावनकोर-कोचीन, पेप्सू, विंध्य प्रदेश, आंध्र, राजस्थान और बम्बई राज्यों से आयी हैं ।

(घ) भारत सरकार ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या इसी प्रकार के केंद्र अन्य स्थानों पर खोलने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी, हां । शिक्षिकाओं के उपलब्ध होने पर हम विस्तार करना चाहेंगे ।

## प्रथम श्रेणी की रेलवे सेवा में वरिष्ठता

†*७८१. **श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धकालीन अभ्यर्थियों, अस्थायी कर्मचारियों और १ जनवरी, १९४२ और १ जनवरी, १९५२ के बीच सेवा आयोग द्वारा भर्त्ती किये गये प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता पूर्ण रूप से निश्चित कर दी गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड को ऐसे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में यह आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठता का अशुद्ध ढंग से निश्चय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) १९५३ से १९५५ के बीच कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुये और कितनों का निबटारा किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां, २९-६-४२ और ३१-१२-५२ के बीच भर्त्ती किये गये कर्मचारियों की, संस्थापन विभाग में भर्त्ती किये गये कर्मचारियों को छोड़कर, वरिष्ठता निश्चित कर दी गयी है। इन अधिकारियों को जल्दी ही अन्य विभागों में ले लिया जायगा क्योंकि यह निश्चय किया गया है कि कोई अलग संस्थापन विभाग नहीं रहना चाहिये । उनके ले लिये जाने पर उनकी वरिष्ठता सम्बन्धित विभागों में निश्चित की जायेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) ८६ (छियासी) ।

(घ) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २**]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : विवरण में १९५३ से १९५५ तक के आंकड़े दिये गये हैं। इन अभ्यावेदनों का निबटारा किस ढंग से किया गया—अनुकूल अथवा प्रतिकूल ?

†**श्री अलगेशन** : यह बताने के लिये कि प्रत्येक अभ्यावेदन का क्या निबटारा किया गया है, मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। यहां मेरे पास यही सूचना है कि उनमें से अनेक रद्द कर दिये गये हैं।

†**श्री राधा रमण** : प्रत्येक व्यक्तिगत अभ्यावेदन का निबटारा करने में औसत कितना समय लगा ?

†**श्री अलगेशन** : यह सूचना यहां मेरे पास नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य विवरण में देखेंगे कि उनमें से प्राय: सभी का निबटारा उसी वर्ष में कर दिया गया जिनमें कि वह प्रस्तुत किये गये थे।

**श्री अजित सिंह** : क्या यह सच है कि गवर्नमेंट कुछ रिटायर्ड (अवकाश-प्राप्त) इंजीनियर्स, असिस्टैंट इंजीनियर्स और एस०डी०ओ०ज (उप-विभागीय पदाधिकारियों) को दोबारा नौकरी में लेने के प्रपोजल (प्रस्थापना) पर सोच रही है ?

**श्री अलगेशन** : हम सोच रहे हैं। पर इसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : भाग (ख) का उत्तर 'हां' है और भाग (घ) के उत्तर में विवरण दिया गया है। निबटाये गये कुल कितने मामलों में यह पता लगा है कि निश्चित की गयी वरिष्ठता गलत थी ?

†**श्री अलगेशन** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले का पूरा विवरण मेरे पास नहीं है। अनेक मामले हैं और इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में मेरे पास यह विवरण नहीं है कि प्रत्येक मामले का निबटारा किस प्रकार से किया गया है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : यह आरोप लगाया गया था कि निश्चित की गयी वरिष्ठता कई मामलों में गलत थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मामलों का निबटारा करने में सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि निश्चित की गयी वरिष्ठता गलत थी, और यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी थी ?

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि यह कार्य गृह-मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार एक समान ढंग से किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति की वरिष्ठता को गलत ढंग से निर्धारित करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

## बारासेट-वसिरहाट लाइट रेलवे

†*७८४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस क्षेत्र में पहले भूतपूर्व बारासेट-वसिरहाट लाइट रेलवे चलती थी, उस में प्रस्तावित बड़ी लाइन डालने से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य किस सीमा तक सम्पन्न हुआ है;

(ख) बेलियाघाटा-पतीपुकुर सेक्शन की जहां कि पहले बी० बी० लाइट रेलवे चला करती थी, आवश्यकताओ को पूर्ण करने के लिये सरकार क्या करने की प्रस्थापना करती है;

(ग) क्या जोड़ को बेराती से हटा कर बारासेट से जोड़ देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह सच है कि प्रारंभिक सर्वेक्षण लाइन से कोरापाड़ा-धोराराश के समूचे ग्राम के नष्ट हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) कितने मकानों, मस्जिदों और मंडियों पर प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कुल लगभग ३५ मील की लम्बाई में से ३१ मील का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जा चुका है ?

(ख) सर्वेक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

(ग) बेराती या बारासेट दोनों स्थानों पर जोड़ बनाने के प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं । प्रस्तावित जोड़ कोरापाड़ा ग्राम के पास से होकर गुजरता है और धोराराश ग्राम के केवल कुछ ही कच्चे मकानों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(ङ) किसी मस्जिद या मंडी पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । संभवत: चुने हुए जोड़ के समीप कुछ मकान अवाप्त करने पड़ें, किन्तु जब तक जोड़ के स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय न कर लिया जाये, कोई विवरण देना संभव नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, क्या यह सच है कि बेलियाघाटा से पतीपुकुर तक के भूतपूर्व बी० बी० लाइट रेलवे के इस विभाग का सर्वेक्षण नहीं किया जाने को है, और यदि हां, तो इस क्षेत्र के लोगों के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां, ऐसा ही है इसका सर्वेक्षण नहीं किया जाने को है । इस क्षेत्र के लिये रेलवे के अतिरिक्त अन्य तरीकों का प्रबन्ध करना पड़ेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विभाग में कोई सड़कें नहीं हैं, और दलदल होने के कारण इस समय कोई सड़क बनाना संभव भी नहीं है, क्या सरकार इस विभाग में एक शटल गाड़ी चलाने का विचार करती है, जिसके बारे में पिछले वर्ष से अभ्यावेदन किये जा रहे हैं ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सर्वेक्षण रिपोर्ट हमारे पास नहीं है । स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । यदि जोड़ बारासेट के स्थान पर बिरेटी से शुरू हो, तो संभवत: उस क्षेत्र के लिए जिसका माननीय सदस्या ने उल्लेख किया है, प्रबन्ध हो जायेगा । फिर भी यह याद रखा जाना चाहिये कि वह एक संकरी लाइन रेलवे थी और अब इसके स्थान पर बड़ी लाइन बनाई जाने को है । संकरी के स्थान पर बड़ी लाइन बनाये जाने पर इस क्षेत्र की आवश्यकतायें पहले से अधिक अच्छी तरह पूरी हो सकेंगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बी० बी० लाइट रेलवे की बनावट अंग्रेजी के अक्षर 'एल' की तरह थी और उसके स्थान पर उसके केवल एक ही भाग में बड़ी लाइन बनाई जाने को है और दूसरे भाग का सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा, तो इस छोटे से विभाग में एक शटल गाड़ी चलाने में क्या कठिनाई है और वह भी उस समय जब कि इसमें यातायात का और कोई साधन नहीं है ?

†**श्री अलगेशन** । हम कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सर्वेक्षण की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : निर्णय करने में कितना समय लगेगा?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्या को कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या माननीय मंत्री को विदित है बारासेट से पतीपुकुर तक का एक भाग ऐसा है कि जिस में सड़क बनाई जा सकती है और यदि रेलवे नहीं चलाई जा सकती, तो क्या इस योजना का सर्वेक्षण किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि पतीपुकुर से बेलियाघाटा तक के विभाग को छोड़ देने से लोगों को अवश्य कुछ कठिनाई होगी । हमें आशा है कि राज्य सरकार के लिये एक उपयुक्त सड़क बनाना संभव होगा । यदि वहां एक सड़क बनाना संभव न हो, तो विरोधी दल के माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह एक अच्छा सुझाव है और संभव है कि उस पर विचार किया जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या आगामी वर्षा ऋतु से पहले अगले दो मासों में किसी निर्णय के किये जाने की आशा की जा सकती है ?

†**श्री शाह नवाज़ खां** : इसकी आशा कम है, किन्तु हम अवश्य इस की जांच करेंगे ।

## कृषि गवेषणा

†*७८७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २१ दिसम्बर, १६५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विस्तार और शिक्षा पर प्रभाव डालने वाली कृषि गवेषणा और विभिन्न राज्यों द्वारा की गई गवेषणा के आंकड़े इकट्ठा करने के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल परं रखा जाता है । [ **देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३** ]

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या राज्यों द्वारा और केन्द्र द्वारा किये गये गवेषणा कार्यों में, और साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये गवेषणा कार्यों में और विभिन्न अन्नों के सम्बन्ध में किये गये गवेषणा कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिये सरकार की कोई व्यापक योजना है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : भारत सरकार ने कुछ अमरीकन और कुछ भारतीय विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया था । इस दल ने इस प्रश्न की पूरी जांच की है और इस दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं । हमें आशा है कि इस प्रकार का समन्वय किया जायेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को विदित है कि गवेषणा केंद्रों में किये गये गवेषणा कार्यों के परिणाम किसान को उपलब्ध नहीं होते और क्या सरकार यह देखने के लिये भी कोई कार्यवाही करेगी कि ये परिणाम ग्रामों में किसानों को उपलब्ध हों ?

†**श्री ए० पी० जैन** : सामुदायिक परियोजनायें और विस्तार सेवा संगठन इस प्रयोजन के लिये हैं और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या यह सच है कि इन गवेषणाओं में रुचि रखने वाले किसानों के गवेषणा संस्था में आकर ठहरने और वहां कुछ सीखने के लिये प्रेरित करने की सरकार की एक योजना है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : समय-समय पर गोष्ठियां और सम्मेलन किये जायेंगे ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : विवरण में उल्लिखित, अमेरिका के भूमिदान कालेज और भारत के बीच समन्वय स्थापित करने वाले ये प्रबन्ध क्या हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन** : उसने उपकरणों, सामान, पुस्तकालय के लिये पुस्तकों आदि की व्यवस्था करने के लिये कुछ धन दिया है और वह कुछ विशेषज्ञ भी देने जा रहा है ।

†**श्री सारंगधर दास** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामुदायिक परियोजनायें और विस्तार खंड समूचे देश के लिये व्यवस्था नहीं करते हैं, क्या सरकार ऐसा कोई प्रबन्ध कर रही है कि जिस

---

†मूल अंग्रेजी में

से गवेषणा के परिणाम उन क्षेत्रों में भी किसानों को उपलब्ध कराये जा सकें, जहां न सामुदायिक परियोजनायें हैं और न विस्तार खंड हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन :** सामुदयिक परियोजना विस्तार सेवा विशेष व्यवस्था का प्रबन्ध करती है। मुझे कहना पड़ता है कि जो साधारण व्यवस्था वहां है वह इतनी प्रभावी नहीं है, किन्तु उसकी कार्यक्षमता १९६० तक सारे देश में सामुदायिक परियोजनाओं और विस्तार खंडों के स्थापित हो जाने से ही बढ़ेगी।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सरकार को विदित है कि १९६० तक ये सेवायें ग्रामों तक पहुंचा दी जायेंगी और उससे पहले क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अधीन इन गवेषणा कार्यों के परिणाम ग्रामों को, विशेषकर उन भाषाओं में जो वहां समझी जाती हैं, उपलब्ध कराये जा सकें ?

†**श्री ए० पी० जैन :** जी हां। सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को छपाई की मशीनें दी हैं और ये राज्य गवेषणा कार्यों के परिणामों का अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके उन्हें वितरित कर रहे हैं।

## महिला ग्राम सेविकाओं का प्रशिक्षण

†*७८९. **डा० सत्यवादी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिला ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण देने के लिये २५ घरेलू अर्थ-व्यवस्था केन्द्र खोलने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक केंद्र में कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) २५ घरेलू अर्थ-व्यवस्था केंद्रों में से, जिन्हें पहली योजना अवधि में स्थापित करने का विचार था, १९ में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। शेष ६ के भी शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा है।

(ख) प्रत्येक केन्द्र में विद्यार्थियों की संख्या दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) यह जानकारी राज्यों से मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**डा० सत्यवादी :** जिन सेंटरों (केन्द्रों) में ट्रेनिंग पाने वालों की तादाद बहुत थोड़ी बतलाई गई है क्या यह इस कारण है कि उम्मीदवार हमें नहीं मिल रहे हैं और इस योजना की पब्लिसिटी (प्रचार) कम दी गई है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** कहीं-कहीं कुछ देरी उम्मीदवार मिलने में जरूर होती है लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। हमारे इन ट्रेनिंग सेंटर्स में उम्मीदवार पढ़ने नहीं आयेंगे, ऐसी मुसीबत आने की हमें कोई आशंका नहीं है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** इन केंद्रों द्वारा किये गये अच्छे कार्य को दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विभिन्न राज्यों में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है।

†**डा० पी० एस० देशमुख :** जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया था, प्रथम योजना की अवधि के सम्बन्ध में यही हमारा कार्यक्रम है। द्वितीय योजना के सम्बन्ध में बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

**डा० सत्यवादी** : इन सेंटरों में उम्मीदवारों के दाखिले के लिये चुनाव करने के वास्ते क्या हर सेंटर के लिये अलहदा कोई मशीनरी रखी गई है या कोई सेंट्रल कमेटी (केंद्रीय समिति) जैसी चीज इसके वास्ते बनाई गई है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : सेंट्रल-कमेटी नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बतलाया था वहां लोकल कमेटीज डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को साथ लेकर इस काम के वास्ते बनाई जाती हैं।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैसूर में कोई गृह अर्थ-व्यवस्था केंद्र मैसूर के लिये नियत किये गये हैं, और यदि हां, तो वहां कितने केंद्र स्थापित हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मैसूर के लिये हमने एक केंद्र नियत किया है किन्तु प्रशिक्षण की अभी स्वीकृति नहीं दी गई है तथा अभी यह प्रारम्भ नहीं हुआ है।

**श्रीमती कमलेंदुमति शाह** : क्या मैं जान सकती हूं कि ग्राम सेविकाओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है वह उनके लिये बहुत सख्त होती है और इसी कारण से उनको ट्रेनिंग के वास्ते काफी संख्या में ग्राम सेविकायें नहीं मिल रही हैं और क्या ट्रेनिंग को कुछ नरम किया जायेगा ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : अगर कोई ऐसी दिक्कत कहीं पर है तो हम सोचेंगे कि उसके लिये हम क्या कर सकते हैं ।

## पश्चिमी बंगाल में ट्रेन सेवा का निलम्बन

†*७९०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ फरवरी, १९५६ को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे की स्थानीय एवं सीधी सर्विस समस्त पश्चिमी बंगाल राज्य में निलम्बित रही थीं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा पग उठाने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) मार्ग के स्टेशनों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा गाड़ियां ठहरा लिये जाने के कारण यात्रियों को कम से कम असुविधा होने देने के लिये ऐसा किया गया था ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या जनता को कोई पूर्व सूचना दी गई थी कि अमुक तिथि को ऐसी बात होने वाली थी, और यदि हां, तो यह सूचना कब दी गई थी और वह किस तरह की थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलवे ने इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ऐसी कार्यवाही किये जाने से पहले, उन्होंने इस विषय में केंद्रीय सरकार से परामर्श किया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : हमें इस बात का बहुत खेद है कि यात्रियों को असुविधा हुई, किन्तु इसका दोष रेलवे को नहीं, अन्य लोगों को दिया जाना चाहिये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं यह जानना चाहता था कि स्थानीय प्राधिकारियों को कब और किस तरह से यह मालूम हुआ था कि ऐसी बातें होने वाली थीं ?

†**श्री अलगेशन** : संभवतः कुछ समय पहले ही उन्हें यह विदित हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

†*७९२. **श्री टी० बी० विठ्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की सब सिफारिशों की जांच समाप्त की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और कितनी अस्वीकार की गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां । ६ सिफारिशों को छोड़कर ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ **देखिये परिशिष्ठ ५, अनुबन्ध संख्या ५**

†**श्री टी० बी० विठ्ठल राव** : लगभग १३५ सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें स्वीकृत किया जा चुका है क्या मैं जान सकता हूं कि स्वीकृत सिफारिशों में से कितनों को कार्यान्वित किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जब हम यह कहते हैं कि हमने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तो हम उन को लागू करने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करते हैं ।

†**श्री टी० बी० विठ्ठल राव** : क्या इन सिफारिशों को स्वीकार करने और उनकी क्रियान्विति के परिणामस्वरूप रेलवे पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व आ जाता है, और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री अलगेशन** : इसके लिये मैं विशिष्ट सूचना चाहता हूं । मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है ।

†**श्री टी० बी० विठ्ठल राव** : कोई आधा दर्जन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है । क्या मै इसका कारण जान सकता हूं ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य ने कहा है कि आधा दर्जन सिफारिशें हैं और मेरे पास उनके बारे में एक सूची है किन्तु उसे इस समय पढ़ना आवश्यक होगा या नहीं यह मुझे ज्ञात नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें समय तो काफी लगेगा किन्तु यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो तो वह माननीय सदस्य को कारण बता दें ।

†**श्री अलगेशन** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को उक्त सूची दिखा दी जायेगी ।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी सिफारिशें स्वीकृत नहीं की गई हैं । क्या माननीय मंत्री कृपा करके.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या इस सम्बन्ध में समय समय पर सरकार के पास कोई रिपोर्ट आती है जिनसे यह जाना जा सके कि रेलवे में भ्रष्टाचार कुछ पहले से कम हो रहा है या बढ़ रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : इस तरह की व्यवस्था करना मुश्किल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## कृषि विस्तार विकास केन्द्र

†*७९३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ दिसम्बर, १९५५ को एशिया और सुदूर पूर्व के लिये कृषि विस्तार विकास केंद्र के सम्बन्ध में भोपाल में हुई चर्चा में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था; और

(ख) वहां किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त केंद्र में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी उनकी एक सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [ **देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६** ]

**श्री विभूति मिश्र** : यह जो भोपाल में खेती के सम्बन्ध में बातें हुईं, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो बातें हुई उनको सरकार कहां तक कार्यान्वित कर पाई है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : इसका मक्सद ज्यादातर हमारी जो प्रगति हुई है एक्सटेंशन (विस्तार) के काम में, उसको जो इधर वाले देश हैं, उनके कैंडिडेट्स (अभ्यर्थियों) को बतलाने के लिये की थी । इसमें कोई भी ज्यादा चीजें नहीं हैं जिनके कि ऊपर हमें आगे कुछ करना है, मगर जो भी सुझाव होंगे उन पर अमल किया जायेगा ?

**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि १३ नम्बर पर यह जो 'कृषि विकास में कृषकों द्वारा काम में लाये जाने वाले उपकरण तथा वस्तुओं के स्रोत' के सब्जेक्ट (विषय) का जिक्र आया है, तो सरकार अपने देश में इसको कहां तक कार्यान्वित कर पाई है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : उस सैमिनार (गोष्ठी) से तो उसका कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है क्यों कि वहां पर तो जो कुछ भी करना चाहिये, यह बतलाया गया है । उसके लिये हमारे पास अलग स्कीमें हैं और अलग योजनायें हैं ?

**श्री विभूति मिश्र** : इस सैमिनार में भारत सरकार का कुल कितना खर्चा पड़ा है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : ४,२५० रुपये ।

## स्टेशन मास्टरों का स्थानान्तरण

†*७९४. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५५ में रतलाम के जिला यातायात अधीक्षक ने ११७ स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के सामूहिक स्थानान्तरण का आदेश दिया था;

(ख) क्या यह स्थानान्तरण किये गये थे;

(ग) ऐसे आदेश के दिये जाने के क्या कारण थे; और

(घ) उन स्थानान्तरणों में कितना व्यय हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन मन्त्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां । अक्टूबर १९५५ में ।

(ख) हां, केवल दस को छोड़कर ।

(ग) ८८ निचले पदक्रम से पदवृद्धि के कारण किये गये थे, १२ कार्यवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के फलस्वरूप और १७ स्वयं कर्मचारियों के अनुरोध पर किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कुल व्यय कितना हुआ इसे जानने के लिये काफी परिश्रम की आवश्यकता है। कर्मचारियों को सामान के लिये पास और निःशुल्क पास दिये गये हैं। उन्हें कार्यग्रहण के लिये समय भी दिया गया है। माल के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिये जो पास दिये गये हैं उनकी लागत को निर्धारित करने में बहुत सी गणनायें करनी होंगी।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करेंगे कि क्या यह स्थानान्तरण अधिकारियों ने केवल अपनी इच्छा से ही किये थे ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हम इस बात की जांच करेंगे।

†**श्री जोकीम आल्वा :** स्टेशन मास्टरों की धृति, अनुभव और प्रशिक्षण के लिये क्या किया जा रहा है ? क्या इसके लिये आप किसी वार्षिक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हैं या सामान, पास आदि के दिये जाने पर निर्भर करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका सम्बन्ध स्टेशन मास्टरों के स्थानान्तरण से है।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि अधिक से अधिक कितनी अवधि तक कोई स्टेशन मास्टर या उसका सहायक एक ही स्थान पर रखा जा सकता है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** एक स्टेशन पर कार्यकरण की सामान्य अवधि पांच वर्ष होती है। किन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कि लोग इससे भी अधिक अवधि तक एक ही स्टेशन पर रहे हैं।

**भूमि का कटाव**

†*७९५. **श्री गिडवानी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि के कटाव को रोकने के लिये भूमि संरक्षण बोर्ड द्वारा जो विभिन्न उपाय काम में लाये गये थे उन पर सरकार द्वारा १९५५ के अंत तक कितनी राशि व्यय की गई ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायताओं और ऋणों पर ३८,९४,५२६ रुपये और केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड के अंतर्गत स्थापित केंद्रों पर इस प्रकार व्यय किया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| वित्तीय सहायता | | १२,४१,०६७ रुपये |
| ऋण | | १४,३९,४७१ रुपये |
| भूमि संरक्षण केंद्र | | १२,१३,९८७ रुपये |
| | कुल | ३८,९४,५२६ रुपये |

†**श्री गिडवानी :** भूमि संरक्षण बोर्ड द्वारा उक्त उपायों के काम में लाये जाने के कारण विगत कुछ वर्षों में कृषि योग्य ऐसी भूमि का, जिसका कृष्यकरण किया गया है अथवा जिसे भूमि कटाव से बचाया गया है कुल क्षेत्रफल कितना है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** कुल क्षेत्रफल कितना है यह मैं नहीं बता सकता हूं, किन्तु उक्त क्षेत्रफल बहुत अधिक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमने इस बोर्ड की स्थापना इस प्रश्न को सुलझाने के लिये ही की है।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या यह सच है कि कहीं-कहीं दरख्तों को इस बुरी तरह से बिना किसी बात का विचार किये हुये काटा जा रहा है जिसके कारण इरोजन (भूमि कटाव) होता है और

†मूल अंग्रेजी में

यह दरख्त हिमालय के प्रदेशों में अधिक काटे जा रहे हैं ? इसका बन्दोबस्त करने का क्या सरकार कुछ प्रबन्ध करेगी ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** यह सच है कि काफी जगहों पर इस प्रकार से वृक्षों को काटा जाता है, मगर यह काम सूबों की सरकार के जिम्मे है और मैं समझता हूं कि वे कुछ न कुछ प्रबन्ध करती होंगी ।

†**श्री अमजद अली :** क्या मैं जान सकता हूं कि भूमि के कटाव के लिये जूम किस्म की खेती कहां तक उत्तरदायी है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** हम इस बात को जानते हैं कि जूम किस्म की खेती से भूमि को काफी हानि होती है ।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समुद्र-कटाव-विरोधी कार्य भी उक्त बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कार्य को भी इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने का विचार रखती है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** मुझे खेद है कि हमने इस समस्या के लिये ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है ।

†**श्री अमजद अली :** पहाड़ी क्षेत्रों में जूम किस्म की खेती के किये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** हमारे समक्ष कुछ सुझाव हैं और जूम खेती के प्रभावों की जांच किये जाने का एक प्रस्ताव भी है ।

†**श्री गिडवानी :** इन उपायों के काम में लाये जाने से जिस भूमि की अब तक कटाव से रक्षा की गई है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** मैं इस प्रश्न की सूचना चाहता हूं ।

## जूट

*७९८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई जांच कराई है कि किन राज्यों में अच्छी किस्म के जूट का बीज पाया जाता है; और

(ख) क्या सरकार जूट का बीज गैर-सरकारी व्यक्तियों से भी खरीदती है ?

**कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) जी नहीं । लेकिन आमतौर से यह मालूम है कि अच्छे बीज तकरीबन सारे पटसन उगाने वाले राज्यों में पैदा किये जा सकते हैं ।

(ख) जी हां । आवश्यकता होने पर, रजिस्टर्ड ग्रोअर्स (पंजीबद्ध उत्पादकों) और चुने हुये किसानों से खरीदे जाते हैं ।

**श्री विभूति मिश्र :** क्या सरकार को पता लगा है कि कम से कम बिहार में किसानों के पास जो बीज पड़ा हुआ है उसको वह बेच नहीं पाये हैं क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** शायद यह सच हो. लेकिन इसका इन्तजाम तो बिहार सरकार के अधीन है ।

**श्री विभूति मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह बिहार सरकार के अधीन है तो केंद्रीय सरकार इसके लिये क्या करेगी ? सरकार कहती है कि जूट की क्वालिटी (किस्म) बढ़ानी चाहिये लेकिन हम लोगों को इसके लिये पैसा कहां से मिलेगा जबकि जूट किसानों के पास पड़ा हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**डा० पी० एस० देशमुख :** हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि बीज पड़ा हुआ और उससे नुकसान होता है । जब आयेगी तब हम उस पर विचार करेंगे ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा :** पाकिस्तान से आयात किये गये जूट की किस्म को उगाने के लिये क्या प्रयत्न किया गया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** हमारे अपने केंद्र हैं जहां हम अच्छे बीज उगाने का प्रयत्न करते हैं ।

**श्री विभूति मिश्र :** क्या यह सही है कि पाकिस्तान वाले जूट का बीज बिहार में खरीदते हैं और वहां से ले जाते हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** मैं इस प्रश्न की सूचना चाहता हूं ।

†**श्रीमती सुषमा सेन :** क्या मैं जान सकती हूं कि बिहार के ऐसे क्षेत्रों को, जो जूट की खेती करते हैं उपकरण आदि का प्रदाय करने की कोई योजना है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** इसका निर्देश जूट के बीजों से है ।

## रेलवे रक्षा बल

†*७९९. **श्री गिडवानी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की सम्पति के परित्राण के लिये सरकार एक रेलवे रक्षा बल बनाने की प्रस्थापना करती है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे के पुराने सुरक्षा और प्रतिपालन विभाग के कर्मचारीवृन्द को, इस नाम के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]**

†**श्री गिडवानी :** योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

†**श्री अलगेशन :** यह बताने में मैं इस समय असमर्थ हूं ।

†**श्री गिडवानी :** योजना की क्रियान्विति कब की जायेगी ?

†**श्री अलगेशन :** योजना की क्रियान्विति इस समय की जा रही है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि विवरण में यह क्यों नहीं बताया गया है कि इस उपद्रव को रोकने के लिये जिस के लिये कि उक्त पुनर्गठन किया जा रहा है इन सुरक्षात्मक बलों को शक्ति प्रदान करने के लिये रेलवे मंत्रालय द्वारा कौन सी शक्तियां ग्रहण की जायेंगी ?

†**श्री अलगेशन :** मेरा ख्याल है कि विवरण में इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी गई है । मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि हम इस विषय पर शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करते हैं ।

**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या यह सच है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (रेलवे रक्षा बल) जो मुकर्रर की जा रही है, और सिविल पुलिस का को-ऑर्डिनेशन (समन्वय) करने के सम्बन्ध में जो पत्र व्यवहार हुआ है उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन :** जी, हां । हम उसकी गतिविधियों का विभिन्न राज्यों के नागरीय पुलिस अधिकारों के साथ समन्वय करने के लिये प्रयत्नशील हैं । कतिपय मामलों में अभी वार्तायें की जा रही हैं और संभव है कि शीघ्र ही वह किसी संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंच जायें ।

**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड इस बात पर राजी नहीं हो रहा है कि जो सिविल पुलिस फोर्स है उसका सारा इन्तज़ाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास रहे न कि सिविल पुलिस अफ़सरों के पास ?

†**श्री अलगेशन :** माननीय सदस्य के इस प्रश्न का आशय मैं समझ नहीं पाया हूं ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## रेलवे में विशेष श्रेणी के शिशिक्षु

†*७६८. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में विशेष श्रेणी के शिशिक्षु पदों के चुनाव के लिये उम्मीदवारों को हाल ही में इन्टरव्यू (भेंट) के लिये नई दिल्ली बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें निःशुल्क यात्रा सुविधायें प्रदान की गई थीं; और

(ग) यदि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार ने किस प्रकार से यह सुनिश्चय किया कि नई दिल्ली से दूर स्थित स्थानों से योग्य उम्मीदवार इन्टरव्यू (भेंट) के लिये आ सकें ?

†**रेलवे मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) उम्मीदवारों को इन्टरव्यू (भेंट) में आने के लिये पर्याप्त सूचना दी जाती है ।

## दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

†*७७४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित अभ्यंश में से, मई १९५२ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९५५ तक उन्हें दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या;

(ख) उक्त अवधि में ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विस्थापित व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या; और

(ग) उन आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये जाने के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रणाली ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) दिल्ली में ७१ और नई दिल्ली में ९६ ।

(ख) दिल्ली में ६६६ और नई दिल्ली में ५५२ ।

(ग) उक्त आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन टेलीफोन परामर्शदात्री समिति के परामर्श पर दिये जाते हैं ।

## भावों को गिरने से रोकने की नीति

†*७७५. **श्री बी० के० दास :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भावों को गिरने से रोकने की नीति लागू करने पर कुल कितना व्यय हुआ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या खरीदे गये स्टाक बेच दिये गये हैं; और

(ग) कुल हानि, यदि हुई हो, तो कितनी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) केवल खाद्यान्न के लिये दिया गया मूल्य २६७ लाख रुपये था। किन्तु राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रासंगिक व्यय के पूरे लेखे प्राप्त नहीं हुये हैं और इसलिये कुल प्रासंगिक व्यय कितना हुआ यह इस अवस्था में बताना संभव नहीं है।

(ख) अधिकांश स्टाक राज्य सरकारों द्वारा बिक्री के लिये मुक्त करके या व्यापारियों को बेच कर के पहले ही निबटाया जा चुका है। जो कुछ थोड़ा बकाया है उसे भी बेचा जा रहा है।

(ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है इस सम्बन्ध में किये गये प्रासंगिक व्यय के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं, और इसलिये, मूल्य समर्थन नीति के अन्तर्गत खरीदे गये खाद्यान्न के विक्रय पर हुई कुल हानि को, यदि हुई हो तो, इस अवसर पर बताना संभव नहीं है।

## रेलवे की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकतायें

†*७८०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में रेलवे की इस्पात सम्बन्धी कुल आवश्यकतायें; और

(ख) उन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लगभग ५० लाख टन।

(ख) जहां तक संभव होगा देशी स्रोतों से और शेष को आयात करके।

## गोरखपुर लोकोशॉप

*७८२. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर लोकोशॉप की मशीनशॉप से कार्य क्षमता रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त लोकोशाप का वास्तविक कार्य ३० प्रतिशत है जब कि रिपोर्ट में उसे ८० प्रतिशत बताया गया है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

## गुड़

†*७८३. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
**श्री अस्थाना** :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार से गुड़ के मूल्य समर्थन के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) बिहार में गुड़ का वर्तमान मूल्य और इसका आर्थिक मूल्य क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) बिहार (पटना मंडी) में गुड़ का औसतन भाव १३ रुपये प्रति मन है। गुड़ का आर्थिक मूल्य क्या है यह बताना सम्भव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

## परिवार आयोजन

†*७८५. **श्री तेलकीकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि भारत में 'परिवार नियोजन' के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : लोगों को परिवार नियोजन का महत्व बताने और तरीके सिखाने के लिये भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों पर १३६ परिवार नियोजन केंद्र (क्लिनिक) खोले गये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इन केंद्रों को चलाने और गवेषणा कार्य करने के लिये राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं और ऐच्छिक संगठनों को अब तक २०,२७,६३० रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में दी गई है।

## डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी

†*७८६. { **श्री पुन्नूस** :
**डा० रामा राव** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को १६५१ तक एक वर्ष में २० दिन की आकस्मिक छुट्टियां मिला करती थीं; और

(ख) यदि हां, तो १६५१ के पश्चात् इनकी संख्या को २० दिन से घटा कर १५ दिन क्यों कर दिया गया ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, १६५१ से पूर्व केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को वर्ष में २० दिन की आकस्मिक छुट्टियां मिला करती थीं।

(ख) सरकार के सामान्य निर्णय के अनुसार कि, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये १५ दिन की आकस्मिक छुट्टियां पर्याप्त हैं, ऐसा किया गया था।

## 'अधिक चारा उपजाओ' आन्दोलन

†*७८८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय गोसंवर्द्धन परिषद द्वारा आरम्भ किये गये 'अधिक चारा उपजाओ' आन्दोलन की रूप रेखा क्या है; और

(ख) आन्दोलन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) आन्दोलन में मुख्यतः यह बातें शामिल हैं :

(१) "अधिक दूध और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये फलीदार चारा" नामक पोस्टर का व्यापक वितरण।

(२) गोसंवर्द्धन पत्रिका का "दाना तथा चारा" नामक विशेषांक का प्रकाशन; और

(३) नवम्बर १६५५ में मनाये गये गोसंवर्द्धन सप्ताहों में चारा उत्पादन का महत्व बताने के लिये बैठकों का आयोजन।

(ख) यह आन्दोलन गोसंवर्द्धन सप्ताह का ही एक अंग था अतः इस आन्दोलन पर किये गये व्यय का कोई पृथक लेखा नहीं रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**गन्ना**

†*७९६. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
**श्री अस्थाना :**

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अनुमानतः कितना फालतू गन्ना गुड़ बनाने वाले क्षेत्र से चीनी के कारखाने में भेजा जाना आवश्यक है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

**रेलवे अस्पताल**

†४४१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत में क्षेत्रवार कितने रेलवे अस्पताल खोले गये;

(ख) उन पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) १९५६-५७ में कितने खोले जाने को हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दक्षिण पूर्वी रेलवे पर एक ।

(ख) २२,९७१ रुपये ।

(ग)

| | |
|---|---|
| उत्तर रेलवे | १ |
| पूर्वोत्तर रेलवे | २ |
| दक्षिण पूर्वी रेलवे | १ |
| दक्षिण रेलवे | २ |
| कुल | ६ |

**महेन्द्रगढ़ और पहलेजाघाट के बीच टेलीफोन सम्पर्क**

†४४२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दीघाघाट और महेन्द्रगढ़ को टेलीफोन द्वारा पहलेजाघाट से मिलाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : कार्य के लिये प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है । भंडार का प्रबंध किया जा रहा है । एक मास में काम के पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

**पूर्वोत्तर रेलवे में रात को सोने के लिये यात्री डिब्बे**

†४४३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में तृतीय श्रेणी के रात को सोने के लिये यात्री डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस क्षेत्र में ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये और अधिक गाड़ियों में भी रात को सोने के सुविधा की व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जा रही है । इस जांच के हो चुकने पर इस सुविधा को बढ़ाने का अग्रेतर कार्यक्रम निश्चित किया जायेगा । इसके साथ ही यह प्रश्न वर्तमान द्वितीय श्रेणी का अन्त करने और भीड़ को कम करने के लिये यात्री डिब्बों की संख्या को बढ़ाने के प्रश्न से भी सम्बन्धित है ।

†मूल अंग्रेजी में

**अपीलों के लिये समय-सीमा**

†४४४. **श्री आर० के० गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवेज में अपील करने वालों को उनकी अपीलों पर अपील सुनने वाले प्राधिकारियों द्वारा किये गये निर्णय की सूचना देने के लिये कोई समय-सीमा निश्चित की गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार अपील करने वालों की कठिनाई को दूर करने के लिये इस सम्बन्ध में कोई निदेश देने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) अपीलों के शीघ्रता से निबटाये जाने के लिये पहले ही निदेश दिये हुये हैं ।

**गाड़ियों में अत्यधिक भीड़**

†४४५. **श्री डाभी :** क्या **रेलवे** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने २०२ डाऊन दिल्ली मेल और २०४ डाऊन दिल्ली ऐक्सप्रेस गाड़ियों में भीड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यह कार्यवाहियां कहां तक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). २०२ डाऊन दिल्ली मेल और २०४ डाऊन दिल्ली ऐक्सप्रेस गाड़ियां दिल्ली-अहमदाबाद सैक्शन पर चलती हैं और इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली इंजन द्वारा अधिक से अधिक जितने डिब्बे खींचे जा सकते हैं उतने लगाये जाते हैं । और इनमें कोई अतिरिक्त डिब्बे नहीं लगाये जा सकते हैं । दिल्ली-अहमदाबाद सैक्शन पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों में भी डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है, परन्तु इतना सब करने पर भी पूर्वोक्त गाड़ियों में भीड़ में कोई कमी नहीं हुई है । १-४-१९५७ से, जबकि अधिक यात्री डिब्बे और इंजन उपलब्ध हो जाने की संभावना है, इस सैक्शन पर एक जनता-व-पार्सल गाड़ी चलाने का विचार है ।

**रेल गाड़ियों में पशुओं का ले जाया जाना**

†४४६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को जनता से इस विषय में कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि रेलों में पशुओं को, (चौपाये यात्रियों को) विशेषकर लम्बी यात्रा में, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) मुख्यत: मालगाड़ी के डिब्बों में बहुत से पशुओं के घुसेड़ देने और पानी न मिलने के कारण होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में शिकायतें की गई थीं । इस भीड़ को रोकने के लिये, यह पहले ही निश्चित कर दिया गया है कि एक बड़ी लाइन के माल के चार पहियों वाले डिब्बों में यदि बछड़े साथ हों तो आठ पशु और यदि केवल सींग वाले पशु ही हों तो दस से अधिक पशु न रखे जायें । यद्यपि पशुओं को चारा खिलाने और पानी पिलाने के लिये वही व्यक्ति उत्तरदायी हैं जो उनके साथ रहते हैं परन्तु फिर भी यह निदेश जारी कर दिये गये हैं कि गाड़ियों के गार्ड इस बात का ध्यान रखें कि स्टेशनों पर पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को पशुओं को पानी पिलाने के लिये पर्याप्त सुविधायें दी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे निरीक्षणालय**

†४४७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १६५५ में रेलवे निरीक्षणालय ने नये ढंग के रेलवे इंजनों और डिब्बों के चालू किये जाने के बारे में क्या मुख्य सुझाव दिये ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** १६५५ में रेलवे निरीक्षणालय ने नऐ ढंग के इंजनों और डिब्बों में चालू किये जाने से सम्बन्धित १३ मामलों का परीक्षण किया और सिफारिशें कीं। एक विवरण, जिसमें इन सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [ **देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८** ]

**ग्रामीण जल व्यवस्था और सफाई की योजना**

†४४८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय जल पूर्ति और सफाई की योजना के अन्तर्गत १६५५ में केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है; और

(ख) कितने राज्यों ने ग्राम समूहों के लाभ के लिये वास्तव में इस योजना को कार्यान्वित किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** (क) १६।

(ख) मांगी गई जानकारी एकत्र की.जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**रेलवे माल डिब्बे**

†४४६. **श्री इब्राहीम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से दिसम्बर, १६५५ तक की अवधि में निर्माण सार्थों से कितने नये बनाये गये माल डिब्बे प्राप्त हुये हैं; और

(ख) उक्त अवधि में इनमें से कितने दुर्घटनाओं का शिकार हुये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) ७,४६०।

(ख) कोई नहीं।

**प्रविधिक प्रशिक्षण केंद्र**

†४५०. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार द्वारा बिहार में कितने प्रविधिक प्रशिक्षण केंद्र चलाये जा रहे हैं और वे किस प्रकार के हैं;

(ख) प्रत्येक केंद्र में कितने प्रशिक्षणार्थी हैं; और

(ग) सरकार ने प्रशिक्षणार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६**]

---

†मूल अंग्रेजी में

**गोरखपुर रेलवे वर्कशाप**

†४५१. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे वर्कशाप में १९५३-५४ से प्रतिवर्ष कितना मरम्मत-कार्य हुआ है;

(ख) पुनर्गठन और विस्तार के पश्चात्, कितना कार्य हो सकने की आशा है;

(ग) १९५३-५४ से प्रतिवर्ष कितनी राशि के निर्माण-कार्य-देयक बने हैं; और

(घ) क्या वहां विभागीय मोटरकारों की भी मरम्मत की जाती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[ देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १० ]**

(घ) जी, हां ।

**रेलवे टेलीफोन**

†४५२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर "निरापद मार्ग-संकेतों" (लाइन क्लियर सिग्नल्स) को भेजने और प्राप्त करने के लिये टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या आपात-काल में, जनता या सरकारी कर्मचारियों को इन टेलीफोनों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है; और

(ग) क्या इस उपयोग के लिये कुछ शुल्क लिया जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) निरापद मार्ग-संकेतों को भेजने और प्राप्त करने के लिये टेलीफोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनकी व्यवस्था तो केवल खंड-यंत्रों (ब्लाक इन्स्ट्रमैन्ट्स) के उप-साधनों के रूप में ही की जाती है । बार्नेस घाट-डोमोहनी और लालाबाजार-लालाघाट के सैक्शनों को छोड़कर, जिनमें से प्रत्येक में दो स्टेशन हैं, रेलवे के अन्य सभी स्टेशनों पर निरापद मार्ग संकेत संदेश को भेजने और प्राप्त करने के लिये या तो खंड यंत्रों की या मोर्स तारयंत्रों की व्यवस्था है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

**नारियल गवेषणा केन्द्र**

†४५३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में कोई प्रादेशिक नारियल गवेषणा केन्द्र आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल में कितनी नारियल-पौध-शालायें हैं और वे किस तिथि से कार्य कर रही हैं;

(घ) इन पौध-शालाओं के लिये उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उनमें उन्हें कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में पश्चिम बंगाल में कोई प्रादेशिक गवेषणा केन्द्र या कुछ और पौध-शालायें आरम्भ किये जाने की प्रत्याशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य मंत्री (श्री पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार उस योजना पर होने वाले खर्च के अपने हिस्से की व्यवस्था नहीं कर सकी ।

(ग) दो—एक चन्द्रनगर में और दूसरी कूच-बिहार में । ये दोनों क्रमशः ७-६-५१ और १-१०-५४ से कार्य कर रही हैं ।

(घ) चन्द्रनगर की पौध-शाला के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य २४,००० अच्छी किस्मों के पौधे और कूच-बिहार की पौध-शाला का ४,००० पौधे है । चन्द्रनगर की पौध-शाला वार्षिक रूप से जितने अच्छी किस्मों के पौधों का उत्पादन और विक्रय करती है, उनकी संख्या इस प्रकार है :

| वर्ष | बांटे गये पौधों की संख्या |
|---|---|
| १६५१-५२ | २०,००० |
| १६५२-५३ | १४,२१२ |
| १६५३-५४ | ११,४६६ |
| १६५४-५५ | १७,६६५ (लगभग) |

कूच-बिहार की पौध-शाला द्वारा पौधों का वितरण केवल चालू वर्ष में ही आरम्भ किया गया है ; और सम्भरण के लिये लगभग १,८०० पौधे उपलब्ध होने की आशा की जाती है ।

(ङ) एक भी प्रादेशिक गवेषणा केन्द्र आरम्भ करने का विचार नहीं है, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में चार नयी नारियल पौध-शालायें आरम्भ किये जाने की आशा है ।

## पीलिया

†४५४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **स्वस्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने, राजधानी में हाल ही में व्यापक रूप से फैले पीलिया रोग के समय, पीलिया की चिकित्सा के लिये औषधि की देशीय (आयुर्वेदिक) प्रणाली के प्रभाव का पता लगाया है या उसकी परीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). पीलिया रोग की चिकित्सा के लिये कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का प्रभाव तो ज्ञात है, लेकिन जहां तक संक्रामक पीलिया का सम्बन्ध है अभी तक उनके प्रभाव का निर्णय नहीं किया गया है । फिर भी जिन कुछ औषधियों के नमूने प्राप्त हुये थे उन्हें जामनगर स्थित देशीय औषधियों के केन्द्रीय गवेषणा प्रतिष्ठान में विश्लेषण और परीक्षा के लिये भेज दिया गया है । अभी उनकी जांच-पड़ताल हो रही है ।

## रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

†४५५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रेलवे कर्मचारियों (तीसरी तथा चौथी श्रेणी) के निवास के लिये मकानों की व्यवस्था करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) उस रेलवे में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(घ) अभी तक ऐसे कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को क्वार्टर दिये जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) रेलवे की नीति अत्यावश्यक कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करने की हैं। १९५१ से १९५५ तक, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ९,५३६ क्वाटरों का निर्माण किया जा चुका है।

(ख) जी, हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में, सभी रेलवेज़ में उनकी नई बस्तियों समेत कर्मचारियों के क्वार्टरों पर ३५ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) ३१-३-१९५५ को, क्रमशः लगभग ४८ और ९१ हजार।

(घ) ३१-३-१९५५ को, तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के ३७·५ प्रतिशत और चौथी श्रेणी के ४८·९ प्रतिशत के लिये।

## उत्तर रेलवे में चोरियां

†४५६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में, उत्तर रेलवे में कितनी चोरियां हुईं;

(ख) चोरी गये माल का कुल मूल्य कितना था; और

(ग) कितने मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १,७८८।

(ख) ३,६१,३२५ रुपये।

(ग) ६७४।

## रेलवे पार्सलों का दिया जाना

†४५७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के दिसम्बर, और १९५६ के जनवरी तथा फरवरी के मासों में, बड़ा बाजार और हावड़ा स्टेशनों से कन्टाई रोड स्टेशन के लिये पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के कितने पार्सल बुक हुये;

(ख) वे कन्टाई रोड स्टेशन में कब (तिथिवार) पहुंचे; और

(ग) क्या यह सही है कि हावड़ा से बुक किया गया प्रश्न-पत्रों का एक पैकेट सात दिन बाद भी कन्टाई रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच सका था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९५५ के दिसम्बर और १९५६ के जनवरी माहों में बड़ा बाजार नगर बुकिंग कार्यालय और हावड़ा रेलवे स्टेशन से कन्टाई रोड स्टेशन के लिये पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के क्रमशः ४० और १६ प्रेष्य बुक किये गये थे। उड़ीसा में होने वाले उपद्रवों के कारण, २१-१-१९५६ से १२-२-१९५६ तक कन्टाई रोड स्टेशन के लिये पार्सलों का बुकिंग बन्द कर दिया गया था।

(ख) मांगी गई सूचना देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) दिसम्बर १९५५ और जनवरी १९५६ के बीच हावड़ा से कन्टाई रोड स्टेशन के लिये ऐसा कोई भी पार्सल बुक नहीं किया गया था, जिसको प्रश्न-पत्रों का पार्सल बताया गया हो।

## खड़गपुर-भगवानपुर टेलीग्राफ लाइन

†४५८. **श्री बी० के० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मिदनापुर जिला लाइन की खड़गपुर-भगवानपुर स्थानीय लाइन (टेलीग्राफ) पर बहुत अधिक रुकावटें पड़ती हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) उसे ठीक से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां। बहुधा रुकावटें पड़ती हैं। गत वर्ष में औसत रूप से प्रति माह लगभग सात।

(ख) चूंकि इस लाइन का अधिकांश भाग तटीय क्षेत्र में है, इसलिये तार और खंभों में असाधारण रूप से जंग लग जाता है। इसके फलस्वरूप, तार बहुधा टूट जाते हैं।

(ग) जंग लगे हुये खंभों और तारों के स्थान पर, नयी सामग्री लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

## देहाती डाकघर

†४५९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
**श्री अस्थाना** :
**बाबू रामनारायण सिंह** :

क्या **संचार** मंत्री निम्नांकित को लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में नये डाकघर खोलने के सम्बन्ध में, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतियां; और

(ख) क्या किसी भी वर्तमान डाकघर के तीन मील के घेरे से बाहर पड़ने वाले २,००० या उससे अधिक जनसंख्या वाले किसी गांव में और क्या उस नये डाकघर के चलाये जाने के फलस्वरूप वर्तमान बड़े डाकघर को होने वाले घाटे की संभावना का विचार न करते हुये एक नया डाकघर खोला जा सकता है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में नये डाकघर खोलने के सम्बन्ध में जारी किये गये इन सरकारी आदेशों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

| | **ज्ञापन संख्या** | **आदेशों की तिथि** |
|---|---|---|
| (क) | पी० ई० ४०–२४/४९ | १२-५-४९ |
| (ख) | पी० एल० जी० १–५/५३ | २६-६-५३ |
| (ग) | पी० एल० जी० १–५/५३ | १२-७-५४ |
| (घ) | पी० एल० जी० १४–५/५४ | १९-८-५४ |
| (ङ) | पी० एल० जी० १–८/५३-क | १६-१०-५४ |
| (च) | पी० एल० जी० १–१–५५ | २७-४-५५ |
| (छ) | पी० एल० जी० १–३/५४ | १५-१०-५५ |
| (ज) | पी० एल० जी० १–१/५५ | १०-२-५६ |

(ख) नये डाकघर खोलकर वर्तमान डाकघरों के यातायात के कुछ परिमाण को उनमें भेज दिया जाता है। नये डाकघरों को खोलते समय इस प्रकार यातायात के हटाने के फलस्वरूप बड़े डाकघरों को होने वाले घाटे का भी विचार किया जाता है। ऐसे बड़े डाकघरों के सम्बन्ध में, डाक और तार विभाग ५०० रुपये प्रति वर्ष तक का घाटा सहन करता है। यदि नया डाकघर खोलने पर बड़े डाकघर को ५०० रुपयों से अधिक का घाटा होता है, तो ५०० रुपयों से अधिक घाटे की रकम उन पक्षों को वापस न होने वाले अंश दान द्वारा अदा करनी पड़ती है जिनके हित में वह नया डाकघर खोला जाता है। चूंकि इन

†मूल अंग्रेजी में

नये डाकघरों को खोलने से बड़े डाकघरों की सेवा का क्षेत्राधिकार कम हो जाता है, इसलिये उसकी स्थापना के सम्बन्ध में पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि घाटे की रकम को कम करने और इसे नये डाकघरों के खोलने में बाधा न होने देने के लिये खर्च में कमी या बचत की जा सके। पिछड़े हुए क्षेत्रों में खोले गये डाकघरों पर भी यही बात लागू होती है।

**बिहार में टेलीफोन के खंभों की व्यवस्था**

†४६०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
**श्री अस्थाना :**
**बाबू रामनारायण सिंह :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन कनेक्शनों के लिये दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को ठीक समय पर लकड़ी के खंभों के सम्भरण के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मोकामा दक्षिण बिहार में डाक और तार विभाग द्वारा अपेक्षित लकड़ी की बल्लियों के वाहनान्तर के लिये माल-डिब्बों के आवंटन को उच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता और उत्तर बिहार के बीच यातायात का गतिरोध राज्य सरकार को लगातार बतायी गयी थी। इसी के फलस्वरूप, उत्तर बिहार की समूची आवश्यकता के लायक लकड़ी की बल्लियां अब तक उठा ली गई हैं और अब उत्तर बिहार में दूर संचार सुविधाओं को विस्तृत करने के कार्य में प्रगति हो रही है।

**बाम्मुगाची रेलवे यार्ड में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना**

†४६१. **श्री एम० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जनवरी १९५६ के अन्तिम दिनों में रेलवे रक्षा पुलिस ने हावड़ा के समीप बाम्मुगाची रेलवे यार्ड में गोली चलायी थी;

(ख) यदि हां, तो गोली चलाने का क्या कारण था;

(ग) कितने व्यक्ति मरे या घायल हुए;

(घ) क्या उसकी जांच करने का कोई आदेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) जब कि कुछ उपद्रवी व्यक्ति विद्युतीकरण परियोजना कार्य के काम में आने वाले लकड़ी की शहतीरों को हटाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां नियुक्त रेलवे रक्षा बल और रेलवे रक्षा पुलिस के कर्मचारियों ने शहतीरों को हटाने के इस गैर-कानूनी कार्य को रोकने का प्रयास किया। इस पर झगड़ा हो गया और इसके फलस्वरूप रेलवे रक्षा पुलिस की गश्ती टुकड़ी को गोली चलानी पड़ी।

(ग) मृत—१
घायल—१

(घ) जी, हां।

(ङ) चूंकि इस मामले की अभी गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की जा रही है, इसलिये उसके परिणाम ज्ञात नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

**सहकारिता का प्रशिक्षण**

†४६२. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर में एक प्रादेशिक सहकारिता प्रशिक्षण संस्था खोली गई है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने उम्मीदवार प्रशिक्षण पा रहे हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने प्रशिक्षण के लिये उम्मीदवार भेजे हैं; और

(घ) इस संस्था का वार्षिक व्यय क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) २७; अभी छः उम्मीदवार राजस्थान से और आयेंगे ।

(ग) मध्य भारत, राजस्थान , अजमेर और विंध्य प्रदेश ।

(घ) संस्था का अनुमानित वार्षिक व्यय १ लाख रुपये है । यह सारा व्यय 'रिजर्व बैंक आफ इंडिया' करता है , भारत सरकार नहीं करती ।

**अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन**

†४६३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत ट्रेक्टर और कृषि सम्बन्धी दूसरे उपकरण खरीदने के लिये कृषकों को अग्रिम रुपया देने के लिये मध्य भारत सरकार को चालू वर्ष में ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के अधीन चालू वित्तीय मध्य भारत सरकार को ७५ हजार रुपयों का ऋण मंजूर किया गया है जोकि किसानों को ट्रेक्टर वर्षों में और ट्रेक्टरों के अतिरिक्त अन्य पुर्जे तथा अन्य औजार खरीदने के निमित्त तकावी ऋण देने के लिये है ।

**राष्ट्रीय राजपथ**

†४६४. **सरदार इक्बाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४, १९५५ और १९५६ में पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजपथ योजना के अन्तर्गत कुल कितने मील लम्बे मार्ग बनाये गये और इन वर्षों में कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) अब तक दिल्ली-फीरोजपुर-फाजिलका सड़क कितनी बनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[ देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३ ]**

(ख) सारे दिल्ली-फाजलिका राष्ट्रीय राजपथ पर धूअजतु (एस्फाल्ट) डाल दिया गया है यह राजपथ दिल्ली से रोहतक तक इतना चौड़ा कर दिया गया है कि दो गाड़ियां बराबर-बराबर चल सकें और घागर पर एक पुल बना दिया गया है । फाजलिका-फीरोजपुर सड़क राष्ट्रीय राजपथ नहीं है परन्तु इसे सुधारने और इस पर धूअजतु (एस्फाल्ट) डालने के लिये सहायता दी गई थी ।

**जम्मू तथा काश्मीर में डाक सुविधायें**

†४६५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ और १९५५-५६ में जम्मू तथा काश्मीर में कितने डाक तथा तार घर खोले गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ।

## तिलहन

†४६६. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६५५-५६ में देश में तिलहन का कम उत्पादन हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले वर्ष की फसल की अपेक्षा अनुमानत: कितनी कमी हुई; और

(घ) बढ़ते हुये मूल्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) से (ग). आजकल पांच मुख्य तिलहन की फसलों में से, अर्थात्, मूंगफली, अलसी, अंडी, सरसं और तिल में से, केवल मूंगफली और तिल के उत्पादन-प्राक्कलन उपलब्ध हैं । १६५५-५६ के लिये मूंगफली के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार इस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा लगभग ७·८ प्रतिशत कमी हुई है और इसका कारण यह था कि सौराष्ट्र और देश के कुछ अन्य भागों में वर्षा ऋतु के आरम्भ में थोड़ी वर्षा हुई थी । १६५५-५६ के लिये तिल के अखिल भारतीय तृतीय प्राक्कलन के अनुसार, इस फसल के उत्पादनों में पिछले वर्ष के तत्सम्बन्धी समायोजित प्राक्कलन की अपेक्षा लगभग २१·६ प्रतिशत कमी हो गई और इसका कारण यह है कि इस वर्ष, विशेषकर इस फसल के बढ़ने के समय, इस फसल के अनुकूल मौसम न था । इस प्राक्कलन में १६५५-५६ में इस फसल के पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं दी गई है ।

(घ) सरकार उत्पादन की प्रवृत्ति, उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं, मूल्यों, अन्तर्देशीय मूल्यों पर निर्यात के प्रभाव आदि पर बराबर नजर रख रही है तथा निर्यात-नीति, शुल्कों, आदि में यथासमय समायोजन करने जैसी उपयुक्त कार्यवाही कर रही है ।

## औद्योगिक विवाद

†४६७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४ के वर्ष की अपेक्षा १६५५ के वर्ष में कितने औद्योगिक विवाद दर्ज हुये; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितने मजदूर सन्निहित थे ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जिन औद्योगिक विवादों के फल-स्वरूप काम रुक गया था, उनके आंकड़े निम्न हैं :

| काल | विवादों की संख्या | सन्निहित मजदूरों की संख्या |
|---|---|---|
| १६५४ | ८४० | ४७७,१३८ |
| १६५५ | ११२६* | ४६८,८२४* |

*आंकड़े आन्तरिम हैं

नोट :—केवल भाग 'क' के राज्यों और भाग 'ग' के दिल्ली और अजमेर के आंकड़े उपलब्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**असैनिक उड्डयनके कर्मचारी**

†४६८. **श्री बी० वाई० रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असैनिक उड्डयन विभाग के सभी कार्यकारी कर्मचारीयों के लिये भी अधिक समय तक काम करने की भत्ता योजना को लागू करने के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू होगी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख) अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है किन्तु प्रस्ताव को विस्तृत रूप से जांच करने के लिये सामग्री इकट्ठी की जा रही है।

**असैनिक उड्डयन विभाग**

†४६६. **श्री बी० वाई० रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के ऐसे कितने स्थान हैं जो गत पांच वर्षों से अधिक कालावधि से अस्थायी चले आ रहे हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** मांगी गई जानकारी बनाने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [ **देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४** ]

**सागर में नये डाकघर**

†४७०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में पिछले चार वर्षों में कितने नये डाकघर खोले गये हैं;

(ख) ऐसे डाकघरों में से शहरी और देहाती क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले गये हैं, और उन में विभागीय और अतिरिक्त विभागीय डाकघर कितने-कितने हैं;

(ग) देहाती क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन निर्धारित लक्ष्य इस जिले में कहां तक पूरा हो चुका है; और

(घ) क्या उक्त जिले के एक हजार और उससे ज्यादा आबादी वाले सब गांवों में डाकघर खोलने के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

†**संचार मंत्रालम में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) तथा (ख). एक विवरण-पत्र जिसमें मांगी हुई सूचना दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [ **देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५** ]

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना (३१-३-५६) के अन्तर्गत सागर जिले में कुल ६० डाकघर खोले जाने हैं और डाकघरों को खोलने का लक्ष्य (तब तक) पूरा हो जायेगा।

(घ) नहीं, तथापि डाकखाने खोलने के विषय में इस बात पर विचार किया जाता है कि और गांवों को मिलाने से उनकी जनसंख्या २,००० या अधिक हो जाये।

**विभागीय डाकघर (सागर)**

†४७१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में १६५४-५५ और १६५५-५६ में कितने विभागीय डाकघरों में तार भेजने की सुविधा की व्यवस्था की गई और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह सुविधा दी गई;

(ख) अन्य डाकघरों में ऐसी सुविधा देने के लिये सरकार की वर्तमान नीति क्या है ;

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उस नीति को उदार बनाया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य किस प्रकार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १६५४-५५ — १ (बीना, इटावा)
१६५५-५६ — कोई नहीं

(ख) ऐसे स्थानों के लिये जिनकी जनसंख्या ५,००० से कम नहीं है ५०० रुपये तक की वार्षिक हानि अनुमत है बशर्ते कि उस स्थान के ५ मील के भीतर कोई अन्य विभागीय तार-घर न हो। जिला, सब-डिवीजन तथा तहसील हैडक्वाटरों के स्थानों के लिये और अधिक हानि अनुमत है। अन्य स्थानों के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जबकि उसमें विभाग को कोई हानि न हो।

(ग) तथा (घ). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित सीमा में उदारता बर्तने के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

**हावड़ा स्टेशन पर टिकट घर**

†४७२. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्षों से यात्रियों की संख्या बढ़ जाने के कारण हावड़ा स्टेशन पर टिकट घरों के कर्मचारियों को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टिकट बेचने वाले कर्मचारियों तथा टिकट बेचने की खिड़कियों की संख्या बढ़ाने का है ?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां।

(ख) जी हां।

**आंध्र के नागरिक क्षेत्रों में जल व्यवस्था और नाली योजना**

†४७३. { **डा० रामा राव** :
**श्री मोहन राव** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) आंध्र सरकार को शहरी क्षेत्रों में पानी के संभरण और जल निस्सारण योजना के लिये १ फरवरी १६५६ तक कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) उपरोक्त काल में कितने धन का उपयोग किया गया है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) १०,००० लाख रुपये।

(ख) ६४ लाख रुपये।

**डाकखाने के फार्मों की व्यवस्था**

†४७४. **श्री पुन्नूस** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई केंद्र के डाकखानों में फार्मों तथा स्टाक की अन्य वस्तुओं का संभरण अनियमित और अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां तो स्थिति का सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां। डाक तथा तार विभाग के द्रुत गति से होने वाले विकास के साथ-साथ वर्तमान सरकारी प्रेस और संभरण विभाग द्वारा फार्म तथा स्टाक की वस्तुयें न दी जाने के कारण संभरण नियमित नहीं रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) स्थिति सुधारने के लिये बहुत से पग उठाये गये हैं। फार्मों का भण्डार करने तथा उसका वितरण करने का कार्य डाक तथा तार विभाग ने अभी हाल में अपने हाथों में ले लिया है। इस बीच में छपाई तथा लेखन-सामग्री विभाग भी प्रेसों की छपाई की क्षमता को बढ़ाने के लिये आवश्यक पग उठा रहा है। सरकार भी भाण्डार क्रय समिति की सिफारिशों के आधार पर स्टाक की विभिन्न वस्तुओं के संभरण में देरी को दूर करने और शीघ्रता से संभरण करने के लिये प्रयत्न कर रही है।

**एयर इंडिया इंटरनेशनल**

†४७५. **सरदार इकबाल सिंह :**
**श्री आर० के० गुप्त :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल ने दूसरे देशों में कुछ हवाई कम्पनियों की अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति की है;

(ख) इस प्रकार की हवाई समवायों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन देशों के हैं; और

(ग) करार की मुख्य शर्तें क्या हैं जिनके आधार पर इन हवाई कम्पनियों को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है और किस तिथि से ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

**यात्री मार्ग दर्शक**

†४७६. **सरदार इकबाल सिंह :**
**श्री आर० के० गुप्त :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर यात्री-मार्ग दर्शक नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य दूसरे स्टेशनों पर भी मार्गदर्शक नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्टेशनों के क्या नाम हैं ?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अमृतसर
लुधियाना
जालंधर सिटी
बरेली
हरद्वार
दिल्ली जंकशन
सहारनपुर
अम्बाला
बनारस छावनी
लखनऊ
कानपुर
टूंडला
इलाहाबाद

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां।

(ग) जोधपुर और मार्टीरोड

## पश्चिमी बंगाल को बाढ़ सहायता

†४७७. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ सहायता के लिये चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिमी बंगाल सरकार को कितनी सहायता दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़ तथा सूखा सहायता के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को निम्नलिखित सहायता दी है। केवल बाढ़ सहायता के लिये कोई राशि अलग से नहीं दी गई है :

| | | |
|---|---|---|
| अनुदान ... ... ... | | ६६,४२,००० रुपये |
| ऋण ... ... ... ... | | ६८,६७,००० रुपये |

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सहायता और दी गई है :

| | | |
|---|---|---|
| इंडियन पीपुल्स फैमिन ट्रस्ट | | १०,००० रुपये |
| प्रधान मंत्री नैशनल रिलीफ फंड | | ४०,००० रुपये |
| अमरीका से उपहार स्वरूप प्राप्त खाद्यान्न : | चावल | १,५०० टन |
| | गेहूं | ५०० टन |

†मूल अंग्रेज़ी में

# दैनिक संक्षेपिका

[ सोमवार, १९ मार्च, १९५६ ]


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... ... ... ... | ७२४–४७ |
| | **तारांकित** | |
| | **प्रश्न संख्या** | |
| ७६५ | शिवा राव समिति... ... ... ... | ७२४ |
| ७९१ | शिवा राव समिति ... ... ... ... | ७२४–२५ |
| ७९७ | शिवा राव समिति ... ... ... ... | ७२५–२७ |
| ७६६ | वनस्पति घी ... ... ... ... | ७२७ |
| ७६७ | विमान संचालकों के लिये प्रशिक्षण ... ... | ७२७–२८ |
| ७६९ | कोयला खान भविष्य निधि योजना ... ... | ७२८–२९ |
| ७७० | होम्योपथी ... ... ... ... | ७२९ |
| ७७१ | रेलवे के ऊपरी पुल ... ... ... ... | ७३० |
| ७७२ | तटीय नौवहन ... ... ... ... | ७३० |
| ७७३ | चित्तरंजन और टेलको कारखाने ... ... | ७३१–३२ |
| ७७६ | टी० टी० ई० ... ... ... ... | ७३२–३३ |
| ७७७ | माल डिब्बों की व्यवस्था ... ... ... | ७३३–३५ |
| ७७८ | रेडियो-टेलीफोन सेवा ... ... ... | ७३५ |
| ७७९ | सहायक शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण ... ... | ७३५–३६ |
| ७८१ | प्रथम श्रेणी की रेलवे सेवा में वरिष्ठता ... ... | ७३६–३७ |
| ७८४ | बारासेट-बसिरहाट लाइट रेलवे ... ... | ७३७–३९ |
| ७८७ | कृषि गवेषणा ... ... ... ... ... | ७३९–४० |
| ७८९ | महिला ग्राम सेविकाओं का प्रशिक्षण ... ... | ७४०–४१ |
| ७९० | पश्चिमी बंगाल में ट्रेन सेवा का निलम्बन ... ... | ७४१ |
| ७९२ | रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ... ... | ७४२ |
| ७९३ | कृषि विस्तार विकास केंद्र ... ... | ७४३ |
| ७९४ | स्टेशन मास्टरों का स्थानान्तरण ... | ७४३–४४ |
| ७९५ | भूमि का कटाव ... | ७४४–४५ |
| ७९८ | जूट ... ... | ७४५–४६ |
| ७९९ | रेलवे रक्षा बल ... | ७४६–४७ |
| | प्रश्नों के लिखित उत्तर ... ... ... | ७४७–६३ |
| | **तारांकित** | |
| | **प्रश्न संख्या** | |
| ७६८ | रेलवे में विशेष श्रेणी के शिक्षिक्षु ... ... ... | ७४७ |
| ७७४ | दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन ... ... ... ... | ७४७ |
| ७७५ | भावों को गिरने से रोकने की नीति ... ... ... | ७४७–४८ |
| ७८० | रेलवे की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकतायें ... ... ... | ७४८ |
| ७८२ | गोरखपुर लोकोशाप ... ... ... ... ... | ७४८ |
| ७८३ | गुड़ ... ... ... | ७४८ |
| ७८५ | परिवार आयोजन ... ... ... ... | ७४९ |
| ७८६ | डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी ... | ७४९ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः) | |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ७८८ | 'अधिक चारा उपजाओ' आन्दोलन ... | ७४९ |
| ७९६ | गन्ना ... | ७५० |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ४४१ | रेलवे अस्पताल ... ... ... ... | ७५० |
| ४४२ | महेन्द्रगढ़ और पहलेजाघाट के बीच टेलीफोन सम्पर्क ... | ७५० |
| ४४३ | पूर्वोत्तर रेलवे में रात को सोने के लिये यात्री डिब्बे ... ... | ७५० |
| ४४४ | अपीलों के लिये समय-सीमा ... ... | ७५१ |
| ४४५ | गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ ... ... | ७५१ |
| ४४६ | रेलगाड़ियों में पशुओं का ले जाया जाना ... | ७५१ |
| ४४७ | रेलवे निरीक्षणालय ... ... ... | ७५२ |
| ४४८ | ग्रामीण जल व्यवस्था और सफाई की योजना ... | ७५२ |
| ४४९ | रेलवे माल-डिब्बे ... ... ... | ७५२ |
| ४५० | प्रविधिक प्रशिक्षण केंद्र ... ... | ७५२ |
| ४५१ | गोरखपुर रेलवे वर्कशाप ... | ७५३ |
| ४५२ | रेलवे टेलीफोन ... ... | ७५३ |
| ४५३ | नारियल गवेषणा केंद्र ... ... ... | ७५३–५४ |
| ४५४ | पीलिया ... ... ... ... | ७५४ |
| ४५५ | रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर ... ... | ७५४–५५ |
| ४५६ | उत्तर रेलवे में चोरियां ... ... | ७५५ |
| ४५७ | रेलवे पार्सलों का दिया जाना ... ... | ७५५ |
| ४५८ | खड़गपुर-भगवानपुर टेलीग्राफ लाइन ... | ७५५–५६ |
| ४५९ | देहाती डाकघर ... ... ... ... | ७५६–५७ |
| ४६० | बिहार में टेलीफोन के खम्भों की व्यवस्था ... ... ... | ७५७ |
| ४६१ | बाम्मुगाची रेलवे यार्ड में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना ... ... | ७५७ |
| ४६२ | सहकारिता का प्रशिक्षण ... ... ... | ७५८ |
| ४६३ | अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन ... ... | ७५८ |
| ४६४ | राष्ट्रीय राजपथ ... ... ... ... ... | ७५८ |
| ४६५ | जम्मू तथा काश्मीर में डाक सुविधायें... ... ... ... | ७५८–५९ |
| ४६६ | तिलहन ... ... ... ... ... ... | ७५९ |
| ४६७ | औद्योगिक विवाद ... ... ... ... | ७५९ |
| ४६८ | असैनिक उड्डयन के कर्मचारी ... ... ... | ७६० |
| ४६९ | असैनिक उड्डयन विभाग ... ... ... ... | ७६० |
| ४७० | सागर में नये डाकघर ... ... ... ... | ७६० |
| ४७१ | विभागीय डाकघर (सागर) ... ... | ७६०–६१ |
| ४७२ | हावड़ा स्टेशन पर टिकट घर ... ... | ७६१ |
| ४७३ | आंध्र के नागरिक क्षेत्रों में जल व्यवस्था और नाली योजना | ७६१ |
| ४७४ | डाकखाने के फार्मों की व्यवस्था ... ... | ६६१–६२ |
| ४७५ | एयर इंडिया इन्टरनैशनल ... ... | ७६२ |
| ४७६ | यात्री मार्ग दर्शक ... ... | ७६२–६३ |
| ४७७ | पश्चिमी बंगाल को बाढ़ सहायता ... ... | ७६३ |


M22LSD—27-5-57—190—GIPF—4

सोमवार
19 मार्च 1956

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड २, १९५६

(५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

# विषय-सूची

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खण्ड २--५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)


पृष्ठ

**अंक १६, सोमवार, ५ मार्च, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६८१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ६८१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें--रेलवे १९५५-५६ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, रेलवे, १९५०-५१ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५१-५२ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५२-५३ ६८२
रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा ६८२-७२१

**दैनिक संक्षेपिका** ७२२

**अंक १७, मंगलवार, ६ मार्च, १९५६**

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में प्रक्रिया का प्रश्न ७२३-३२
समिति के लिये निर्वाचन--भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ७३२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
ब्रिटिश बैंक दर में परिवर्तन ७३२-३३
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७३३-७६

**दैनिक संक्षेपिका** ७७७

**अंक १८, बुधवार, ७ मार्च, १९५६**

विशेषाधिकार का प्रश्न--
सत्र-काल में सदस्य के बन्दीकरण का वारंट ७७९
सभा का कार्य ... ७८४
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७८५-८१८
अनुदानों की मांगें--रेलवे ८१८-३८
मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड ८१९-३८
मांग संख्या २--विविध व्यय ... ... ८१९-३९
मांग संख्या ३--चालू लाइनें आदि के लिये भुगतान ... ... ८१९-३८
मांग संख्या १४--चालू लाइनों पर काम--(राजस्व)--श्रम कल्याण के अतिरिक्त ... ... ... ... ... ८१९-३८
मांग संख्या १५--नये रेल-पथों का निर्माण--पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ८१९-३८

**दैनिक संक्षेपिका** ... ८३९

पृष्ठ

**अंक १६, गुरूवार, ८ मार्च, १६५६**


अध्यक्ष का निर्वाचन ... ८४१–४७
तारांकित प्रश्नों के उत्तर की शुद्धि ८४७–४८
सभा का कार्य ... ८४८
अनुदानों की मांगें––रेलवे ८४८–७४
मांग संख्या १––रेलवे बोर्ड ८४८–७४
मांग संख्या २––विविध व्यय ... ८४८–७४
मांग संख्या ३––चालू लाइनें, आदि के लिये भुगतान ... ८४८–७४
मांग संख्या १४––चालू लाइनों पर काम ––(राजस्व)–– श्रम कल्याण के अतिरिक्त ... ... ... ८४८–७४
मांग संख्या १५––नये रेल-पथों का निर्माण–– पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ... ८४८–७४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय––प्रशासन ८७४–६३
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय––मरम्मत तथा संधारण ८७४–६३
**दैनिक संक्षेपिका** ८६४


**अंक २०, शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६**


आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ८६५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ८६५–६२४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय-प्रशासन ... ... ८६५–६१०
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण ... ... ८६५–६१०
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–संचालक कर्मचारी ६११–२४
मांग संख्या ७––साधारण कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ६११–२४
मांग संख्या ८––साधारण कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन ... ... ६११–२४
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–विविध व्यय ६११–२४
मांग संख्या १०––साधारण कार्यवहन व्यय–श्रम कल्याण ६११–२४
राष्ट्रीय विकास (जनता द्वारा भाग लिया जाना) विधेयक ६२४
राष्ट्रीय पर्व और त्यौहार पर सवेतन छुट्टी विधेयक ६२४
श्री काशी-विश्वनाथ मन्दिर विधेयक विचार करने का प्रस्ताव ... ६२४–३५
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ७१-क आदि का हटाया जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६३५–४३
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ५६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६४३–४५
**दैनिक संक्षपिका** ६४६

पृष्ठ

**अंक २१, सोमवार, १२ मार्च, १९५६**

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ९४७
लेखानुदानों की मांगें ... ... ... ... ९४७–५१
आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ९५१–५५
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ९५५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ... ... ९५५–७३
मांग संख्या ६––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन कर्मचारी ९५५–६८
मांग संख्या ७––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ९५५–६८
मांग संख्या ८––सामान्य कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन व्यय ... ... ९५५–६८
मांग संख्या ९––सामान्य कार्यवहन व्यय––विविध व्यय ... ९५५–६८
मांग संख्या १०––सामान्य कार्यवहन व्यय––श्रम कल्याण ९५५–६८
मांग संख्या ११––अवक्षयण रक्षित निधि के लिये विनियोग ९६८–७२
मांग संख्या १२––साधारण राजस्व में देय लाभांश ... ... ९६८–७२
मांग संख्या १३––चालू लाइनों पर काम––(राजस्व)––श्रम कल्याण... ९६८–७२
मांग संख्या १६––चालू लाइनों पर काम विस्तार ९६८–७३
मांग संख्या १७––चालू लाइनों पर काम प्रतिस्थापन ९६८–७३
मांग संख्या १८––चालू लाइनों पर काम––विकास निधि ... ९६८–७३
मांग संख्या १९––विशाखापटनम् पत्तन पर पूंजी व्यय ९६८–७३
मांग संख्या २०––विकास निधि के लिये विनियोग ९६८–७३
**विनियोग (रेलवे) विधेयक** ... ... ९७३
१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) और १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ९७३–९२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ९९२
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक ... ९९२–९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक ९९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक ९९३
**प्रतिलिप्याधिकार विधेयक––**
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ... ९९३–९५
पीलिया जांच-समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा ९९५–१००१
**दैनिक संक्षेपिका** १००२–०३

**अंक २२, मंगलवार, १३ मार्च, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १००५
राज्य-सभा से संदेश ... ... ... ... १००५
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––
मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५१ के अमान्यीकरण से उत्पन्न हुई स्थिति ... ... १००६
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ... १००६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) विधेयक ... १००६
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १००७–०८
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १००८–५१
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा १०५१–६१
**दैनिक संक्षेपिका** ... ... ... १०६२–६३

**अंक २३, बुधवार, १४ मार्च, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०६५
राज्य-सभा से संदेश ... ... ... ... १०६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छयालीसवां प्रतिवेदन ... १०६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना––
पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का त्रिपुरा में पुनर्वास १०६६–६७
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ... १०६७
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १०६७–१११
**दैनिक संक्षेपिका** ... १११२

**अंक २४, गुरुवार, १५ मार्च, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव––
जनसंघ के कार्यकर्त्ता को जम्मू जाने से मना करना १११३–१४
राज्य-सभा से संदेश ... ... ... ... १११४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) १११५
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक का वापस लिया जाना ... १११५
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १११६–६३
**दैनिक संक्षेपिका** ... ११६४

**अंक २५, शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ११६५
राज्य-सभा से संदेश ... ... ११६५–६६, ११९८
प्राक्कलन समिति––तेईसवां प्रतिवेदन ... ११६६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति––
तेरहवां प्रतिवेदन ११६६
याचिका समिति––
आठवां प्रतिवेदन ... ... ... ११६६
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... ... ११६७–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छियालीसवां प्रतिवेदन ११९८
मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ११९८–१२०५, १२०६–१३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के बारे में औचित्य प्रश्न ... ... १२०६
**दैनिक संक्षेपिका** ... १२१४–१५

| | |
|---|---|
| **अंक २६, सोमवार, १६ मार्च, १६५६** | **पृष्ठ** |
| आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना | १२१७–१८ |
| विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... | १२१८ |
| राज्य-सभा से सन्देश | १२१८ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| बाईसवां प्रतिवेदन ... | १२१८ |
| अनुपस्थिति की अनुमति | १२१६ |
| जीवन-बीमा निगम विधेयक— | |
| प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव | १२१६–७० |
| **दैनिक संक्षेपिका** ... | १२७१–७२ |
| **अंक २७, मंगलवार, २० मार्च, १६५६** | |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़ | १२७३ |
| उपाध्यक्ष का निर्वाचन ... | १२७४–७६ |
| विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य | १२७६–८२ |
| सभा-पटल पर रखा गया पत्र | १२८२ |
| जीवन-बीमा निगम विधेयक | १२८२ |
| प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव | १२८२–१३१० |
| **आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना** | १३११–३१ |
| **दैनिक संक्षेपिका** ... | १३३२ |
| **अंक २८, बुधवार, २१ मार्च, १६५६** | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... | १३३३ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... | १३३३ |
| अनुदानों की मांगें— ... | १३३४–६७ |
| मांग संख्या ११—प्रतिरक्षा मंत्रालय ... | १३३४–६७ |
| मांग संख्या १२—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-सेना ... | १३३४–६७ |
| मांग संख्या १३—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-नौ-सेना | १३३४–६७ |
| मांग संख्या १४—प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी—वायु बल | १३३४–६७ |
| मांग संख्या १५—प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय | १३३४–६७ |
| मांग संख्या १६—प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय | १३३४–६७ |
| मांग संख्या ११७—प्रतिरक्षा पर पूंजी व्यय ... | १३३४–६७ |
| **दैनिक संक्षेपिका** ... | १३६८ |
| **अंक २६, गुरुवार, २२ मार्च, १६५६** | |
| प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में घोषणा | १३६६ |
| सभा का कार्य | १३६६–१४०० |
| अनुदानों की मांगें ... ... | १४००–६२ |
| मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय ... ... ... | १४००–६२ |
| मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) | १४००–६२ |

| | पृष्ठ |
|---|---|
| मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान | १४००–६२ |
| मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा ... | १४००–६२ |
| मांग संख्या ९—उड्डयन ... ... ... ... | १४००–६२ |
| मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय | १४००–६२ |
| मांग संख्या ११४—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) ... | १४००–६२ |
| मांग संख्या ११५—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय | १४००–६२ |
| मांग संख्या ११६—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | १४००–६२ |
| **सभापति-तालिका के लिये नामनिर्देशन** ... | १४६२ |
| **दैनिक संक्षेपिका** ... | १४६३ |

**अंक ३०, शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव—

| | |
|---|---|
| त्रावनकोर-कोचीन में मंत्रिमंडल की रचना | १४६५–६६ |
| अनुदानों की मांगें ... | १४६६–९९ |
| मांग संख्या ९५—परिवहन मंत्रालय ... | १४६६–९९ |
| मांग संख्या ९६—पत्तन तथा पोतमार्ग-प्रदर्शन | १४६६–९९ |
| मांग संख्या ९७—प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोत | १४६६–९९ |
| मांग संख्या ९८—केन्द्रीय मार्ग निधि ... | १४६६–९९ |
| मांग संख्या ९९—संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) ... | १४६६–९९ |
| मांग संख्या १००—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... | १४६६–९९ |
| मांग संख्या १४०—पत्तनों पर पूंजी व्यय | १४६६–९९ |
| मांग संख्या १४१—सड़कों पर पूंजी व्यय ... | १४६६–९९ |
| मांग संख्या १४२—परिवहन मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय | १४६६–९९ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— सैंतालीसवां प्रतिवेदन | १५०० |
| सभा का कार्य ... | १५०० |
| गोद लेने की प्रथा की समाप्ति विधेयक ... | १५०० |
| बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) | १५०१ |
| समान पारिश्रमिक विधेयक ... | १५०१ |
| दण्ड विधि संशोधन विधेयक | १५०१ |
| भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक— (धारा २, आदि का संशोधन) | १५०१ |
| राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन ... | १५०२ |
| कारखाना (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव ... | १५०३ |
| विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... | १५०५–१५ |
| विचार करने का प्रस्ताव ... | १५०५ |
| **दैनिक संक्षेपिका** | १५१६ |




M102LSD—190—21-3-58—GIPF

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)


# लोक-सभा

सोमवार, १९ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

**११-१८ म० पू०**

## आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ए० के० गोपालन और डा० लंका सुन्दरम ने आय-व्ययक प्रस्थापनाओं के भेद खुलने के सम्बन्ध में ३ मार्च, १९५६ को स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें दी थीं। परन्तु जब प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया कि सरकार ने विषय की जांच आरम्भ कर दी है और जांच का परिणाम यथासमय सभा के समक्ष रखा जायेगा, तो श्री ए० के ० गोपालन ने उस पर संतोष प्रकट किया था अतः मैंने प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं दी थी।

६ मार्च, १९५६ को डा० लंका सुन्दरम ने प्रश्न उठाया था कि वित्त मंत्री ने जो इस सभा को बिना बताये राज्य-सभा में इस विषय सम्बन्धी तथ्य बताये हैं, वह सरकार की ओर से अनुचित कार्य हुआ है। इस पर सभा के विशेषाधिकारों के प्रश्न का निर्देश सभा की विशेषाधिकार समिति को करने का सुझाव दिया गया था।

९ और १२ मार्च को प्रधान मंत्री के अगले वक्तव्य पर विशेषाधिकार का प्रश्न फिर उठाया गया था और मैंने कहा था कि मैं इस पर विचार करके यथा समय निर्णय दूंगा।

यह प्रश्न हमारे संविधान के अनुच्छेद १०५ (३) के उपबंधों के अधीन है जिनके अन्तर्गत इस सभा की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वे ही हैं जैसी हमारे संविधान के प्रारम्भ पर हाउस आफ कामन्स की थीं। वहां के थामस और डाल्टन के मामलों में आय-व्ययक का भेद खुलना विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं समझा गया था। अतः इस प्रश्न के विशेषाधिकारी समिति को सौंपने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तो भी संसद् को पूर्ण अधिकार है कि आय-व्ययक के भेद खुलने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री के कार्य की जांच करे।

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

हमारे समक्ष जो मामला है उसमें न तो यह सुझाव दिया गया है और न ही आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री ने स्वयं भेद खोला है जबकि डाल्टन और थामस के मामलों में बात इसके विपरीत थी। जहां तक दूसरे लोगों का सम्बन्ध है सरकार जांच कर रही है और उनके विरुद्ध अभियोग चलाया जा रहा है। अतएव विशेष समिति नियुक्त करने की भी आवश्यकता नहीं।

तो भी डा० लंका सुन्दरम ने सरकारी प्रतिनिधि के वक्तव्य पर प्रक्रिया नियमों के नियम २१२ के अधीन चर्चा उठाने की इच्छा प्रकट की है और मैंने २० तिथि को यह चर्चा करने की अनुमति दे दी है।

---

## विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राष्ट्रपति ने १३ मार्च, १९५६ को विधिजीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक, १९५६ पर अनुमति दे दी है, जो चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं ने पारित किया था।

---

## राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त हुये निम्नलिखित सात संदेशों की सूचना देनी है :

(१) कि लोक-सभा द्वारा ३ मार्च, १९५६ को पारित जीवन-बीमा (आपत्ति उपबंध) विधेयक, १९५६ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(३) कि विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(४) कि विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(५) कि विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(६) कि विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(७) कि विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

---

## प्राक्कलन समिति

### बाईसवां प्रतिवेदन

**श्री बी० जी० मेहता** (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्पादन मंत्रालय पर एस्टीमेटस समिति की बाईसवीं रिपोर्ट सभा की टेबल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्न लिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दिये गये काल के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

(१) श्री आर० वेंकटरामन ।
(२) श्री उदय शंकर दुबे ।
(३) श्री एन० डी० गोविंदस्वामी कचिशेयर ।
(४) श्री के० आनन्द नम्बियार ।
(५) श्री टी० ए० एम० सुब्रह्मण्य चेट्टियार ।
(६) श्री एन० सोमना ।
(७) श्री सोफी मुहम्मद अकबर ।
(८) श्री कोथा रघुरामैया ।
(९) श्रीमती इन्द्रा ए० मायदेव ।
(१०) श्री वीर किशोर रे ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि श्री शिव नारायण सिंह महापात्र श्री चौखभून गोहेन और मुचाकी कोसा जो बिना अनुमति अनुपस्थित रहे हैं, प्रतिवेदन में प्रत्येक के नाम के सामने दिये गये समय के लिये उनकी अनुपस्थिति को माफ कर दिया जाये ।

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

†**कई माननीय सदस्य** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

---

## जीवन बीमा निगम विधेयक

### प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा जीवन बीमा निगम विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति को सौंपने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार करेगी । जैसा कि सभा को पहले से विदित है, इस प्रस्ताव के विचारार्थ १० घण्टे का समय आवंटित किया गया है ।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के लिये स्थापित निगम को इस प्रकार का सारा व्यवसाय हस्तान्तरित करने की, जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण तथा निगम के विनयमन और नियंत्रण की ओर उससे सम्बन्धित या प्रासंगित मामलो की व्यवस्था करने वाले विधेयक को इस सभा के सदस्यों की एक प्रवर समिति को, जिसमें श्री बी० जी० मेहता, श्री श्याम नन्दन सहाय, श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री एस० के० पाटिल, श्री श्रीमन्नारायण, श्री सी० पी० मात्तन, श्री फीरोज गांधी, श्री राधेलाल व्यास, श्री रामचन्द्र भाई एन० शाह, श्री उपेन्द्रनाथ वर्मन, श्री विमला प्रसाद चालिहा, श्री एस० आर० तेलकीकर, श्री आर० वेंकटरामन, श्री टेक चन्द, श्री टी० एन० सिंह, श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम, पण्डित कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री आर० आर० मोरारका, श्री श्री जो० एल० बंसल, श्री एम० डो० जोशी, श्रीमती सुषमा सेन, श्री एस० आर० राने, श्री बी० बी० गांधी, श्री बी० आर० भगत, श्री साधनचन्द्र गुप्त, श्री के० आनन्द नम्बियार, श्री तुषार चटर्जी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री तुलसीदास किलाचन्द,

†मूल अंग्रेजी में

[ श्री सी० डी० देशमुख ]

श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री जी० डी० सोमानी, श्री आर० वेलायुधन, और प्रस्तावक हों, सौंपा जाये और समिति को यह अनुदेश दिया जाये कि वह १६ अप्रैल, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन दे ।"

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जीवन बीमा (आपात उपबंधों) विधेयक सम्बन्धी चर्चा के दौरान में मैंने अच्छी तरह इस बात की व्याख्या की थी कि सरकार को बीमा राष्ट्रीयकरण पर क्यों निर्णय करना पड़ा और मैं उसको नहीं दुहराना चाहता । किन्तु मैं सामान्य रूप से कुछ बातें कहना आवश्यक समझता हूं , जो साधारणत: इस सभा और दूसरी सभा में बाद में की गई आलोचनाओं से उत्पन्न होती हैं ।

सब से पहले, यह कहा गया है कि यदि जीवन बीमा निधि का कहीं बुरा प्रबंध होता था, तो वह जीवन निधियों के बहुत ही छोटे अंश का होता था और अधिकतर बीमा व्यवसाय बहुत अच्छे ढंग से होता था ।

यदि मुझे इस बात को प्रमाणित करने का अवसर मिलता तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती ।

मैं सदा यह मानता रहा हूं कि कुछ समवायों का काम अच्छा था और वे अच्छे आदर्शों का पालन करते थे । किन्तु मैं सभा को यह स्मरण करने के लिये कहूंगा कि ऐसी समवाय अधिक नहीं थे और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वे उस क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि थे ।

इस आलोचना का यह अर्थ था कि समवायों की संख्या कम थी, इसलिये राष्ट्रीयकरण जैसा कड़ा कदम उठाना आवश्यक नहीं था । इस आधार पर भी हम कहना चाहते हैं कि चाहे दुराचारों का क्षेत्र कम रहा हो, बीमारी तो विद्यमान थी जो इस व्यवसाय में फैल गई थी, इसलिये इससे बड़ी भयानक आशंकाओं की संभावना थी । किन्तु. इसके अतिरिक्त जिस बात का विचार करना पड़ता है और जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यदि दुराचार कम भी है, तो उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है । मैं समझता हूँ कि सभा इस बात को स्वीकार करेगी कि दुराचार से छोटी आय वाले लोगों की बचत को क्षति पहुंचती है, जिनके लिये यह हानि साधारणतया जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है । कल्याण राज्य में जिसके निर्माण का हम प्रयत्न कर रहे हैं, निश्चय ही ऐसे परिणाम की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इन दुराचारों का हजारों बीमा करवाने वालों पर प्रभाव पड़ता है, जो प्राय: ऐसे वर्गों के लोग होते हैं– जिन्हें संरक्षण और मार्ग दर्शन की बड़ी आवश्यकता होती है । इसलिये स्थिति की गम्भीरता का अनुमान इस प्रकार नहीं लगाया जाना चाहिये कि कुल कितने धन का दुरुपयोग हुआ है, किन्तु इस पर लगाया जाना चाहिये कि मनुष्यों को इससे कितनी कठिनाई या कष्ट होता है ।

इस कुल रकम का उल्लेख करने में भी, मेरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने राज्य सभा में यह बात कही थी, उसने हाल में हुई दुरुपयोग के बहुत बड़े मामले का उल्लेख नहीं किया, जिसे यदि न रोका जाता, तो सवा करोड़ रुपयें का दुरुपयोग हो जाता । यदि वह सवा दो करोड़ रुपये की राशि भारत बीमा समवाय को न लौटाई जाती––यह तभी लौटाई गई थी, जब हमने न्यूनाधिक रूप में अधिनियम में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी करके इसे वापिस करने के लिये बाध्य किया––तो बीमा कराने वालों के अंशदानों का ५० प्रतिशत से अधिक धन प्राय: नष्ट हो गया होता । मैं समझता हूं श्री फीरोज़ गांधी ने सभा को बीमा कराने वालों की संख्या कई हजार बताई थी । दूसरे मामले में जहां ३२ लाख रुपये में से ३० लाख रुपया गुम हो गया था, अर्थात बम्बई समवाय, बीमा कराने वालों को प्रत्यक्षत: लगभग शतप्रतिशत हानि हुई होगी । समवायों में भी, जिनका प्रबन्ध अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, कई ऐसे समवाय हैं, जिनके पास बीमा करवाने वालों के परिपक्व होने वाले दावों की अदायगी के लिये चालू धन नहीं था । जो बीमा करानेवाले इससे प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या थोड़ी नहीं बल्कि १,००,००० से ऊपर है । अत: यह कहना व्यर्थ है कि इतने अधिक लोगों की भलाई को प्रभावित

करने वाले मामलों का अनुमान केवल धन की मात्रा से लगाया जाना चाहिये, होने वाले मानवीय कष्ट और कठिनाई के आधार पर नहीं ।

परन्तु, राष्ट्रीयकरण के बारे में मुख्य बात यह है कि राज्य को यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि गैर-सरकारी क्षेत्र असफल रहा है । राष्ट्रीयकरण कल्याण राज्य की विचारधारा, सिद्धान्त और आदर्शों आदि के आधार पर युक्तियुक्त है । इसलिये केवल इसी बात की आड़ लेकर खड़े होना निरर्थक है कि जब तक सरकार न्यायालय में यह सिद्ध नहीं करती कि बहुत अधिक दुराचार किये गये हैं, राज्य को राष्ट्रीयकरण का कोई अधिकार नहीं है । साधारण व्यक्ति राष्ट्रीयकरण के कारणों को अच्छी तरह समझते हैं और मैं समझता हूं कि यह सभा भी, क्योंकि हमने अस्थायी प्रबंध सम्बन्धी दूसरा विधेयक पारित किया है जहां समस्त प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया गया है । हमने राष्ट्रीयकरण के पक्ष में विस्तार-पूर्वक अन्य कारण बताये हैं, विशेष रूप से हमारी आशा यह है कि ऐसा करने से हम समस्त वचत को जुटा सकेंगे, जिसकी हमारी अगली पंचवर्षीय योजना और भावी योजनाओं के लिये आवश्यकता है । मेरे पास देश के सब भागों से बहुत से सन्देश प्राप्त हुये हैं, जिनमें से कुछ का मैं बाद में उल्लेख करूंगा, जिनके द्वारा सरकार को इस कार्यवाई के लिये बधाई दी गई है ।

यह भी कहा गया है कि चाहे जनता ने सरकार को बधाई दी है, किन्तु उन्होंने अपने कार्य द्वारा वास्तव में यह प्रकट नहीं किया कि उन्हें सरकार द्वारा चलाये जाने वाले जीवन बीमा में विश्वास है । यह भी कहा है कि नवीन व्यवसाय रुक गया है । मैं इस बात के लिये तैयार था कि संक्रमण काल में समा-योजन के समय व्यापार में कुछ कमी आ जायेगी । किन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि हमारे बहुत से आलोचकों को पराजय का अनुभव करना पड़ा कि अब तक अभिरक्षकों से मेरे पास जो प्रतिवेदन आये हैं, उनसे पता चलता है कि अध्यादेश की प्रख्यापना के पश्चात नवीन व्यवसाय पिछले वर्ष में इसी समय के अन्दर किये गये व्यवसाय की अपेक्षा कहीं अच्छा है, जब यह व्यवसाय गैर-सरकारी प्रबन्ध के अधीन था । उदाहरणार्थ, इस वर्ष बम्बई में १५·५३ करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया है; जबकि पिछले वर्ष १३·५१ करोड़ रुपये का था, मद्रास में इस वर्ष १·८९ करोड़ का व्यवसाय किया गया है और पिछले वर्ष १·४३ करोड़ रुपये का था । कलकत्ते में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है । राष्ट्रीय-करण के इस विषय पर मुझे इतना ही कहना है, जिस पर, जैसा कि मैंने कहा, सभा में न्यूनाधिक रूप में अच्छी तरह चर्चा की जा चुकी है । इसलिये अब मैं इस संगठन के ढांचे की रूपरेखा बताऊंगा, जिसके द्वारा हम भविष्य में इस जीवन बीमा व्यवसाय को उत्तम ढंग से चलाना चाहते हैं ।

हमारी प्रस्थापना है कि समस्त जीवन बीमा व्यवसाय पर काबू करने के लिये एक जीवन बीमा निगम स्थापित किया जाये और यह एकाधिकार व्यवसाय के रूप में काम करे । मैं पहले ही कारण बता चुका हूं कि इसे एकाधिकार व्यवसाय के रूप में चलाना क्यों आवश्यक है और अव्यवस्थित स्थिति में सरकार द्वारा चलाये गये किसी संगठन का ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के बुरे तरीकों का मुकाबला करना कैसे सम्भव नहीं है । दूसरे दृष्टिकोण से कहा गया है कि प्रतियोगिता का तत्व रखना अनिवार्य है और इस प्रयोजन से हमें एक निगम की बजाय ४ या ५ निगम स्थापित करने चाहियें । ऐसी योजना देखने में सुन्दर प्रतीत होती है । परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि अधिक गहराई के साथ जांच करने पर इसमें कई मूलभूत आपत्तियां पाई गई हैं, जो इस सुझाव के स्वीकार किये जाने के विपरीत हैं; विशेषकर प्रारम्भिक स्थिति में ।

सामान्य आधार पर मुझे प्रतीत होता है कि यदि राज्य को अन्ततोगत्वा जीवन बीमा व्यवसाय के लिये उत्तरदायित्व उठाना है, तो कई निगमों के द्वारा काम करना व्यवहारिक दृष्टि से अत्यन्त कठिन होगा । उदाहरण के लिये, प्रतियोगिता की भावना को रोकना होगा । विभिन्न किश्तों की दरों के अस्तित्व का औचित्य स्वीकार करना कठिन है । विभिन्न विनियोजन पालिसियां रखना भी कठिन होगा । तब

[श्री सी० डी० देशमुख]

नौकरी नीति या सेवा करने के स्तर में कोई अन्तर नहीं रह सकता। इसलिये राष्ट्रीयकरण व्यवसाय में प्रतियोगिता का क्षेत्र बहुत सीमित होगा और केवल सेवा की कुशलता या नवीन व्यवसाय क्षेत्रों के विकास के बारे में ही प्रतियोगिता का क्षेत्र होगा। हम विश्वास करते हैं कि इस प्रकार की प्रतियोगिता क्षेत्रीय संगठनाओं के द्वारा की जा सकती है, जिनका विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। इससे दूसरी वे झंझटें उत्पन्न नहीं होंगी। जो देश भर में पारस्परिक प्रतियोगिता करने वाली स्वायत्तशासी निगमों की स्थापना से उत्पन्न हो जाती हैं। मैं समझता हूँ मानवीय कमजोरियों के कारण प्रतियोगितात्मक व्यवसाय की कुछ त्रुटियों, अर्थात रिबेट देने की प्रणाली, को समाप्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगा। इसलिये हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि एक निगम स्थापित किया जाना चाहिये। हम अनुभव करते हैं, कि आरम्भ में हमें केवल एक स्वयत्तशासी निगम बनानी चाहिये जिसके क्षेत्रीय संगठन हों। यदि हम देखेंगे कि वह संतोषजनक काम करने में असमर्थ है, तो हम उसके स्थान पर कई निगम बना देंगे। यह प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से सरल है, अर्थात पहले कई स्वयत्तशासी निगम बना कर बाद में एक एकाधिकार निगम बनाना। मैं समझता हूँ कि हमारा यह अनुभव है कि केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया की अपेक्षा विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया अधिक सरल होती है, क्योंकि निहित स्वार्थ प्रायः पैदा हो जाया करते हैं और वे केन्द्रीय करण को अधिक दुष्कर बनाने का प्रयत्न करते हैं, यद्यपि यह सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसे प्रयोग असफल हुये हैं।

यदि केवल एक निगम होगा तो केन्द्रीय कार्यालय बीमा व्यवसाय के नीति सम्बन्धी विषयों के लिये उत्तरदायी होगा; अर्थात् वह किश्त की दरों के निर्धारण, निधि विनियोजन सम्बधी नीति के निर्धारण, क्षेत्रिय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के आन्तरिक लेखापरीक्षण संगठनों और निरीक्षण संगठनों के द्वारा नियंत्रण और अधीक्षण के लिये उत्तरदायी रहेगा। जहां तक दैनिक कार्य का सम्बन्ध है, हमारा इरादा है कि क्षेत्रीय संगठन लगभग सभी कर्यों के लिये स्वायत्तशासी होने चाहिये और उन्हें अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना अपना बीमा व्यवसाय करने दिया जाना चाहिये। हम क्षेत्रीय संगठनों को बीमा निगमों के कार्यपालिका का अंग समझेंगे। ये क्षेत्रीय संगठन डिवीज़नल ब्रांच और दूसरे अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा अपने क्षेत्रों में बीमा करेंगे, जारी की गई पालिसीयों का प्रबन्ध करेंगे, बीमा के बारे में अधिकाधिक लोगों को जानकारी देंगे, बीमा का प्रचार करेंगे और इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, सब वर्गों के लोगों की अधिकाधिक बचत इकट्ठी करेंगे।

विधेयक के विविध उपबंधों में ऐसे निगम के संगठन की रूपरेखा ही विदित की गई है। विस्तृत बातें सरकार द्वारा समय समय पर बनाये गये नियमों और विनियमों से तैयार की जायेंगी। विचार यह है कि आनभ्यता हटाई जाये और निगम में संचालन की कुछ परिवर्तन क्षमता लाई जाये ताकि, व्यवहारिक रूप में इसे संतोषजनक रीति से चलाना कठिन न हो। यह भी हमारा इरादा है कि निगम को पर्याप्त स्वविवेक दिया जाये, ताकि यह बिल्कुल व्यवसायिक प्रणाली के अनुसार अपना कार्य चला सके। विधेयक के विविध उपबंधों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने के लिये सभा का समय लेना आवश्यक नहीं है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि चर्चा के दौरान और तत्पश्चात प्रवर समिति में इन विविध खण्डों पर विचार किया जायेगा, किन्तु मैं कुछ अधिक महत्वपूर्ण खण्डों के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं।

सम्भवतः खण्ड २८ सब से महत्वपूर्ण है जो निगम द्वारा जारी की गई सभी पालिसियों की प्रत्याभूति करता है। यह प्रत्याभूति विद्यमान समवायों से निगम द्वारा ली गई उन पालिसियों को छोड़ कर, जिन्हें दिवालिया समायों से लिया है (जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा), सारी पालिसियों में लागू होती है।

अगला प्रश्न कर्मचारीवर्ग के सम्बन्ध में है—अर्थात्, खण्ड १० है। मुझे विश्वास है कि लोक-सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि हमने युक्तियुक्त रुख धारण किया है। खण्ड १० में इस बात की

व्ययवस्था है कि आरम्भ में विद्यमान निबन्धनों और शर्तों पर सभी पूरे समय काम करने वाले कर्मचारियों को निगम रख लेगा। निगम के कामों में से एक काम उपयुक्त वेतन क्रम, सेवा के निबन्धन और शर्तें निर्धारित करना और विद्यमान कर्मचारियों के इन क्रमों में रखना होगा क्योंकि सभा समझती होगी कि निगम उन बहुत बड़ी संख्या में समवायों का स्थान ग्रहण करेगा जिनके वेतन क्रमों में अत्याधिक विभिन्नता है और वास्तव में कुछ समवायों में कोई निर्धारित वेतन क्रम है ही नहीं और न सेवा-निवृति और भविष्य निधि आदि के सम्बन्ध में कोई समान नियम बनाये गये हैं।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : वे किस प्रकार बनाये जायेंगे ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं एक बार पहले भी कह चुका था कि हमारा विचार कर्मचारियों के साथ अधिकाधिक अच्छे सम्बन्ध रखने का है, और सर्वप्रथम मुझे कर्मचारियों की संख्या के ही तार मिले थे जिनमें एक बम्बई के बीमा कर्मचारियों के संघ की ओर से और दो कलकत्ते से आये थे जिनमें बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये बधाई दी गई थी। इतना ही नहीं मुझे अंशधारियों, बीमा कराने वालों आदि के भी तार मिले हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : क्या प्रबन्धकों का भी कोई तार आया है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : एजेंटों आदि के बहुत से तार मिले हैं किन्तु प्रबन्धकों के पास से नहीं।

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि** (त्रिचूर) : क्या राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले बीमा व्यवसाय में सेवा नियोजित कर्मचारियों पर राष्ट्रीयकरण हो जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार बीमा व्यवसाय को चला रही है। क्या उन कर्मचारियों को भी रख लिया जायेगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : किसी को रखना हमारा उद्देश्य नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेने का।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : वह यह पूछ रहे हैं कि क्या त्रावणकोर-कोचीन राज्य का व्यवसाय हम लोग अपने हाथों में ले लेंगे अथवा नहीं। हमारा अभी विचार यह है कि कर्मचारी समूह बीमा योजनाओं को छोड़ कर बीमे पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण एकाधिपत्य होना चाहिये।

किन्तु राष्ट्रीयकरण होना निश्चित है। क्या विद्यमान राज्यों, अर्थात्, त्रावनकोर-कोचीन और मैसूर द्वारा चलाये जाने वाले बीमा व्यवसाय के बारे में कोई अपवाद होना चाहिये। हमारा विचार तो यह है कि उसे भी केन्द्र को ले लेना चाहिये।

†**श्री एस० एस० मो** : मुझे पता लगा है कि जीवन बीमा की सहकारी संस्थाओं ने एक तर्कपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्या वह हम लोगों को उपलब्ध हो सकता है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हमको जितने भी अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, वे सभी हम प्रवर समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे।

†**श्री एस० एस० मोरे** : जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं, उनका क्या होगा ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह प्रवर समति निश्चय करेगी कि प्रतिवेदन सहित किन-किन अभ्यावेदनों को प्रस्तुत करना आवश्यक है और किन को नहीं। सामान्य प्रक्रिया यही है। किसी भी अभ्यावेदन को लोक-सभा को देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु अधिक व्यावहारिक चीज तो यह होगी कि प्रवर समिति उन्हें देख ले।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

अभी तक मैंने कर्मचारियों के बारे में चर्चा की है। जहां तक एजेंटों का सम्बन्ध है, विधेयक में एजेंटों और उन लोगों के बारे में जिन्हें कर्मचारी नहीं कहा जा सकता, कोई उपबन्ध नहीं बनाये गये हैं। ऐसा इसलिये है कि उनका बीमा समवायों के साथ ठेके जैसा सम्बन्ध है। जिस प्रकार निगम सभी विद्यमान सद्भाव प्रकार के दायित्वों को मानता है उसी प्रकार वे भी एजेंटों के साथ किये गये ठेकों आदि को भी मान्यता देंगे ।

जहां तक क्षेत्र में कार्य करने वालों का सम्बन्ध है, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। बीमा एजेंट जो इस संगठन की आधारशिला हैं उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण देना होगा जिससे कि वे बीमा कराने वालों की वास्तविक सेवा कर सकें। मुख्य एजेंटों को जिसका अभी तक कुछ भागों में पूर्ण क्षेत्राधिकार था, समाप्त करना होगा। बदली हुई परिस्थितयों में उन्हें रखना हमारे लिये उचित नहीं होगा। मैं यह भी बता दूं कि पिछली दो-एक दशाब्दियों से एजेंटों के स्थान पर शाखायें रखने का रुख अपनाया जा रहा है ।

अब मैं खण्ड १२ को लेता हूं जिसमें निगम द्वारा इस व्यवसाय को लेने से पूर्व जितनी राशि का बीमा कुराने के लिये संनिदा किया गया था उसमे कमी की जा सकती है। इस खण्ड से कुछ विपरीत टीका-टिप्पणी करने का अवसर मिलता है। किन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस उपबन्ध के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। अतः मैं इस खण्ड के अन्तर्निहित सिद्धान्त की व्याख्या करना चाहूंगा और ऐसा करने के लिये मैं पहले इस खण्ड और खण्ड ३९ (२) (ट) पर एक साथ विचार करना चाहूंगा क्योंकि इन दोनों में अन्तर्निहित सिद्धान्त एक ही होना चाहिये। खण्ड ३९ (२) (ट) वर्गीकरण अथवा समूही-करण के बारे में है।

इससे सभी सहमत होंगे कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि निगम की स्थापना होने से किसी भी बीमा कराने वाले की दशा पहले से खराब न हो जाये। अतः इसका तात्पर्य यह होगा कि कम शोधक्षम अथवा घाटे पर चलने वाले समवायों के बीमा कराने वालों के लाभ के लिये अन्य शोधक्षम समवायों में बीमा कराने वालों की उन निधियों को नहीं लेना चाहिये जो उनकी हैं। दूसरे शब्दो में एक व्यक्ति से छीन कर दूसरे को वह अंश देना उचित नहीं है।

जिन समवायों का जीवन बीमा व्यवसाय निगम लेगा उनकी वित्तीय दशा में बहुत अन्तर है। उसके अनेक कारणों में से एक कारण किस्त की दर ही है। अच्छे समवायों में भी कुछ समवाय लाभ वाली क्रम राशि की किस्तें लेते हैं और कम बोनस देते हैं और कुछ अन्य समवाय अधिक राशि की किस्तें लेते हैं और अधिक बोनस देते हैं। इसका कारण जो अत्याधिक महत्वपूर्ण भी है यह है कि भूतकाल में समवाय का प्रबंध किस तरीके से किया गया था यदि प्रबन्ध व्यय में बचत होगी और विनियोजन नीति ठीक होगी तो काफी रक्षित निधि होगी। इसके न होने पर रक्षित निधि कम होगी।

अतः विभिन्न समवायों के बीमा कराने वाले लोगों द्वारा निगम में लाई जाने वाली निधियां भी भिन्न-भिन्न होंगी और उनका महत्व भी अलग-अलग होगा। एक समवाय का बीमा कराने वाला अपने साथ ३०० रुपये रक्षित निधि के रूप में लाता है, तो किसी दूसरी कम्पनी में बीमा कराने वाला ३५० रुपये रक्षित निधि के रूप में लायेगा जो पालिसी पूरा करने के लिये बड़ी कठिनता से पर्याप्त होता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ४०० रुपये या ४५० रुपये ला सकता है। यदि ये बीमा कराने वाले उन्हीं समवाय में चलाते रहते तो उनका भविष्य भी अलग-अलग होता। पहले को १२ आने प्रति रुपया मिलता, दूसरे को कुछ भी बोनस न मिलता, तीसरे को थोड़ा सा बोनस मिलता जबकि चौथे को, जिसने अच्छे समवाय में बीमा कराया था, उसे काफी बोनस मिल सकता था। मैं जिस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं वह यह है कि संयुक्त-स्कन्ध समवायों से इसमें भिन्न स्थिति होती है। मूल संविदा को पूरा करने के लिये जितनी राशि की आवश्यकता होती है उससे अधिक जो भी रक्षित निधि होती है उस पर न

तो समवाय का अधिकार होता है और न ही अंशधारी का वरन् विधि और समन्याय दोनों ही दृष्टियों से बीमा कराने वाले का होता है, जो भविष्य में बोनस देने के लिये रखी जाती है । अतः प्रश्न यह है कि दूसरों को बढ़ा हुआ बोनस देने के लिये अथवा उनकी पालिसियों के मूलधन की कमी को पूरा करने के लिये इन अतिरिक्त राशियों को ले लेना कहां तक न्यायोचित होगा ।

यदि सारे समवायों की आयों का एकत्रीकरण किया गया होता तो दूसरा परिणाम यह होता कि अगले दस-पांच वर्षों तक ओरियन्टल जैसे सुप्रबन्धित समवायों में बीमा कराने वाले लोगों को जितने बोनस की वे आशा करते हैं उससे कम ही मिलता और इस पर उनकी यह शिकायत उचित ही होती कि राष्ट्रीयकरण से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है । ऐसी दशा में वे सरकार को यह भी सुझाव दे सकते थे कि यदि सरकार कुप्रबन्धित समवायों में बीमा कराने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है तो सरकार को पहले धन का प्रबन्ध करना चाहिये ।

इसी कारण से भविष्य में दिये जाने वाले बोनसों की दृष्टि से पालिसियों का वर्गीकरण करने के लिये खण्ड ३९ (२) (ट) के द्वारा शक्ति ले ली गई है । जितनी राशि निगम को रक्षित निधि के रूप में मिलेगी उसके आधार पर विद्यमान पालिसियों का एक उचित संख्या में बर्गीकरण किया जायेगा और प्रत्येक वर्ग को उसकी रक्षित निधि के अनुसार बोनस मिलेगा ।

यह वर्गीकरण अध्यादेश जारी होने से पहले वाली पालिसियों में ही लागू होगा । अध्यादेश जारी होने के पश्चात् ली गई सारी पालिसियों में समान बोनस दिया जायेगा । इस सिद्धान्त को कड़ाई से लागू करने का तात्पर्य यह है कि निगम द्वारा लिये जाने से पूर्व दिवालियां समवायों की पालिसियों की राशि में पर्याप्त कमी की जायेगी । खण्ड १२ से निगम को संक्षेप में यह करने की शक्ति मिल जाती है । मैं अनुभव करता हूं कि किसी बीमा कराने वाले को जितने का उसने बीमा कराया है, उतनी भी राशि न मिले तो बड़ा बुरा होगा किन्तु युक्तियुक्त रूप से इस बात का भरसक प्रयत्न करूंगा कि जितने का बीमा कराया गया है, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिये । मैं इस समय वचन तो नहीं दे सकता क्योंकि इस सीमित लाभ की वित्तीय प्रभाव ऐसा है कि उस पर बहुत अधिक द्रव्य लग जायेगा ।

अधिनियम के अधीन दिये गये विवरणों के अनुसार कुल शोधाक्षमता ४५ लाख रुपये थी । किन्तु कुल इतनी ही राशि नहीं है, इस राशि में हमें वह धन भी जोड़ना है जिसके गबन का हमें अभी पता लगा है । आगे भी जांच पड़ताल से पता लग सकता है कि कुछ आस्तियों का अधिक मूल्य आंका गया है । भारत बीमा कम्पनी के बारे में जैसा हमने किया था, हम अपचारियों से रुपया वसूल करने का यथासम्भव प्रयत्न करेंगे किन्तु इस प्रकार कितना रुपया वसूल हो सकेगा यह इस समय बता सकना कठिन है । मैं इस समय इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस श्रेणी के बीमा कराने वालों के साथ यथा सम्भव उदारतापूर्ण व्यवहार करेंगे ।

एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर सरकारी और विरोधी दोनों पक्षों के सदस्यों में कुछ असन्तोष फैला है वह है विभिन्न बीमा करने वाले समवायों को दिया जाने वाला प्रतिकर । विधेयक में इस बारे में जो उपबन्ध किया गया है उसका उल्लेख मैं जरा विस्तार से करूंगा । ये बातें प्रथम अनुसूची में दी हुई हैं । प्रथम अनुसूची का भाग (क) उन स्वामीगत समवायों के बारे में है जिनके पास पिछली बार जीवनांकिक मूल्यांकन करते समय आधिक्य राशि थी और जिन्होंने उन आधिक्यों का कुछ अंश अंशधारियों के लिये नियत कर दिया था । भाग (ख) उन स्वामीगत समवायों के बारे में है जो या तो घाटे में थी अथवा जिनके पास नाममात्र का आधिक्य था और भाग (ग) पारस्परिक और सहकारिता बीमा समितियों के बारे में है । भाग (क) के समवाय कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं । उनकी संख्या केवल ७० है जिन में से ५३ भारतीय, ८ अभारतीय और ९ भविष्य निधि समितियां हैं, उनको अधिक प्रतिकर दिया जाने वाला है । आप देखेंगे कि प्रतिकर में कहीं भी बाजार मूल्य का महत्व नहीं होता । मिश्रित समवायों और विदेशी समवायों के

[श्री सी० डी० देशमुख]

कुल व्यापार का हम कुछ अंश ही अपने अधिकार में ले रहे हैं, इस कारण बाजार मूल्य, भले ही उसका निश्चय कर लिया जाये, फिर भी उससे कोई लाभ नहीं होगा । केवल जीवन बीमा कार्य करने वाले भारतीय स्वामिगत समवायों के बारे में प्रतिकर देने के लिये बाजार मूल्य पर विचार किया जा सकता है किन्तु खेद है कि केवल तीन समवायों के अंशों का मूल्य-कथन श्रेष्ठिचला में नियमित रूप से किया जाता है और वे भी या तो नाममात्र के होते हैं अथवा निश्चय ही उन पर हाल में बाह्य विचारों का प्रभाव पड़ता है अर्थात् उन बातों का प्रभाव पड़ता है जो उनके निजी मूल्य के अतिरिक्त होती हैं । अतः प्रतिकर में हमने बाजार मूल्य को नहीं रखा है । आस्तियों और दायित्वों के वास्तविक निर्धारण में हो सकता है कि हमने कुछ कमी रखी हो । इसकी जांच हम कर चुके हैं लेकिन हमने यह महसूस किया था कि इस उपाय से बहुत समय तक ये विषय अनिर्णित रहेंगे और हो सकता है कि उससे विवाद, असन्तोष और लड़ाई-झगड़े भी उत्पन्न हों सम्पूर्णतः हमने यह समझा था कि यदि हम ऐसा आधार ढूंढ निकालें जो अंशधारियों के लिये उचित हो और जिससे शीघ्रता भी हो सके और वह आधार अनुसूची में दिया हुआ है तो हम देखेंगे किं यदि कुछ समवायों में कोई दूसरा तरीका लागू किया गया तो उन्हें बहुत थोड़ा या कुछ भी प्रतिकर नहीं मिलेगा । मैं अभी इसकी व्याख्या करूंगा । प्रतिकर को, मैं समझता हूं कि जीवन बीमा व्यवसाय से भविष्य में होने वाली आय में हानि के लिये समझा जाना चाहिये । यह ऐसा लाभांश है जो अंशधारियों को नहीं मिलता और जिसका प्रतिकर दिया जाना है । प्रदत्त पूंजी को उचित आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जीवन बीमा समवायों में लाभांश का प्रदत्त पूंजी से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । लाभांशों का प्रदत्त पूंजी से सामान्य सम्बन्ध नहीं होता ।

अतः पहले हमें जीवन बीमा व्यवसाय की वह औसत आय निर्धारित करनी है जिसे भविष्य में पाने की अंशधारी आशा कर सकते थे । बाद में इस राशि का पूंजीकरण किया जायेगा । अंशधारी कितनी राशि प्राप्त करने की आशा कर सकते थे उसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है और मैं समझता हूं कि यदि हम पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जो कुछ लाभ कमाया है, उसका औसत ले लेते हैं, तो ऐसा करना गलत हीं होगा । जैसा कि सभा को ज्ञात है कि अंशधारियों को बंटवारा, जिसमें से कि लाभांश दिये जाते हैं, केवल जीवनांकिक मूल्यांकन के समय किया जाता है । यह मूल्यांकन कुछ मध्यान्तर, प्रायः तीन वर्ष, पश्चात किया जाता है । अतः बंटवारे का औसत—पिछले दो मूल्यांकन के बारे में—लेने का विचार है । इस प्रकार इसमें ६ वर्ष का समय आ जायेगा । दो बार का मूल्यांकन और तीन वर्ष की एक अवधि । इस प्रकार हमें वे आंकड़े मिल जायेंगे जिसमें लम्बी कालावधि के लाभों पर हुये आकस्मिक लाभ का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

अवधि का निश्चित करने के पश्चात्, हमने वास्तव में किये गये बटवारे में एक अथवा दो समायोजन किये । बीमा अधिनियम में यह व्यवस्था की है कि जीवनांकिक मूल्यांकन के समय प्रकट किये गये अतिरेक में से ७·५ प्रतिशत से अधिक अंशधारियों को नहीं दिया जा सकता । बहुत से उन्नत बीमा समवाहों ने इस अधिकतम ७·५ प्रतिशत की अपेक्षा कुछ कम प्रतिशत दिया और प्रवृति वास्तव में अधोमुखी थी । यदि हम वास्तविक बंटवारे के आधार पर प्रतिकर देते हैं तो हम उन व्यक्तियों को, जिनके कि विचार संकीर्ण हैं और विधि द्वारा स्वीकृत अधिकतम बटवारा दिया है, लाभ पहुंचायेंगे । दूसरी ओर हम वास्तविक बंटवारे की बिल्कुल भी अवहेलना नहीं कर सके चूंकि जब अंश बेचे जाते हैं तो अंशधारियों को दिये गये वार्षिक बंटवारे का भी लोग ध्यान रखते हैं ।

इस सिलसिले में मैं यह बता देना चाहता हूं कि १९५० में, और वह भी पहली बार अतिरेक के उस भाग की जो कि अंशधारियोंको बांटा जा सकता है, सीमा निर्धारित की गई और उस समय अधिकांश से अधिक व्यक्तियों ने ५ प्रतिशत की सीमा पसंद की; हालांकि अंत में समझौते के रूप में ७·५ प्रतिशत स्वीकार किया गया और यह निश्चित हुआ कुछ समय पश्चात इसको घटाना होगा । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बहुत से समवायों ने बहुत ही कम बांटा जैसा कि इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि

सभी स्वामिगत समवायों का एक साथ लिये गये पिछले मूल्यांकन के समय बांटे गये अतिरेक का भाग केवल ५ प्रतिशत था। इन सब बातों को देखते हुये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह उन सभी व्यक्तियों के लिये अच्छा होगा जो इसमें रुचि रखते हैं कि ५ प्रतिशत से अधिक बंटन की हम अवहेलना करें जिससे कि उन अंशधारियों पर, जिन्होंने कि थोड़े से बंटन अथवा बहुत ही थोड़े से बंटन में संतोष प्रकट किया है, अनुचित दंड न पड़े। यह उचित प्रतीत हुआ कि जहाँ जिन समवायों ने ३ प्रतिशत से कम दिया है उन्हें ३ प्रतिशत देना चाहिये था। संक्षेप में: प्रतिकर के उद्देश्य से जो धन रखा गया है वह धन अंश-धारियों को वास्तव में दिये गये धन के बराबर है जो अतिरिक्त का अधिक से ५ प्रतिशत, और कम से कम ३ प्रतिशत है, और हम समझते हैं कि यह उचित सीमा है। इस प्रकार यह धनराशि वह वार्षिक राशि है जिसे कि औसतन रूप में अंशधारी प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं।

दूसरा पग उचित ब्याज की दर पर इनका पूंजीकरण करना है ताकि प्रतिकर के वे आंकड़े निकल आयें जो कि देना है। यदि एक राशि करने के लिये हम ५ प्रतिशत ब्याज की दर उचित मान लें तो वार्षिक बंटवारे के प्रत्येक रुपये का वर्तमान मूल्य, १०० ÷ ५ = २० निकल आता है। कहने का तात्पर्य यह कि वह बीस वर्ष का ब्याज होगा। हम दूसरी प्रकार से भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यदि भुगतान किये गये प्रतिकर की राशि १०० रुपये हैं तो एक भागीदार, उचित रुप से धन लगाकर, ५ रुपये प्रति वर्ष पा सकता है। अतः ५ रुपये के वार्षिक लाभांश की क्षति के लिये १०० उचित प्रतिकर है। इसलिये वार्षिक लाभांश की क्षति के लिये अथवा १ रुपये के बंटवारे के लिये २० रुपये उपयुक्त प्रति-कर है। भविष्य में आने वाले भावी लाभांश की क्षति के लिये भागीदार को प्रतिकर देकर हम अधिकृत रूप से कह सकते हैं कि हम प्रदत्त पूंजी का विनियोग करने का अधिकारी हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भागीदार को लाभांश तथा पूंजी दोनों ही मिलती रहेगी और जैसा कि मैं समझता हूं कि सभा भी इस बात से सहमत होगी कि यह बिल्कुल अनावश्यक है। अतः जीवन बीमा समवाय के मामले में पूरी प्रदत्त पूंजी विनियोजित की जायेगी। किन्तु मिश्रित समवायों के मामले में उसी पूंजी का विनियोग किया जायेगा जो जीवन बीमा व्यापार की सम्पत्ति समझी जायेगी। मैंने "समझी जायेगी" सम्पत्ति का प्रयोग किया है क्योंकि प्रदत्त पूंजी का किसी व्यापार विशेष के लिये बंटवारा नहीं किया जाता। यह तो सम्पूर्ण व्यापार के लिये प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध रहती है। 'समझी जाने वाली पूंजी' कितनी होगी यह पता करने के लिये जिन सिद्धान्तों पर विभाजन होगा वे नियमों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

सुस्थापित समवायों के साथ उक्त प्रकार का व्यवहार होगा। जब कि सुस्थापित समवायों के बारे में, जिन्हें सन्तोषजनक लाभ होता है, प्रतिकर का आधार बिल्कुल ठीक है परन्तु छोटे समवायों के बारे में अनुपयुक्त है जो यद्यपि भली प्रकार से कार्य करते रहते हैं और विभाजन करने योग्य अतिरेक भी बताते हैं, परन्तु जिनका वास्तव में बहुत अधिक लाभ नहीं होता।

कुछ मामलों में, ऐसा देखा गया है, कि प्रत्येक मूल्यांकन के समय समवाय के पास लाभ हुआ, और उन्होंने बीमा कराने वालों को बोनस बांटा था इन्हें बंटवारे के २० गुने के आधार पर दिया गया प्रतिकर उनकी प्रदत्त पूंजी से कम होगा। मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार के मामलों की व्यवस्था करने के लिये अनुसूची में एक विकल्प आधार की व्यवस्था की गई है, वह व्यवस्था यह है कि प्रतिकर, दूसरे मामलों में निकाले गये बंटवारे के औसत का १० गुना होगा और उन्हें प्रदत्त पूंजी को रोकने का अधिकार होगा। कुछ समवायों ने आवेदन किया है कि वे प्रतिकर के बारे में स्थूल रूप से सहमत हैं परन्तु अतिरेक समवायों के विभिन्न वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिवर्तन आवश्यक होंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिकर तो पिछले दो विधिवत मूल्यांकनों के परिणामों पर आधारित है। अब कठिनाई यह है कि कुछ समवायों का पिछला मूल्यांकन तो ३१-१२-५४ को हुआ था जबकि कुछ समवायों का ३१-१२-५३ अथवा और भी पहले हुआ था। इस प्रकार जिन समवायों का पिछला मूल्यांकन ३१-१२-५४ को हुआ था——यही अंतिम तिथि

[श्री सी० डी० देशमुख]

है जिसको विधिवत मूल्यांकन हुआ है--वे समवाय अन्य समवाय की अपेक्षा लाभ में होंगे । लाभ स्पष्ट है क्योंकि गत दो वर्षों में व्यापार में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है । यह सुझाव दिया गया है कि प्रतिकर का आधार किसी प्रमापित अवधि, का कार्य होना चाहिये जो सभी के लिये एक समान हो और इस प्रमापित अवधि में पिछला पत्री वर्ष १९५५ भी सम्मिलित कर लेना चाहिये । हम देखते हैं कि इस प्रार्थना में कुछ तथ्य है, और हम इस सुझाव पर प्रवर समिति के प्रक्रम में विचार करेंगे काफी संख्या में मूल्यांकन करना अनावश्यक और अनुपयुक्त होगा । परिणाम उपयुक्त अनुमान द्वारा लगाये जा सकते हैं ।

अब भाग (ख) है । भाग (क) में दिये गये आधार यद्यपि उन समवायों के लिये अनुपयुक्त होंगे जिन्होंने अंशधारियों को बंटन नहीं किया है । अधिकांश मामलों में इसका अभिप्राय यह होगा कि मूल्यांकन से घाटा छिपाया गया था अर्थात् जीवन बीमा निधि जीवन बीमा कराने वालों के दायित्वों से कम थी । इसका अभिप्राय यह नहीं है वे दिवालिया हो जायेंगे जब तक कि यह कमी, जो कि व्यापारिक हानि के बराबर हो, प्रदत्त पूंजी से अधिक न हो जाये । क्योंकि प्रदत्त पूंजी से भी यह कमी पूरी की जा सकती है । इन समवायों के अतिरिक्त जो वास्तव में घाटे में थी कुछ ऐसी भी कम्पनियां हो सकती हैं जिनका अतिरेक इतना कम और अनिश्चित है कि कोई आवंटन नहीं किया गया था । दायित्वों से अतिरिक्त जो भी आस्तियां होंगी वे उन सब समवायों को मिल जायेंगी । इन समवायों में से कुछ के पास अतिरेक हो सकता है उसका पता जीवनांकिक के मूल्यांकन से लगेगा । अनुसूची में ऐसे मामलों के लिये यह उपबन्ध है कि अंशधारियों को इस अतिरिक्त राशि का ४ प्रतिशत भाग मिलेगा । अनुसूची में आस्तियों और अंशधारियों के प्रतिदायित्वों के मूल्यांकन का आधार दिया गया है । मैं यह भी कह दूं जीवनांकिक के मूल्यांकन का जो आधार दिया गया है उसे स्थूल रूप से शोधक्षमता का आधार कहा जा सकता है । यह उस मूल्यांकन से कम कठोर है जो बोनस घोषित करने के उद्देश्य से अपनाया जाता है ।

अब मैं अनुसूची के भाग (ग)' को लेता हूं । इसका सम्बन्ध पारस्परिक (म्यूचुअल), सहकारी, और अपंजीबद्ध संस्थाओं से है--ये लगभग ४४ है । इनके मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इन्हें प्रतिकर दिया जाये । फिर भी संभाव्य वैधिक आपत्ति को दूर करने के लिये अनुसूची में यह उपबंध है कि उन्हें नाममात्र का प्रतिकर दिया जाये । प्रति हजार रुपये की बीमा की गई राशि पर १ रुपया बढ़ा कर उसे दिया जाये ।

अनुसूची की व्याख्या और प्रतिकर प्रश्न को अब मैं समाप्त कर चुका हूँ, किन्तु विदेशी समवायों सम्बन्धी एक दो प्रश्नों को मुझे लेना है । इंगलिस्तान और कनाडा की कुछ कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा में कुछ ऐसे अभारतीयों के बीमे किये हैं जो भारत के अस्थायी निवासी थे । इनमें से बहुत से बीमें इंगलिस्तान अथवा अन्य स्थानों में किये गये थे और जब बीमा कराने वाले भारत आये तो उन्होंने अपने बीमें भारतीय शाखाओं में स्थानान्तरित करवा लिये । अन्य बीमे भारत में ही किये गये थे । इस बात का अभ्यावेदन किया गया है कि बीमे कराने वाले ये लोग अपनी पालिसियां तत्सम्बन्धी रक्षित धन के साथ अपने मुख्यालयों को स्थानान्तर करा लें क्योंकि यह आशा नहीं है कि निगम अपनी शाखाएं उन देशों में खोलेगा इसलिये जब ये बीमा कराने वाले लोग अपने देश को लौट जायेंगे तब उनकी संतोष जनक सेवा करना कठिन होगा--इसलिये यह विचार है कि इन पालिसियों को तत्सम्बन्धी रक्षित धन सहित उनके मुख्यालयों को स्थानान्तर करने दिया जाय ऐसा कारबार भारत में उनके कारबार का १५ से २० प्रतिशत होगा । इंगलिस्तान और कनाडा की कुछ कम्पनियों ने यह भी अभ्यावेदन किया है कि भारत में उनकी जो अस्तियों है वे भारत में प्राप्त हुये धन से नहीं बनाई गई है--कुछ बनाई गई है--और उन्हें ऐसी अस्तियाँ वापस ले जाने दिया जाना चाहिये जो भारत के बीमा कराने वालों के दायित्वों के लिये आवश्यक न हो । ऐसे समवायों की निधि से हम पर्याप्त अस्तियाँ रख लेंगे जिससे कि बीमा कराने वालों की पर्याप्त प्रतिभूति रहे तथा अच्छी दर पर भविष्य में बोनस भी दिये जा सकें । मैं इस आधार का ब्यौरा नहीं बताऊँगा

क्योंकि वह दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि वे जो रक्षित निधि यहाँ छोड़ जायेंगे वह कम से कम उतनी होगी जितनी कि उत्तम भारत समवायों की है। इस आधार पर दायित्वों की गणना करने के पश्चात जो अतिरिक्त राशि बचेगी उसे उनके मुख्यालयों को ले जाने दिया जायेगा। इन अतिरिक्त राशियों को छोड़कर विदेशी समवायों को प्रतिकर बिल्कुल उसी प्रकार दिया जायगा जिस प्रकार कि भारतीय समवायों को। स्थूलरूप से प्रतिकर की यह योजना अनुसूचियों में दी गई है।

मेने विधेयक के मुख्य उपबन्धों पर प्रकाश डाला है। मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति उन सब बातों को ध्यान में रख कर जिनका अभ्यावेदन किया गया है और किया जायेगा, अन्य खंडों की बड़ी बारीकी से जांच करेगी जिससे कि सब अन्तर्ग्रस्त हितों के साथ न्याय और संतुलित व्यवहार किया जा सके। सभा इस बात से सहमत होगी कि यह आवश्यक है कि निगम अपना कार्य यथा शीघ्र आरम्भ करे। तब ही इस विषय सम्बन्धी अनिश्चितता दूर हो सकेगी। मुझे विश्वास है कि मुझे इस सभा के सब वर्गों से सहयोग मिलेगा और यह विधेयक बहुत कम समय में अधिनियम बना दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के लिये स्थापित निगम को इस प्रकार का सारा व्यवसाय हस्तान्तरित करने की, जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण तथा निगम के विनियमन और नियंत्रण की और उससे सम्बन्धित या प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को इस सभा के सदस्यों की एक प्रवर समिति को, जिसमें श्री बी० जी० मेहता, श्री श्यामनंदन सहाय, श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री एस० के० पाटिल, श्री श्रीमन्नारायण, श्री सी० पी० मात्तन, श्री फिरोज़ गांधी, श्री राधेलाल व्यास, श्री रामचंद भाई एन० शाह, श्री उपेंद्रनाथ बर्मन, श्री बिमलाप्रसाद चालिहा, श्री एम० आर० तेलकीकर, श्री आर० वेंकटरमन,' श्री टेक चंद, श्री टी० एन० सिंह श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्, पंडित कृष्णाचन्द्र शर्मा, श्री आर० आर० मुरारका, श्री जी० एल० बंसल, श्री एम० डी० जोशी, श्रीमती सुषमासेन, श्री एस० आर० राने, श्री वी० बी० गांधी, श्री बी० आर० भगत, श्री साधन गुप्त, श्री के० आनन्द नम्बियार, श्री तुषार चटर्जी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री तुलसीदास किलाचंद, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री जी० डी० सोमानी, श्री आर० वेलायुधन, और प्रस्तावक हों, सौंपा जाय और समिति को यह अनुदेश दिया जाय कि वह १६ अप्रैल, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन दे।

इस प्रस्ताव के बारे में श्री साधन गुप्त का एक संशोधन है। मैं देखता हूं कि यह नियम बाह्य है। यह तो विधेयक का क्षेत्र बढ़ाने के लिये है विधेयक का क्षेत्र केवल जीवन बीमा तक ही सीमित है।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण-पूर्व) : पिछले कई अवसरों पर सभी की यह नीति रही है कि विधेयकों का क्षेत्र बढ़ाने के लिये भी संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उदाहरणत: जब दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक विचाराधीन था तो प्रवर समिति को सम्पूर्ण संहिता पर विचार करने और संशोधन के प्रयोजन के लिये प्रत्येक धारा पर विचार करने की शक्ति दी गई थी।

प्रस्ताव की अनुमति प्राप्त हुई थी और वह स्वीकृत हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि ज़ीवन बीमा के साथ ही साथ सामान्य बीमे का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय क्योंकि बीमा समवायों का संगठन ऐसा है कि ऐसा न करने से सामान्य बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण असंभव हो जायगा। इसीलिये मेरा सुझाव है कि प्रवर समिति को इस विषय पर भी विचार करने की और इसके लिये उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय जैसा कि पहले अन्य विधेयकों पर विचार करते समय किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री एस० एस० मोरे :** मैं श्री साधन गुप्त के संशोधन का समर्थन करता हूं । इस संशोधन की सक्षमता के सम्बन्ध में आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि लोक प्रतिधान विधेयक १९५१ और निवारक निरोध विधेयक १९५२ पर विचार करते समय ऐसी मदों की एक सूची प्रवर समिति को विचार करने के लिये दी गई थी जिनका समावेश अन्य धाराओं में किया नहीं गया था । इसी प्रकार के अनुदेश न दिये जाने पर जब ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं जिनसे क्षेत्र विस्तृत होता है वे अनियमित घोषित कर दिये जाते हैं परन्तु इस सभा को अधिकार है कि वह प्रवर समिति को विधेयक का क्षेत्र विस्तृत करने का अनुदेश दे सके ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं समझता हूं कि यह तर्क मान्य नहीं है और न वे उदाहरण यहाँ पर लागू हो सकते हैं । जब कोई प्रक्रिया संहिता का संशोधन करता है तो उसे दंड प्रक्रिया का संशोधन करना पड़ता है यही बात लोक प्रतिनिधान के सम्बन्ध में है । किन्तु हम सभी के सामने केवल जीवन बीमा के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिये उपस्थित हुये हैं इसी लिये यह सुझाव देना कि हमें इसके साथ-साथ किसी अन्य वस्तु का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये, चाहे जितनी वह अन्य वस्तु इसके साथ सम्बद्ध हो मेरी समझ में उचित मांग नहीं है । इसके अतिरिक्त एक नई योजना तैयार करने में और ऐसे सिद्धान्तों को लागू करने में भी जो सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण पर लागू होते हैं, कुछ कठिनाइयाँ हैं; यह सब बातें उलझी हुई हैं किन्तु मुख्य संविधानिक विषय का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के क्षेत्र को इस प्रकार विस्तृत करना जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाया है उचित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जिस उदाहरण का उल्लेख किया गया है उसका सम्बन्ध केवल संशोधक विधेयक से था । और विचार यह था कि कुछ धाराओं का संशोधन करने के कारण हो सकता है कुछ अन्य धाराओं में भी संशोधन करना आवश्यक हो परन्तु यह एक सर्वथा नवीन विधेयक है जिसका उद्देश्य बीमा व्यापार के एक विशेष खंड अर्थात जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करना है । साधारण बीमा भिन्न प्रकृति का है । यद्यपि समवायों को दोनों प्रकार का बीमा करने की अनुमति दी गई है परन्तु बीमा अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है कि जीवन बीमा निधि सामान्य बीमा निधि से पृथक् रखा जाय । इसके अतिरिक्त माननीय वित्तमंत्री ने कहा है कि अन्य बहुत सी बातें भी ऐसी हैं जो दोनों पर सामान्य रूप से लागू नहीं होतीं ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं यह बताना भूल गया था कि आपात्कालीन उपबंध विधेयक जो कि हम पारित कर चुके हैं हमें इस बात के लिये बाध्य करता है कि हम केवल जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण करें क्योंकि प्रारम्भिक उपाय केवल इसी प्रकार के बीमे के सम्बन्ध में किये गये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जैसी परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं उनको देखते हुये जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं वे लागू नहीं होते । इसी प्रकार का एक पूर्व दृष्टांत इस सभा में पहले भी आ चुका है । जब बांस के कागज़ उद्योग ( संरक्षण विधेयक ) के सम्बन्ध में श्री हरीसिंह गौड़ एक संशोधन के द्वारा इस विधेयक के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहते थे और सरकार ने आपत्ति उपस्थित की थी और उस अवसर पर राष्ट्रपति ने संशोधन को नियम बाह्य घोषित कर दिया था और उसी आधार पर मैं भी इस संशोधन का नियम बाह्य घोषित करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री अशोक मेहता ।

†**श्री अशोक मेहता :** अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व ही जीवन बीमे के राष्ट्रीयकरण को इस सदन ने सम्मोदित किया है और हमने जो निर्णय किया है उसे स्थायी रूप और आकार दिये जाने के लिये हम से कहा गया है । मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि वित्त मंत्री ने सैद्धान्तिक और पूर्ववर्तिता सम्बन्धी बातों को मानना प्रारम्भ कर दिया है । (**श्री एस० एस० मोरे** : 'समाजवादी ढांचा)

---

†लमू अंग्रेजी में

हमारे समक्ष जो विधेयक है उसमें कम से कम चार महत्वपूर्ण बातें समाविष्ट की गई हैं। प्रथम है प्रस्तावित निगम का स्वरूप और उसके कार्य। दूसरा प्रश्न है प्रबन्ध का। इसके बाद है कर्मचारियों की स्थिति और उनके अधिकार और चौथा प्रश्न है प्रतिकर का। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है विधेयक केवल संगठन के ढांचे का ही उपबन्ध कर सकता है और उसका ब्योरा बाद में बनाये जाने वाले नियम से निश्चित किया जाना है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस प्रकार के मामले में काफी लचीलापन रखा जाना आवश्यक है। किन्तु मेरा ख्याल है कि हमें सभी संभाव्य प्रश्नों पर विचार कर लेना चाहिये क्योंकि हम एक कठिन उपक्रम करने जा रहे हैं और हमारा मार्ग जितना साफ होगा उतनी ही हमारी यात्रा निर्विघ्न रहेगी।

उक्त चार महत्वपूर्ण बातों पर कुछ कहने से पूर्व मैं दो छोटी बातों के बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं। पहली बात है खंड ३५ के बारे में। उसमें कहा गया है कि बीमा अधिनियम की धारा २ के उपबन्धों के कारण जिन बीमा कर्त्ताओं पर बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि अनेक बीमा कर्त्ताओं ने १९३८ के पहले अपना कारबार बन्द कर दिया था और उन्होने जीवन बीमा व्यवसाय को भी जारी नहीं रखा था। ऐसों को बीमा अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं लाया गया है और उन्हें इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी नहीं लाया जायेगा। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह कारबार अब मंदी पर है किन्तु मैं कम से कम ऐसे तीन विदेशी समवायों के नाम जानता हूँ जिनका बीमा व्यवसाय अब भी जारी है। इनका कारबार लगभग ५३,३६,००० रुपये का है और इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या ऐसी राशियों को जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण की सामान्य योजना से अलग रखा जाये अथवा नहीं।

जैसा कि वित्त मंत्री ने अभी स्पष्ट किया है कि भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं और जिन्होंने भारत के बीमा कर्त्ताओं से विदेशी मुद्रा में बीमा कराया है। क्या हम इन विदेशी बीमा कर्त्ताओं से इन बीमा पालिसियों को ले लेने को कहने का विचार करते हैं मुझे ऐसे भी उदाहरण ज्ञात हैं जहां

**[पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

इस देश के राष्ट्रजनों ने विदेशी मुद्रा में बीमा करवाया है। क्या इस प्रकार के बीमे के प्रत्यावर्तन के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे जिससे कि हमारे देश में बीमे का राष्ट्रीयकरण अधिक अच्छे ढंग से किया जा सके।

एक और छोटी सी बात है जिसकी ओर मैं आपका और वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ और वह है खंड ३४ जो सरकार को बीमा अधिनियम के कतिपय उपबन्धों में रूपभेद करने का प्राधिकार देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में जो संशोधन किये जायें उनकी जानकारी प्राप्त करने का अवसर सदन को प्राप्त होना चाहिये।

कर्मचारियों की जो अस्थिर दशा है उसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ। उन्होंने अपने पास आये तारों का जिक्र किया है और मुझे विश्वास है कि मुझे जो तार प्राप्त हुए हैं उनकी प्रतियां उन्हें भी प्राप्त हुई हैं। इन तारों को पढ़ने से मुझे ज्ञात हुआ है कि कर्मचारियों को काफी चिंता हो रही है। इस चिंता के अनेक कारण हैं। पहले तो, जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है कि समूचे ढांचे का वैज्ञानिकन करने, कर्मचारियों के निगम में सेवायुक्त किये जाने की प्रणाली का वैज्ञानिकन करने और विभिन्न समवायों में इस समय काम करते रहे कर्मचारियों को निगम में विलीन करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। समिति का गठन कुछ इस प्रकार से हुआ है कि उससे लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। मेरा सुझाव है कि किसी भी ऐसे कार्य में उक्त व्यवसाय में सेवायुक्त कर्मचारियों

[श्री अशोक मेहता]

को सम्मिलित किया जाये । संविलयन के प्रश्न को एकपक्षीय ढंग से नहीं सुलझाया जाना चाहिये, अन्यथा इस महान और शुभ कार्य की शुरुआत गलत ढंग से होगी ।

मैंने यह भी पाया है कि विभिन्न समवायों में प्रारंभिक मूल वेतन, जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है, अलग-अलग है । उक्त वेतन कम से कम ६० रुपये से लेकर अधिक से अधिक १६० रुपये तक है । क्या आप उन्हें किसी समान स्तर पर लाने जा रहे हैं ? यदि आप किसी प्रकार का एकरूप प्रमापीकरण करने जा रहे हैं तो उससे काफी कर्मचारियों को असंतोष होगा इसलिये नीति निर्धारण इस प्रकार से किया जाये जिससे कि कर्मचारियों को असंतोष न हो ।

मैं पुनः अपील करूंगा कि हम इस महान प्रयोग को कर्मचारियों की अधिक से अधिक सद्भावना और सहयोग से करें और हमें उनसे यह सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है जबकि वह इस बात के प्रति आश्वस्त हो जायें कि उनसे सहयोग मांगा जा रहा है और उसका आदर किया जायेगा ।

चूंकि अब हमने बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है हमें संसार के ऐसे अन्य समवायों की अपेक्षा, जिनका कि राष्ट्रीयकरण हो चुका है, अधिक अच्छा कार्य करना चाहिये । संसार भर में केवल कोस्टा रीका ही ऐसा देश है जहां जीवन बीमे का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण किया गया है । मैं देखता हूं कि हमें चेतावनी मिल रही है जिसका हम खतरा उठा कर ही उपेक्षा कर सकते हैं । हमने जीवन बीमा पर एकाधिपत्य कर लिया है और हमें सभी प्रकार के खतरों से बचना चाहिये । फ्रांस में १९४७ से १९५३ तक जीवन बीमे के सार्वजनिक क्षेत्र में सकल बीमे की क़िस्त में १०० से ३७५ तक वृद्धि हुई जबकि निजी क्षेत्र में वह १०० से ४०५ तक बढ़ी । जहां तक व्यय अनुपात का सम्बन्ध है सार्वजनिक क्षेत्र में वह २१·४ से कम ही कर १८·१ रहा है और निजी क्षेत्र में वह २३·८ से घट कर १७·१ रह गया है । सार्वजनिक क्षेत्र में व्यपगत अनुपात ६·०८ से बढ़ कर ११·९२ हुआ है और निजी क्षेत्र में वह ६·५८ से घट कर ५.७९ रह गया । डेनमार्क में १९४९ से १९५३ में सरकारी कार्यालयों की प्रीमियम आय में १७·९ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि निजी जीवन बीमा समवायों की प्रीमियम आय में २१·१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जर्मनी अब दो भागों में विभाजित है । पश्चिमी जर्मनी में बीमा निजी उपक्रम है जबकि पूर्वी जर्मनी में बीमा व्यवसाय का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है । मुझे ज्ञात हुआ है कि समान राशि के बीमे के लिये पूर्वी जर्मनी में पश्चिमी जर्मनी की उपेक्षा प्रीमियम की अधिक ऊंची दरें हैं । अब हमने इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर लिया है और हमें उसे सफल बनाना चाहिये ताकि उसे हम संसार के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें । इसलिये संगठन पर अत्यन्त सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

जब हम संगठन के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारे समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि निगम एक ही हो या एक से अधिक । वित्त मंत्री ने जो भी तर्क प्रस्तुत किये हैं मैं उनसे सहमत इसलिये हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में मूल प्रश्न यह है कि इस निगम का संगठन किस प्रकार किया जाये । यदि हम निगम के सिद्धांत का अध्ययन करें तो हम यह देखेंगे कि निगम आर्थिक और वित्तीय आधार पर बड़े पैमाने पर कुशलतापूर्वक कार्य करने वाला एक संगठन होता है । मैं आपका ध्यान प्रबन्ध, निगम का संगठन आदि कुछ प्रश्नों की ओर आकर्षित करूंगा जिनकी ओर अभी तक इस देश में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ।

केवल एक सप्ताह पूर्व मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गालब्रैथ से, जो मूल्य नियंत्रण प्रशासन के अध्यक्ष और अमरीकी राज्य विभाग के आर्थिक सुरक्षा नीति के प्रधान रह चुके हैं, बातचीत की थी । उन्होंने कहा कि जबकि भारत समाजवादी समाज व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है तो निगमों की उन प्रणालियों की ओर शायद ही कोई ध्यान दिया जा रहा है जो कि वह भारत के लिये काफी महत्व रखती हैं । इसलिये मेरा ख्याल है कि वित्त मंत्री द्वारा निगम के संगठन और आंतरिक प्रबंध सम्बन्धी प्रश्नों पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिये जितना कि उन्होंने क्षतिपूर्ति के प्रश्नों पर दिया है ।

क्षतिपूर्ति का प्रश्न लोगों की एक सीमित संख्या को प्रभावित करता है और वह एक अस्थायी प्रश्न है। मैं मानता हूँ कि वह महत्वपूर्ण है किन्तु वह अल्प काल के लिये है और बहुत कम व्यक्तियों को प्रभावित करता है। किन्तु निगम का प्रश्न है लम्बी अवधि का और उस से हमारी समूची अर्थ व्यवस्था के प्रभावित होने की वंभावना है। इस प्रश्न का अध्ययन अनेक प्रकार के अधिकारियों द्वारा किया गया है। कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडाल्फ बार्ले ने विभिन्न देशों के निगमों का पूर्ण अध्ययन करने के उपरांत एक उल्लेखनीय सुझाव दिया है। उनका कथन है कि कतिपय परित्राण, जिन्हें वह अन्तर्निमित अन्तःकरण निरूपित करते हैं, निगम के ढांचे में ही सम्मिलित किये जाने चाहिएं। यह कार्य किस प्रकार किया जाये इस बारे में मैं अभी सुझाव दूंगा।

संसार में सबसे बड़ा निगम है जनरल मोटर्स का जिनका राजस्व हमारे गणतंत्र से भी अधिक है। उसका संगठन इस प्रकार हुआ है जिससे कि वह महत्तम परिणाम प्राप्त कर सका है। जनरल मोटर्स द्वारा संगठन के जिन उपायों और ढांचों को काम में लाया गया है उनका भी गहन अध्ययन किया गया है। उसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि उसका संगठन मुख्यतः एक संधान के रूप में किया गया है। उसमें महानत्तम निगमित एकता को महानत्तम विभागीय स्वायत्तता और दायित्व के साथ मिलने का प्रयास किया गया है। मैं इस बात को समझता हूँ कि विधेयक में हम ऐसे किसी संगठन की रूपरेखा ही रख सकते हैं किन्तु मैं चाहता हूँ कि हमारे संगठन को उक्त संगठन के समान बनाने की ओर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान दे।

वित्त मंत्री ने कहा है प्रादेशिक संगठनों को अधिकत्तम स्वायत्तता दी जायेगी। संगठन और उसकी निश्रेणियों के परस्पर सम्बन्धों पर पर्याप्त विचार किया जाना चाहिये और मैं चाहता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा इस बात की ओर ध्यान दिया जाये ताकि इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये जायें उन पर चर्चा करने का अवसर हमें मिले।

कई देश ऐसे हैं जो उद्योग, बीमा और महाजनी का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। अधिकतर ऐसे निगम इन तीन सिद्धांतो में से किसी एक पर संगठित किये जाते हैं। वह या तो स्वायतशासी सिद्धांत या व्यवसाय संघ (सिंडीकेट) सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत पर संगठित किये जाते हैं। मैं देखता हूं कि यह विशिष्ट रचना स्वायत्तशासी और राजनीतिक सिद्धांतों का मिश्रण है।

खड १८ के अंतर्गत, नीति सम्बन्धी मामलों में केन्द्रीय सरकार के निदेशों द्वारा निगम का मार्ग प्रदर्शन किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार को इतनी दूरगामी शक्तियां प्राप्त होनी आवश्यक हैं यह मैं समझता हूँ क्योंकि उसने निर्गमित बीमापत्रों और घोषित लाभांश जिस लाभांश के भविष्य में घोषित किये जाने की संभावना है उस की प्रत्याभूति दी है।

किन्तु हमें यह देखना है कि कहीं इस प्रकार के नियंत्रण से निगम केवल एक सरकारी विभाग तो नहीं बन कर रह जाता है। बीमा व्यवसाय, यदि उसे केवल एक विभाग में परिणत हो जाने दिया गया तो, कभी पनप नहीं सकता है और उसके कार्यकरण में स्वात्तता को कायम रखा जाना आवश्यक है। जबकि स्वायत्तता और राजनीतिक सिद्धान्तों को सम्मिलित किया गया है तो व्यवसाय सिद्धांत की उपेक्षा क्यों की गई है यह मेरी समझ में नहीं आता है।

दूसरे देशों में, जैसे फ्रांस में, राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग संगठन---राष्ट्रीय बीमा परिषद में तीन बीमा विशेषज्ञ, राज्य के तीन प्रतिमिधि और कर्मचारियों और बीमापत्रधारियों में से प्रत्येक के तीन प्रतिनिधि होते हैं। मैं जानता हूँ कि निगम के सदस्य पन्द्रह से अधिक नहीं होंगे किन्तु वह सदस्य कौन होंगे यह हमें ज्ञात नहीं है।

मैं देखता हूं कि बीमापत्रधारियों को परामर्शदाता की हैसियत में भी केवल विभागीय स्तर पर ही रखा जाता है। खंड ३९ में इस सम्बन्ध में निर्देश किया गया है। निगम के समूचे ढांचे में उनका निर्देश

[ श्री अशोक मेहता ]

कहीं अन्यत्र नहीं किया गया है। इसी संसद् ने यह निश्चय किया था कि बीमापत्रधारियों के दो या तीन निर्वाचित निदेशक हों जो प्रबन्ध के अधिकांश भाग से सम्बन्धित हों। क्या बीमापत्रधारियों का किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व होगा ? यदि हां, तो प्रश्न यह उठता है कि हम मजदूरों को प्रबन्ध में क्या स्थान देने जा रहे हैं।

विनियोग का प्रश्न वित्त मंत्री ने उठाया है। हमें जनरल मोटर्स जैसे निगम की कल्पना करके उसे मूर्त स्वरूप देने का प्रयत्न करना चाहिये। सम्भवतः इस प्रकार की कल्पना वित्त मंत्री के मन में भी है किन्तु उन्हें इस विषय पर और प्रकाश डालना चाहिये था।

विनियोग के प्रश्न के सिलसिले में मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या बीमा समवायों को हम स्वयं विनियोग करने की अनुमति देने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि किसी नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अंतर्गत समन्वय आवश्यक है और पूर्ववर्तिता का निर्धारित किया जाना भी आवश्यक है। ब्रिटेन में मुद्रा स्फीति के कारण ऐसी समस्यायें उत्पन्न हुईं कि आज भी वह उन समस्याओं को हल नहीं कर सका है। मैं नहीं चाहता हूं कि भारत को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिये मैं यह प्रश्न बार-बार उठा रहा हूं कि विनियोग के सम्बन्ध में किसी न किसी प्रकार का समन्वय होना चाहिये।

मैं राष्ट्रीयकृत बीमा निगम द्वारा निजी क्षेत्र में निधियों के कुछ भाग के विनियोजन के जारी रखे जाने के पक्ष में हूं। मैं इसके पक्ष में इसलिये हूं क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में इस प्रकार का सम्बन्ध हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये अत्यंत स्वस्थ और सहायक होगा।

मैं देखता हूं कि एक राष्ट्रीय बीमा परिषद् की स्थापना के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। ऐसी एक परिषद् फ्रांस में है और उसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। इस परिषद् का कार्य परामर्श देना होता है। क्षेत्रीय स्तर पर एक परामर्शदात्री निकाय का उपबन्ध है किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर उक्त निकाय के लिये ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि यदि उसमें बीमा पत्रधारी कर्मचारियों और विशेषज्ञ रखे जाने हैं तो सर्वोत्तम यही होगा कि यह व्यक्ति प्रतिनिधि की हैसियत से आयें। यदि ऐसा किया जाना है तो इसके लिये उपबन्ध स्वयं विधेयक में ही रखा जाना चाहिये और मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति राष्ट्रीय बीमा परिषद् की स्थापना के लिये उपबन्ध करे। यह परिषद् संभवतः उस राष्ट्रीय बीमा स्कूल को चला सकती है जो मौजूदा कर्मचारियों और अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण का दायित्व वहन करेगा। निश्चय ही यह सब बातें उच्च अधिकारियों पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये। किन्तु उसमें कुछ गैर-सरकारी व्यक्ति भी होने चाहियें ताकि जनता को अधिक विश्वास हो।

प्रबन्ध में एक प्रबन्ध निदेशक, एक कार्यपालिका समिति रहेगी और निगम होगा। इन सबके बीच कार्य का विभाजन किस प्रकार होगा यह मैं नहीं जानता हूं। हमें बताया गया है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक संगठन का सदस्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि क्षेत्रीय संगठनों को स्वायत्त इकाईयों के रूप में कार्य करना है तो क्षेत्रीय प्रबन्धकों और केन्द्रीय संगठन के बीच अत्यंत प्रभावपूर्ण सम्बन्ध होना आवश्यक है। क्षेत्रीय स्तर पर जो स्वायत्तता है उसका उच्चतर स्तर पर निदेशन की आवश्यकता से कैसे समन्वित हो ? किसी संविधान या परिनियत्त उपबन्ध से इसे प्राप्त करना संभव नहीं है वरन् संगठनात्मक सम्बन्धों के विकास से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है।

निम्नतर स्तर पर संगठन का स्वरूप क्या होगा यह विधेयक में नहीं बताया गया है किन्तु निम्नतर स्तर पर कार्यकुशलता नितांत आवश्यक है। इसलिये मैं आपका ध्यान, श्री मालवीय द्वारा लिखी गई पत्रिका में दिये गये ब्योरेवार सुझावों की ओर आकर्षित करता हूं। उन्होंने कहा है कि प्रादेशिक संगठन मे, चाहे उसका आकार कितना ही क्यों न हो, अपेक्षित संख्या में कर्मचारी होने चाहियें। देश में केवल

४ या ५ क्षेत्र होना ही पर्याप्त नहीं है। बीमा व्यवसाय की सफलता के लिये जिस प्रभावशाली विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है वह न केवल दो किन्तु अधिक स्तरों पर प्रयोग में लाया जाना चाहिये।

किसी अन्य निगम में इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। मैंने निगम की मूलभूत बातों के विश्लेषण में इतना समय लगाया है क्योंकि मेरा विश्वास है कि समूचे उपक्रम की सफलता हम जैसा संगठन स्थापित करते हैं उस पर निर्भर करेगी।

जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है मैं देखता हूं कि वह प्रश्न बहुत जटिल है। इस प्रश्न पर प्रवर समिति को विचार करना होगा।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि विलीनीकरण के लिये उन्हें कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करना चाहिये। मैं आपसे और आपके माध्यम से प्रवर समिति से अपील करता हूं कि कर्मचारियों और उनके संगठनों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाये क्योंकि मैं स्वानुभव के आधार पर जानता हूं तथा आपको आश्वासन देता हूं कि इससे समिति को लाभ ही होगा।

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का यह कार्य बड़े ही उत्तेजनापूर्ण ढंग से आरम्भ हुआ है। परन्तु मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि इसका अंत बड़े ही अच्छे ढंग से किया जायेगा और इस सम्बन्ध में जनता की जितनी भी ग़लतफहमियाँ हैं वह दूर कर दी जायेंगी।

इस बीमा कार्य से सम्बन्धित ऐसी कुछ समस्यायें हैं जिन पर हमको अत्यंत सावधानीपूर्वक विचार करना है। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बीमा व्यवसाय का आंशिक राष्ट्रीयकरण किया है। अपने यहां बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर के हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सर्वथा मौलिक और नवीन है और इसमें हम अग्रणी हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा देश बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने में नेतृत्व प्रदान कर रहा है और संभवतः इस कार्य में अन्य देशों का भी पथ-प्रदर्शन कर रहा है। परन्तु साथ ही, अनेक अर्थों में यह हमारे लिये एक चुनौती भी है।

अनेक व्यक्तियों ने यह कहा है कि यह राष्ट्रीयकरण सैद्धांतिक कारणों से किया गया है। परन्तु यदि यह बात भी हो तो मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। यह कहा गया है कि यह राजनीतिक कारणों से किया गया है। परन्तु मैं नहीं जानता कि राजनीतिक कारणों से इन का क्या तात्पर्य है। शायद उनका तात्पर्य यह हो कि यह कार्य सत्तारूढ़ दल का हितसाधन करने के लिये किया गया है। परन्तु मैं इस आरोप का खंडन करता हूं क्योंकि इस सभा के प्रायः सभी प्रकार की विचारधारायें रखने वाले सदस्यों ने एक स्वर से इसका स्वागत किया है। कहा गया है कि यह कार्य सामाजिक कारणों से किया गया है। हां, इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये सामाजिक कारणों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। अतिशय आशावादी हुये बिना मैं यह कह सकता हूं कि यह कार्यवाही हमें कल्याणकारी राज्य के उस लक्ष्य के काफ़ी निकट ले जाती है, जिसकी कि हम चर्चा करते रहे हैं।

ब्योरे में जाने से पूर्व मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। यह प्रश्न विचारणीय है कि किस प्रकार के प्रबन्ध को आदर्श प्रबन्ध माना जा सकता है। यह कहा गया है कि निगम बनाना विशेष रुचिकर नहीं होगा। परन्तु मैं राष्ट्रीय उपक्रमों के अपने पिछले अनुभवों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं इनमें से अधिकांश निगमों ने काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य किया है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि कम ख़र्च की तथा प्रभावशाली और नियंत्रित प्रबन्ध करने की दृष्टि से इस राष्ट्रीयकरण बीमा व्यवसाय को चलाने के लिये निगम ही सर्वश्रेष्ठ संगठन होगा। मैं यह मानता हूं कि इस निगम को एक विभागीय वस्तु ही न बना दिया जाये। इसको बीमा व्यवसाय में अभिरुचि रखने वाले विभिन्न समूहों का प्रतिनिधिक संगठन होना चाहिये। मैं

†मूल अंग्रेजी में

[ श्री डी० सी० शर्मा ]

इस बात का भी कोई कारण नहीं देखता हूं कि कर्मचारियों को भी इस निगम के संचालन में कुछ भाग क्यों नहीं दिया जाना चाहिये । साथ ही मैं इस बात का भी कोई कारण नहीं देखता कि बीमा विशेषज्ञों को भी उसमें क्यो नहीं रखा जाना चाहिये । बीमा व्यवसाय में विशेषज्ञों को तो होना ही चाहिये । मैं यह भी कहूंगा कि इस निगम में हमको उन व्यक्तियों को अवश्य रखना चाहिये जो इस निगम के वित्तीय कार्यों को अत्यंत योग्यतापूर्वक चला सकें । मैं केवल पाँच ही ज़ोन (प्रदेश) बनाये जाने के विरुद्ध हूं । मैं तो कहूंगा कि निगम के भी उतने ही ज़ोन होने चाहियें जितने कि राज्य हैं ।

मैं यह कहूंगा कि प्रदेशीय संगठनों की संख्या बढ़ा दी जाये । निश्चय ही, मैं यह नहीं जानता कि उनकी रूपरेखा क्या होगी, परन्तु इन प्रदेशीय संगठनों के ज़िला संगठन और तहसील संगठन और साथ ही ग्राम-संगठन भी होने चाहियें । हमारी ग्राम पंचायतें भारत के विकास-कार्य में केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन् और भी क्षेत्रों में, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेने जा रही हैं, इसलिये मैं तो यह कहूँगा कि बीमा का संदेश ऊपर से नीचे तक पहुँचाने के लिये कुछ अवश्य किया जाना चाहिये ।

जहाँ तक कर्मचारियों की दशा का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने कहा है कि उनकी दशा बुरी नहीं रहेगी, यह बड़ी विचित्र बात है कि जो लोग बीमा व्यवसाय को अकुशल ढंग से चलाने के लिये उत्तरदायी थे, उन्हीं को ऊँचा उठा कर इस व्यवसाय का संरक्षक बना दिया गया है । मैं तो यह कहूँगा कि संरक्षकों, अथवा प्रदेशीय प्रबंधकों या अन्य किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति संघ लोक-सेवा आयोग के ही द्वारा की जानी चाहिये ।

निश्चय ही इस समय वित्त मंत्री प्रसन्न हैं क्योंकि उनके पास बधाई के अनेक तार आये हैं परन्तु मेरे पास उन व्यक्तियों के विशाल समूह से पत्र और तार आ रहे हैं जिनको अभिकर्त्ता अथवा क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के नाम से जाना जाता है । वह यह पूछते हैं कि उनका क्या होने वाला है । निश्चय ही, स्थायी कर्मचारियों को तो रख ही लिया जायेगा, परन्तु इन क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं का, उन व्यक्तियों का, जिन्होंने कि वास्तव में भारत में बीमा व्यवसाय को स्थापित किया है, क्या होगा ? वह स्थायी कर्मचारी नहीं थे और यदि एक समवाय उनके काम नहीं आता था तो वे दूसरे में चले जाते थे । परन्तु अब जब कि इस व्यवसाय को सरकार ने ले लिया है, तो उनको भी सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में स्थान दिया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि इस समस्या पर विचार किया जायेगा ।

मैं प्रतिकर के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं । जहाँ तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, मैं यह कहूँगा कि उसको बड़ी ही उदारतापूर्ण ढंग से निर्धारित किया गया है । मैं यह नहीं चाहता कि किसी के भी साथ अन्याय किया जाये, परन्तु मैं यह कहूँगा कि प्रतिकर समन्याय्य आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये । इसके लिये विभिन्न समवायों के आंकड़े ले लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको प्रतिकर निर्धारित करने के लिये एक न्यायाधिकरण नियुक्त करना पड़ेगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का एक व्यक्ति, एक स्वतंत्र बीमा-व्यवसायी और वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाना चाहिये । इनके द्वारा निर्धारित किया गया प्रतिकर अन्य लोगों को स्वीकार हो सकेगा ।

इस विधेयक को पढ़ने पर मैंने देखा है कि सरकार ने प्रत्येक बात के लिये नियम बनाने का वचन दिया है । अधीनस्थ विधान कार्य समिति का एक सदस्य होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि अनेक बार ऐसा होता है जब कार्यपालिका ऐसे नियम भी बना डालती है, जो पारित किये गये विधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्षेत्र से भी परे होते हैं । यह नियम , अधिनियम से भी बढ़ जाते हैं और उस की भावना, और उपबन्धों का हनन् करते हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की जानी चाहिये कि यह नियम तब तक कार्यान्वित नहीं किये जायेंगे जब तक कि लोक-सभा द्वारा उन पर विचार करके स्वीकृति प्रदान न कर दे ।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, पूरे तौर पर देखने पर, यह कार्य स्वागत करने योग्य है। लोक-सभा के समक्ष मैंने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं उन पर विचार किया जाना चाहिये और इस ढंग से कार्य किया जाना चाहिये जिससे कि बीमा कार्य उन्नति कर सके।

बीमा समवाय अब तक केवल कुछ आय-समूहों तक ही पहुँच पाये हैं और एक विशाल जनसंख्य अब भी बीमा किये जाने की प्रतीक्षा कर रही है। मुझे आशा है कि राष्ट्रीयकृत बीमा व्यवसाय ग़ैर-सरकारी प्रबन्ध में चलने वाले समवायों की अपेक्षा अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। कल्याणकारी राज्य में हमको अनेक प्रकार के बीमा कार्यों की आवश्यकता है। इसलिये इस क्षेत्र में भरसक प्रयास किये जाने चाहियें जिससे कि बीमा व्यवसाय केवल नगरों और बड़े शहरों तक ही सीमित न रह जाये वरन् गाँवों में भी प्रवेश कर सके।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : इस समय क्योंकि बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया जाने वाला है, इसलिये मैं कुछ बातों का सुझाव देना चाहती हूं जिससे कि सरकार द्वारा उन पर विशेष रूप से विचार किया जा सके, क्योंकि आजकल राष्ट्रीयकरण का अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक सहयोग दिया जाये। इस कार्य के लिये सबसे पहले कर्मचारियों के संघों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। दूसरे सभी विवादों को परस्पर वार्त्ता द्वारा तय करने के लिये सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के द्विदलीय सम्मेलन बुलाये जाने चाहियें। तीसरे, सभी विचाराधीन औद्योगिक विवादों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। चौथे, जिन कर्मचारियों को निकाले जाने का भय बना हुआ है, उन सबको विस्तारकाल में नौकरियाँ देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

यह कहना ग़लत है कि बीमा क्षेत्र का प्रत्येक वर्ग इस राष्ट्रीयकरण से प्रसन्न है। वास्तव में यह बात नहीं है। आपने समाचारपत्रों में देखा होगा कि बीमा अभिकर्त्ताओं की प्रथा समाप्त कर दी जायेगी मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी और यह व्यवस्था करेगी कि उनमें से किसी को भी न निकाला जाये क्योंकि बीमा समवायों की चाहे कितनी भी निन्दा क्यों न की गयी हो, उनके दुष्कृत्यों के लिये उनके कर्मचारी किसी भी प्रकार से भी उत्तरदायी नहीं थे।

बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने से सरकार को जो विशाल धनराशि की सुविधा प्राप्त होगी तो उसको केवल जीवन बीमा ही नहीं, स्वास्थ्य बीमा जैसे बीमे की अन्य योजनायें भी ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जानी पड़ेंगी। मुझे आशा है कि इस दिशा में सरकार प्रत्येक संभव प्रयास करेगी क्योंकि जब हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तब हम साथ ही उससे होने वाले सारे लाभों को भी प्राप्त करने की भी उपेक्षा करते हैं।

मैं एक बात का स्पष्टीकरण भी कराना चाहती हूं। १९५५ में बम्बई में औद्योगिक ऋण विनियोजन निगम का पंजीयन किया गया था इसमें ३० बीमा समवाय शामिल थे। क्या सरकार इस निगम के लिये उस पूंजी का उपबन्ध करेगी जिसका उपबंध इन ३० बीमा समवायों द्वारा किया जाता था?

मैं लोक-सभा के समक्ष उन अन्य देशों के अनुभव भी बताना चाहती हूं जिन्होंने राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया है। अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि राष्ट्रीयकरण से बीमा व्यवसाय की कोई विशेष भलाई नहीं हुई है। इसलिये यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिस पर हलकेपन से विचार किया जाये और इसलिये सरकार को बड़ी सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिये।

विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिये क्योंकि भारतीय बीमा समवाय एशियाई और अफ्रीकी बाजारों में अपना पैर जमा चुका है और पिछले चार-पाँच दिनों में आपने उन

†मूल अंग्रेजी में

[ श्रीमती इला पालचौधरी ]

पर जो कीचड़ उछाली है उससे उस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनका मान घटा है। इसलिये आलोचना करते समय हमको अपने ऊपर अत्यंत संयम रखना चाहिये।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीयकरण करने में वह जनता के एक वर्ग को अपने से विमुख न कर दे। हमको अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। परन्तु इसके लिये पहले उचित वातावरण तैयार करना आवश्यक है।

हमारी सरकार को भी गैर-सरकारी बीमा समवायों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाना चाहिये। निगम की स्थापना करने में इनका सहयोग लिया जाना चाहिये जिससे जनता उनके अनुभवों और सेवाओं का सदुपयोग कर सके। मुझे आशा है कि बीमा-व्यवसाय के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न की जायेगी।

†**श्री एस० एस० मोरे** : जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण करने के सरकारी प्रयासों से पूरी तरह सहमत हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। परन्तु मेरी शिकायत यही है कि सरकार समग्र रूप से यह कार्य नहीं कर रही है। उसे केवल जीवन बीमा समवायों का ही नहीं वरन् सामान्य बीमा समवायों का भी राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये था। इसलिये मेरा सुझाव है कि आग और दुर्घटना के विरुद्ध बीमे को छोड़ कर बीमे के ग्रामीण पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये। बीमा केवल शहरी-वस्तु ही बन गया है। हम को उसे गाँवों में ले जाना चाहिये और ग्रामीण जनता में बीमा कराने के भाव भरने चाहिए।

खण्ड ३४ का मैं तीव्र विरोध करता हूँ। यह खण्ड विशेष सरकार को यह अधिकार देता है कि वह केवल अधिसूचना जारी कर के बीमा अधिनियम में संशोधन कर सकती है। सरकार को इसके लिये लोक-सभा के समक्ष आने में, जो हृदय से इस राष्ट्रीयकरण का समर्थन कर रही है, क्या कठिनाई है ?

परन्तु इस खण्ड द्वारा उन्होंने इस अधिनियम की कार्यान्विति को ही अपवर्जित कर दिया है। दूसरे, केवल कुछ ही उपबन्ध इस निगम पर लागू किये जा सकेंगे। परन्तु क्या उपबन्ध लागू किये जायेंगे और उनमें क्या संशोधन किये जायेंगे इसका निर्णय पूरी तरह से केवल सरकार पर ही छोड़ दिया गया है। मेरा निवेदन केवल यही है कि इस विधेयक में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये था कि जहाँ तक निगम का सम्बन्ध है, उस पर अमुक संशोधनों के साथ अमुक खण्ड लागू होंगे। यह विधेयक में था। अनुसूचियों में दिया जाना चाहिये था। सरकार को ऐसा करने से कोई नहीं रोकता था। तभी हमें मालूम हो सकता कि निगम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये सरकार क्या परिवर्तन कर रही है या करना चाहती है। किन्तु सरकार का कहना है : "यह निर्णय हम करेंगे कि निगम पर अधिनियम के कौन से उपबन्ध लागू किये जायेंगे"। केवल इतना ही नहीं उसका कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो उपबन्धों को सरकारी आदेश द्वारा संशोधित किया जा सकेगा और ये संशोधित रूप में निगम पर लागू होंगे। मेरे विचार में यह विचित्र उपबन्ध बहुत खतरनाक होगा।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : क्यों ? जो कुछ भी लागू होगा, वह संसद् द्वारा पारित किये गये अधिनियम के अन्तर्गत ही होगा। यह कैसे खतरनाक हो सकता है ?

†**श्री एस० एस० मोरे** : वास्तव में इस का अर्थ यह है कि जहां तक निगम का सम्बन्ध है, बीमा अधिनियम को कार्यपालिका आदेशों द्वारा संशोधित किया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : मेरे मित्र यह चाहते हैं कि आग बीमा सम्बन्धी उपबन्ध भी इस निगम पर लागू किये जायें, किन्तु सरकार को इन विधियों को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। किन्तु संभव है कि कोई ऐसा खंड भी इस अधिनियम में हो जो जीवन बीमा और सामान्य बीमा दोनों पर लागू किया जा सकता

†मूल अंग्रेजी में

हो । उसे ही इस अधिनियम के अन्तर्गत ठीक किया जायेगा, पर वह कह सकते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मेरा निवेदन है कि विधान में कार्यपालिका आदेश द्वारा कोई संशोधन करना बहुत ही खतरनाक होगा । इससे इस सदन की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न विधायिनी शक्ति को बहुत हानि पहुंचेगी ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ । श्री अशोक मेहता ने बताया कि जिन देशों में बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया है वहां एक ऐसा क्षेत्र भी रहता है जो उससे प्रतिस्पर्धा करता है । हम इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देना चाहते हैं । इसीलिये मैं समझता हूं कि बीमा कारबार अपने हाथ में ले लेने से स्वयं सरकार की परीक्षा होगी । उसे कार्यकुशलता से काम लेना ही होगा और बीमे के नये-नये रूप बनाने होंगे । उदाहरण के लिये मध्यम वर्ग के एक साधारण व्यक्ति को लीजिये । उसे कई अवसरों पर——लड़की के विवाह के लिये, लड़के की शिक्षा के लिये और संसद् के लिये उम्मेदवार बनने के लिये——धन की आवश्यकता होती है । हमारे नये राष्ट्रीय बीमा व्यवसाय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि ये सब आवश्यकतायें बीमा निगम द्वारा पूरी की जा सकें । राष्ट्रीयकृत बीमे के अन्तर्गत नये-नये तरीके निकालने होंगे, जिन से कि बीमा कारोबार को विकसित किया जा सके ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : हमने यह सब सोचा है । ऋणों आदि का दिया जाना भी शनैः शनैः शुरू किया जायेगा ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : निजी बीमा कम्पनियों को बीमे की किस्तों की दर बहुत अधिक है । जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है। कुछ देशों में राष्ट्रीयकरण से किस्तों की दरें बढ़ गई हैं। बम्बई राज्य में परिवहन के राष्ट्रीयकरण का भी यह परिणाम निकला है कि किराये बढ़ गये हैं ।

अब मैं एक सुझाव कर्मचारियों के बारे में दूंगा । सरकार को उन छोटे बीमा कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये जो अपना निर्वाह भी नहीं कर सकते हैं। उन बड़े-बड़े अधिकारियों को, जिन्होंने अपने पद से अनुचित लाभ उठाया है, सख्ती से दबाया जाना चाहिये और केवल इस कारण कि वे भी बीमा कर्मचारियों की सामान्य श्रेणियों में आते हैं, उन्हें कोई ऐसी सुविधायें नहीं दी जानी चाहियें जिनसे कि वे अपनी लाभप्रद स्थिति को और भी स्थायी बना सकें ।

मैं यह नहीं चाहता कि उन सहकारी संस्थाओं को जो बीमे का कारबार कर रही हैं बन्द कर दिया जाये । सरकार को इन्हें राष्ट्रीकृत उद्योग का एक अंग समझना चाहिये और उन्हें सब प्रकार की सुविधायें देनी चाहियें । आप को गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने वालों को हटाने का पूरा अधिकार है किन्तु सहकारी संस्थायें इस श्रेणी में नहीं आतीं ।

विनियोग के बारे में मेरा एक ठोस सुझाव है । योजना आयोग ने बताया है कि देश में मकानों की समस्या कितनी गम्भीर है और हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये कितने अधिक मकानों की आवश्यकता है । मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि नये मकान बनाये जायें और ये मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों को दिये जायें और बीमा निगम को इसका एकाधिपत्य प्राप्त होना चाहिय । निगम के पास जितना भी फालतू रुपया हो, वह यथासंभव अच्छे मकान बनाने पर लगाया जाना चाहिये, ताकि वे छोटे-छोटे बीमा पत्रधारियों को उचित किराये पर दिये जा सकें । इससे बीमे का कारबार भी बढ़ेगा ।

**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को, जो विधेयक उन्होंने इस सदन के सामने रखा है उसके लिये, बधाई देता हूं । अभी कुछ दिन हुये जब हमारे सामने इंश्योरेंस

†मूल अंग्रेजी में

[ श्री राधा रमण ]

कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का विधेयक रखा गया था उस समय हमारे बहुत सारे साथियों ने उसका स्वागत किया था। उसी के परिणामस्वरूप यह कारपोरेशन का विधेयक हमारे सामने आया है।

हम सब इसको स्वीकार करेंगे कि देश में जिस प्रकार से इंश्योरैंस कम्पनियों का प्रबन्ध हो रहा था उसमें बहुत सी त्रुटियां थीं और त्रुटियों की बिना पर ही नहीं, बल्कि देश के आजकल के वातावरण को और आजकल की आवश्यकताओं को देखते हुये राष्ट्रीयकरण एक जरूरी चीज थी, और चूंकि हमारे देश की सरकार ने बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण अपने हाथों में लिया इसलिये वह निस्सन्देह बधाई के काबिल है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी यह आशा है कि इस बीमा कार्पोरेशन के द्वारा हमारे देश में जो इंश्योरेंस का प्रबन्ध हो रहा है वह अधिक संगठित और अधिक सुव्यवस्थित तथा अधिक लाभकर सिद्ध होगा। अभी इसमें कुछ सन्देह अवश्य प्रतीत होता है और उस सन्देह को जिस प्रकार से भी हो, हमें मिटाने की कोशिश करनी चाहिये। सरकार ने यह भी बहुत अच्छा विचार रखा है कि वह इस कार्पोरेशन को गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बनाने नहीं जा रही है बल्कि उसके संगठन को सारे देश में इस प्रकार से फैलाया जायगा कि जिसके द्वारा अधिक से अधिक अधिकार उन लोगों के हाथों में हों जो कि इस कार्पोरेशन में हों अथवा कार्पोरेशन के अधीन काम करने वाले हों। सबसे बड़ी बात जो सोचने की इसमें है वह यह कि कार्पोरेशन के पंद्रह आदमी नियत होंगे और उन पंद्रह आदमियों को तमाम हिन्दुस्तान में बीमा का प्रबन्ध करना होगा। विधेयक के अनुसार सारे देश को चार ज़ोनो (क्षेत्रों) में विभाजित किया जायेगा और उनके अन्तर्गत एग्जिक्यूटिव कमेटियों की और परामर्शदात्री कमेटियों की व्यवस्था की जायेगी जिससे यह आशा की जाती है कि बहुत सन्तोषजनक परिणाम निकलेंगे और सारे देश में जो अब तक बीमा कम्पनियों द्वारा काम हुआ है उससे कहीं अच्छा काम होने की आशा की गई है।

इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा अपना विचार है कि हमारी सरकार को इन्श्योरैंस के काम में अभी तक ऐक्चुअरीज से सलाह मश्विरा करने की बहुत ज्यादा आदत रही है और अब तक जो काम हुआ है वह भी उन्हीं के सलाह मश्विरे से हुआ जिसका परिणाम हम यह देखते हैं कि बावजूद इसके कि हमारी सरकार ने दो बार इंश्योरेन्स ऐक्ट में सुधार किये, लेकिन इस पर भी उनके सामने साल ब साल किसी न किसी कम्पनी को अपने अधीन लेना पड़ा। मेरी ऐसी धारणा है कि अगर सरकार ज्यादातर उन लोगों पर निर्भर होती जो कि वर्षों तक इंश्योरेन्स के काम को अपने हाथों से चलाते रहे हैं, जिनको फील्ड का ज्ञान है जिन लोगों को इस बात का पूरा पता है कि इंश्योरेन्स के काम को किस प्रकार से सुचारु रूप से चलाना होता है, तो शायद जो बातें सरकार के देखने में आईं और जिनके कारण उनको बहुत मायूसियां हुईं, वह न होने पातीं। इसलिये कार्पोरेशन बनाने के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐक्चुअरियों की भी अपनी जगह है, वह भी हमारे इंश्योरेन्स के ढांचे में एक जरूरी अंग हैं, लेकिन उन पर अधिक निर्भरता न रखकर उन लोगों को भी इस कार्पोरेशन में जगह मिलनी चाहिये जो कि बीमा के काम में कार्यकुशल, अनुभवी और योग्य हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर बीमा के काम को बड़ी तेजी से बढ़ाया है। अगर सरकार ने ज्यादातर ऐक्चुअरीज की ही तरफ देखा, या उन्हीं के कहने या सलाह मश्विरे पर काम किया, तो मुझे भय है कि आप इस कार्पोरेशन से जितना परिणाम निकालना चाहते हैं शायद वह न निकले, क्योंकि बुनियाद तो असल में फील्ड वर्कर (क्षेत्र कार्यकर्त्ता) है, जिसने इंश्योरेन्स का काम शहर-शहर में, घर-घर में फैलाया है और जिसको इस बात का अनुभव है, जिसको इस बात का तरीका और सलीका दोनों मालूम हैं कि इंश्योरेन्स का काम कैसे चलाना चाहिये। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां आपने पंद्रह आदमी कार्पोरेशन में रखने हैं, उनमें आप यह जरूर ध्यान रखें कि उनमें ऐक्चुअरी ही न रखे जायें अथवा, अधिक तादाद उनकी ही न हो। और उसमें फील्ड वर्कर्स को भी स्थान मिले।

इसके साथ-साथ जैसे मेरे अन्य मित्रों ने कहा और इस सदन के सामने सवाल रखा उसका भी मैं समर्थन करना चाहता हूं कि सेन्टर (केन्द्र) में जो कार्पोरेशन बनाया जाय और उसके नीचे जो ढांचा तैयार किया जाय वह उचित हो और उसके द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक अमल किया जा सके कमेटियों के द्वारा बहुत अच्छा काम हो सकता है परन्तु जब तक उन्हें आवश्यक अख़त्यार न दिये जायेंगे तब तक वह कारआमद सिद्ध न होंगी। मैं आशा करता हूं उन्हें वे अधिकार दिये जायेंगे जिससे बीमा का काम अब तक चलता आया है उससे अधिक अच्छा चलेगा और बिजिनेस में भी वृद्धि होगी। मेरा यह भी विचार है कि कार्पोरेशन के डे-टु-डे (दिन प्रति दिन) कामों में सलाह मश्विरा देने के लिये कोई ऐडवाइजरी कमेटी (परामर्शदात्री समिति) टाप लेवेल (उच्चतम कोटि) की सेन्टर में बनाई जाय। जैसा कि अभी कहा भी गया है यह ऐडवाइजरी कमेटी कार्पोरेशन के कामों में हस्तक्षेप न करके सलाह मश्विरा दिया करेगी। मैं समझता हूं कि इस बात की तरफ सरकार ध्यान देगी।

आपने विधेयक में रैशनलाइजेशन (वैज्ञानिकन) के बारे में एक क्लाज रखा है और उसमें यह कहा है कि हम यह चाहते हैं कि बहुत सारी कम्पनियों में जो कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न वेतन दिया जाता है और उनको भिन्न-भिन्न शर्तों पर काम करना पड़ता है, उन सबको युनिफार्म (एक समान) किया जाय, उनके दर्जे बना दिये जायें, आपने यह भी विश्वास दिलाया है, कि यदि वे भविष्य में जितनी हिम्मत और मजबूती से पहले काम करते रहे हैं उसी तरह करते रहेंगे या उससे ज्यादा करते रहेंगे तो उन्हें भविष्य में कोई कठिनाई नहीं होगी और सरकार उन सबको उनकी जगह कायम रखेगी। इससे कर्मचारियों में सरकार की ओर विश्वास काफी बढ़ गया है, परन्तु जो आश्वासन आपने दिया है उस पर अमल होना चाहिये क्योंकि हमें इस बात में भय रहता है कि यहां पर जो बात कही जाती है या विश्वास दिलाये जाते हैं, वह पूरे नहीं होते, मैं मानता हूं कि आपकी नियत में कोई फर्क नहीं होता, आप चाहते हैं कि वह पूरे हों, लेकिन आपकी मैशीनरी ऐसी है कि वह उन्हें पूरा नहीं होने देती। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से लोगों को तकलीफ होती है और सरकार की बदनामी होती है। आज सूरत यह है कि जब हमारे देश में बीमा के राष्ट्रीयकरण की बात उठी हुई है उस वक्त देश के अन्दर सैकड़ों भाई और बहनें हैं जो कि इंश्योरेन्स का काम करते थे, एजेन्ट वगैरह तो थे ही उन के ऊपर इन्सपैक्टर अथवा ब्रांच मैनेजर और, जो जनरल मैनेजर इत्यादि हैं, उन सबके अन्दर भय उत्पन्न हो गया है और एक अनसर्टेन्टी (अनिश्चयता) और इनसिक्योरिटी (अरक्षा) पैदा हो गई है। आपने इस हाउस के अन्दर कहा है और नेकनियती से कहा है, और मैं आशा करता हूं कि आप उसका पालन भी करेंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो कुछ आप चाहते हैं वह होता भी है या नहीं। अगर जो आप चाहते हैं वह नहीं होगा, या कुछ अंशों में होगा और कुछ में नहीं होगा, तो आप जो परिणाम चाहते हैं वह नहीं निकलेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस विश्वास को जल्दी से जल्दी तमाम देश के अन्दर कार्यकर्ताओं में, कर्मचारियों में और जो इंश्योरेन्स के काम में बड़े यत्न से लगे हुये थे उनमें स्थायी रूप से शीघ्र पैदा करें जिससे जैसा काम अब तक होता रहा है इंश्योरेन्स का हिन्दुस्तान में, वह घटने न पाये, बल्कि बढ़ जाये।

मुझे इस बात को सुन कर बहुत खुशी हुई है कि वित्त मंत्री जी ने यह बतलाया कि जितने कस्टोडियन उन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर अब तक मुकर्रर किये उन सभी कम्पनियों के लिये जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, उन सबकी रिपोर्ट से पता चलता है कि बीमा का बिजिनेस पिछले साल से इन दो तीन महीनों में इस साल अधिक हुआ है। मैं इस बात में कोई आपत्ति नहीं करता। मगर मैं वित्त मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के अन्दर एक बात बहुत अच्छी हुई कि सारे देश की कम्पनियों को अधिकतर इस बात का पता नहीं था कि सरकार राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। इसलिये सब कम्पनियां जिस तरह से हर साल काम करती चली आ रही थीं, उसी तरह से अपने-अपने ढंग से ही करती गईं और राष्ट्रीयकरण की घोषणा को सरकार

[ श्री राधा रमण ]

गुप्त रख सकी जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सी कम्पनियों ने अपना बहुत सारा सन् १९५५ का बिजिनेस जो कि सन् १९५५ के आखिर में किया गया था उसको १९५६ के खाते में डाल दिया । यह उन्होंने इस उम्मीद से किया कि चूंकि पिछले साल दरों में कुछ कमी कर दी गई है और उसकी ही यह वजह थी कि उनका बिजिनेस १९५५ में अधिक हुआ इस वर्ष उतने बिजिनेस को न कर सकने की संभावना से उन्होंने १९५५ के बिजिनेस को १९५६ में डाला जिससे रिपोर्ट ऐसी मिली—इस कारण इस रिपोर्ट पर अगर आप सन्तोष मान लें तो यह ठीक न होगा । इस चीज़ से भी आपको परिचित रहना चाहिये और इसका आपको ख्याल भी रखना चाहिये ताकि भविष्य में आपको आपकी आशा के मुताबिक बिजिनेस मिले इसका प्रबन्ध किया जा सके ।

मैं मानता हूं कि इनश्योरेंस का अभी तक हमारे देश में इतना प्रचार नहीं हुआ जितना होना चाहिये । अभी तक इनश्योरेंस उन्हीं लोगों तक महदूद है जिनको कि कुछ महीना तनख्वाह मिलती है या जो व्यापार के अन्दर कुछ कमाई कर लेते हैं । इनश्योरेंस ऐसे ही लोगों को आज कल अपील भी करती है । और यह अधिकांश शहरों में रहते हैं । शहरों में भी अभी तक बहुत भारी तादाद ऐसी है जो कि इनश्योरेंस से वाकिफ नहीं है । गांव वालों का तो कहना ही क्या—इस कारण अगर हम ने इन लोगों शहर और गावों के लोगों की तरफ ध्यान दिया तो जितना हमने अब तक इनश्योरेंस को आगे बढ़ाया है उसके यह कहीं आगे बढ़ जायेगी । मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि ओरियेंटल के नमूने को आपने अपने सामने रखा है और उसे सारे देश में फैलाना चाहते हैं । उसकी दरों और उसी की शर्तों को आपने देश में चलाने की घोषणा की है । हां उसकी दरों में आपने एक रुपया की कमी भी कर दी है । लेकिन इसके साथ ही साथ ओरियेंटल में कुछ दोष भी हैं जिनको कि दूर करना बहुत जरूरी है । मैं यह मानता हूं कि इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं और उनको हमें कबूल करना चाहिये लेकिन जो दोष हैं उनको भी दूर करना हमारा फर्ज है । और भी बहुत से क्षेत्र हैं कि जहां हम इनश्योरेंस की शुरूआत नहीं कर सके हैं और उन क्षेत्रों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये । अभी हमारी बहन ने हैल्थ इनश्योरेंस (स्वास्थ्य बीमा) की बात कही । अगर इसको भी शुरू किया जाये तो यह भी काफी फैल सकता है । मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में भी हमें इनश्योरेंस को फैलाना चाहिये ताकि इनश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण करके हमने जो एक नया कदम उठाया है यह ठीक साबित हो और देशवासी यह महसूस करें कि राष्ट्रीयकरण करके गवर्नमेंट ने जनता की सेवा की है और बहुत सारा रुपया जो गलत कामों में लगता था और जिसका कम्पनियां दुरुपयोग करती थीं उसका सदुपयोग हो ।

मैंने अभी एम्प्लाइज (कर्मचारियों) के बारे में कहा । आपने कहा है कि जहां कहीं कोई डिसप्यूट हो या झगड़ा हो वहां ट्रिब्यूनल के जरिये, उसे तय किया जायेगा । मेरा सुझाव यह है कि जो ट्रिब्यूनल आप मुकर्रर करें उसके अन्दर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिये कि जो फील्ड से वाकिफ हो, फील्ड वर्कर्ज की तकलीफात को समझता हो और फील्ड वर्कर्स की आशाओं को पूरा करने की काबलियत रखता हो । इस किस्म के जो झगड़े हों उनको वे अपने नालिज (ज्ञान) से, एसक्पीरियैंस (अनुभव) से और अपनी लियाकत से हल करने में कामयाब हो सकें और एम्प्लायीज को इन्साफ दे सकें । इसलिये मैं चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल में एक फील्ड वर्कर अवश्य लिया जाये । बल्कि मेरा तो यह सुझाव है कि अगर हो सके तो ट्रिब्यूनल, जिसकी कि लीगल पोजीशन (वैध स्थिति) होती है, के साथ साथ एक ऐसी कमेटी भी हो जिसके पास पहले यह सब केसेज जाया करें । जितने भी झगड़े हों वे सब पहले इस कमेटी में जायें और अगर यहां इनका फैसला न हो सके तो फिर इनको ट्रिब्यूनल में भेजा जाना ज्यादा अच्छा होगा । इस कमिटी में आपसी बात-चीत द्वारा म्यूचुअल कंसेंटस (पारस्परिक सम्मति) से, फैसले हो सकते हैं । इससे एक यह भी फायदा

होगा कि लिटिगेशन (मुकदमेबाजी) जिसको कि हम कम करना चाहते हैं वह कम हो जायेगा। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल्ज में केसेज का फैसला करने में जो देरी होती है, वह भी मेरे ख्याल में कुछ कम हो जायेगी। सीधे ट्रिब्यूनलज़ में केस भेजने से शायद उतना अच्छा नतीजा नहीं निकल सकता है जितना अच्छा नतीजा कि आपसी बातचीत द्वारा निकल सकता है। हमारी फील्ड फोर्स जोकि तमाम देश के हित में काम करती है, इनश्योरेंस को बढ़ावा देती है, उसे सन्तुष्ट रखना, उसको सैटिसफाइड रखना हमारा कर्त्तव्य है। यह भी हमारा फर्ज है कि हम उसे लिटिगेशन से बचायें। उनको लिटिगेशन से बचाने के लिये कोई तरीका सोचा जाना आवश्यक है। मेरे ख्याल में एडवाइजरी कमिटीज या कोई ऐसी दूसरी मशीनरी की स्थापना की जा सकती है। ऐसा करने से जिनके मन में यह सन्देह है कि हमें इन्साफ नहीं मिलेगा, उनका यह सन्देह दूर हो जायेगा और उनके अन्दर विश्वास की भावना पैदा होगी। इसमें मैनेजमेंट के और कर्मचारियों के आदमी बैठ सकते हैं और मिलकर कैसेज का फैसला कर सकते हैं।

मुझे इस बात का बहुत बड़ा भय है कि क्लेम्स (दावे) जल्दी से सैटल नहीं होंगे। जो प्राइवेट कम्पनियां थीं, उनमें से कईयों में बहुत जल्दी क्लेम्स को सैटल कर दिया जाया करता था लेकिन बहुत सी ऐसी भी कम्पनियां थीं जो जल्दी क्लेम अदा करने के बजाय, देर लगाती थीं और कई प्रकार की उलझनें खड़ी करती थीं। बहुत सी कम्पनियां तो यहां तक प्राम्पटनेस (तत्परता) दिखाती थीं कि जो इनशोर्ड होता था जब उनको उसके मरने की खबर आती थी तो वह उसका श्राद्ध होने से पहले पहले क्लेम को अदा कर देती थीं और इस तरह से यह दिखला देती थीं कि इस मुसीबत के वक्त जो रुपया उसके सरवाइवर्ज को मिलना है वह उन्हें वक्त पर दिया जा रहा है। अवधि समाप्त होने पर तो क्लेम का देना अनिवार्य ही था इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और मैंने तो यहां तक देखा है कि कई कम्पनियां समारोह करके भी यह रुपया उनको अदा करती थीं। मैं यह जानता हूं कि आप ओरियेंटल से बहुत प्रभावित हुये हैं। आप यह समझते हैं कि यह जरूर अच्छी कम्पनी है और मैं भी मानता हूं कि यह एक अच्छी कम्पनी है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसा भी अनुभव है कि जितनी बड़ी कम्पनियां होती हैं वह उतनी ही ज्यादा देर क्लेम अदा करने में या उसकी छानबीन में लगाती हैं। अब जबकि सरकार इनकी मालिक हो जायेगी, यह सरकार के हाथों में आ जायेंगी, तो मुझे यह भी भय है कि जितनी सुगमता और शीघ्रता से पहले क्लेम अदा हो जाते थे उतनी जल्दी अब भी हो जाया करेंगे या उसके अन्दर भी वही रेड टेपिज्म (लाल फीताशाही) और सरकारी दौर चलेगा जो दौर अब दूसरी जगह सरकारी दफ्तरों में चलता है।

†**श्री एम० सी० शाह** : यह पहले से अधिक शीघ्र दिया जायेगा।

†**श्री राधा रमण** : तो मुझे बहुत हर्ष होगा क्योंकि मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है, किन्तु मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब वास्तव में ऐसा किया जायेगा।

**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा—मध्य) : हिन्दी में बोलिये।

**श्री राधा रमण** : क्षमा कीजिये। क्लेम के बारे में जो भी शिकायतें आयें उनके बारे में भी कोई ऐसी सस्ती और हल्की मशीनरी होनी चाहिये जहां पर कि इनका निपटारा हो जाया करे और लिटिगेशन की नौबत न आये। मैं समझता हूं कि इनका फैसला आपसी बातचीत से किया जा सकता है। ऐसी कोई प्राविजन इस बिल में अवश्य होनी चाहिये।

मुझे यह भी अर्ज करना है कि इस बिल के अन्दर इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं किया गया है कि कुछ कम्पनियां हमारे मुल्क के अन्दर ऐसी भी हैं कि जो ऐसे इलाकों से आयी हैं जो कि अब

†मूल अंग्रेजी में

[ श्री राधा रमण ]

पाकिस्तान में हैं। उनको भी आपने कम्पेंसेशन के मामले में बिल्कुल समान दूसरी कम्पनियों के रखा है। यह कम्पनियां पाकिस्तान से उजड़ कर आई हैं और इनके मुकाबले में जो दूसरी कम्पनियां थीं वह हिन्दुस्तान के अन्दर ही रहीं। जब मैं उन कम्पनियों की हालत को जो कि पाकिस्तान से आई हैं देखता हूं और उनकी वैल्युएशन स्टेटमेंट्स (मूल्यांकन विवरणों) की तरफ ख्याल करता हूं और जो प्राविजन्स इस बिल के अन्दर किये गये हैं उनकी एप्लीकेशन उन कम्पनियों के ऊपर देखता हूं। तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि कुछ हार्डशिप (कठिनाई) उन कम्पनियों को जरूर होगी। उन लोगों ने ऐसे मौके पर जबकि सारा बिजिनेस उनका पाकिस्तान के अन्दर था और जब वे बिल्कुल उजड़ कर इधर आई थीं उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी, इसके बाद अपने परिश्रम से वे अपने पांव पर खड़ी हुईं, अगर वही प्रिंसिपल्ज आपने इन कम्पनियों के बारे में भी रखे मुझे अफसोस होगा और मैं उसे न्यायसंगत नहीं कहूंगा मैं यह सुझाव देना नहीं चाहता कि उनके साथ कोई खास प्रेफ्रेंशल ट्रीटमैंट (अधिमान्य व्यवहार) हो। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि सिलैक्ट कमिटी उनके केस को खास तौर पर देखे और यह देखे कि आया पिछली वैल्युएशंस में उन्होंने अपनी तमाम खोई रकम को किसी हद तक पूरा किया है या कुछ उनकी हालत सुधरी है। यदि उन्होंने अपनी हालत सुधारने की कोशिश की हो और उसमें वे कामयाब हुये हों तो उनके कम्पेंसेंशन में कुछ थोड़ा बहुत फर्क कर देना बहुत जरूरी होगा।

एक चीज मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि आपने इनश्योरेंस को नेशनलाइज किया। और यह भी कहा कि यह स्टेट की मोनोपली (एकाधिकार) होनी चाहिये। इसके अन्दर कोई दो या तीन कारपोरेशन्स की बात भी आप को कुछ वजूहात से पसन्द नहीं आयी हैं। लेकिन आपने अभी तक पोस्टल इंश्योरेंस को बिल्कुल अलग रखा है। मैं समझता हूं कि जब आप मोनोपोलाइज कर रहे हैं और आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान में सरकार द्वारा ही एक कारपारेशन के जरिये इंश्योरेंस होगा तो इन दोनों को अलग रखने की बात समझ नहीं आती। इसलिये आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिये।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एम्प्लाइज को मुकर्रर करते वक्त कम्पनी की सीनियारिटी (वरिष्ठता) और उस एम्प्लाई की सरविस की लांजिविटी (अवधि) का खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिये। अभी जो कस्टोडियन आपने मुकर्रर किये हैं, उनमें ऐसे केसेज मिलेंगे कि एक आदमी जो कि जूनियर है और जिसका ताल्लुक जूनियर कम्पनी से है वह उस कर्मचारी के ऊपर कस्टोडियन मुकर्रर हुआ है जो कि ज्यादा एक्सपीरियेंस्ड है और जिसका सम्बन्ध पुरानी कम्पनी से है। मैं किसी की जात के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब आप यह चाहते हैं कि इन्साफ हो तो ऐसा तरीका रखना चाहिये कि जिसमें कोई नुक्स न निकाल सके। तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जो अफसर मुकर्रर किये गय हैं और जो आगे किये जायेंगे उनकी कम्पनी की सीनियारिटी और उनकी सरविस की लांजिविटी को ध्यान में रखकर मुकर्रर किया जाये ताकि किसी को यह महसूस न हो कि उसकी पोजीशन कमजोर कर दी गयी है, क्योंकि अगर उनके दिल में यह ख्याल पैदा हो जायेगा तो वे उत्साह से काम नहीं कर सकेंगे।

इन बातों को कह कर मैं उम्मीद करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी अच्छी तरह से छान बीन करके इस विधयक की सारी त्रुटियों को निकाल सकेगी और जब यह नई शक्ल में हमारे सामने आयेगा तो हम विश्वास के साथ कह सकेंगे कि हम जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण द्वारा देश में बीमा व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि यह विधेयक न केवल हिन्दुस्तान के लिये नमूना होगा बल्कि उन तमाम मुल्कों के लिये भी नमूना होगा जो कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं या जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : यह बड़े संतोष की बात है कि भारत में सारे जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इससे सरकार पर भारी उत्तरदायित्व आ जाता है। इस कारबार को अब ऐसे चलाया जाना चाहिये कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

इसे केवल नगरों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाया जाना चाहिये।

खंड ४ में कहा गया है कि निगम के १५ सदस्य होंगे और इन्हें केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेगी। किन्तु यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार के व्यक्ति मनोनीत किये जायेंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार ऐसे व्यक्ति मनोनीत करेगी जिन्हें भारत में इस कारबार का अनुभव है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे विचार में बीमा पत्रधारियों और ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं को भी इस निगम में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये और कुछ हद तक उद्योगपतियों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये, ताकि वे जीवन बीमा निधि में से अग्रिम धन, ऋण आदि ले सकें। निगम को एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में काम करना चाहिये।

पहले चार जोन बनाने का प्रस्ताव है। मेरे विचार में इतने बड़े देश के लिये यह संख्या कम है। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये इनकी संख्या बढ़ाना आवश्यक है। निगम इनमें समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। ये खंड इस ढंग से बनाये जाने चाहिये कि बीमा विशेषज्ञ अपने काम में स्वयं पहल कर सकें और अपने विचारों के अनुसार उद्योग को विकसित कर सकें। मेरे विचार में ऐसा होने से विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहेगी।

†**श्री एम० सी० शाह** : ये खंड स्वायत्त होंगे। केन्द्रीय निगम केवल नीति निर्धारित करेगा।

†**श्री आल्तेकर** : यह ठीक है किन्तु उस नीति को क्रियान्वित करने, कारबार को बढ़ाने और इसे लोकप्रिय बनाने और लोगों में विश्वास पैदा करने का काम उन पर छोड़ देना चाहिये।

मेरे विचार में केवल खंड ही स्वायत्त नहीं होने चाहियें बल्कि विभागों को जो कि इनके अधीक्षणाधीन काम करेंगे उपक्रमण करने की कुछ शक्ति दी जानी चाहिये। छोटे-छोटे नगरों में बहुत सी बीमा कम्पनियां हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिनके चलाने वालों को काफी अनुभव है। मेरा सुझाव है कि ऐसी कम्पनियों के प्रधान कार्यालयों को विभागीय कार्यालयों के रूप में रखा जाये और इन्हें स्वयं उपक्रमण करने की शक्ति दी जाये।

हम यह चाहते हैं कि जीवन बीमा देश के कोने कोने में प्रचलित हो। अभी तक केवल शहरों में ही इसका विकास हुआ है। इसके लिये सब से अच्छा तरीका यही है कि प्रत्येक जिला और तालुका में इसकी शाखायें खोली जायें और उनकी सीमा निश्चित कर दी जाये।

इससे अभिकर्ताओं के मन में यह भय उत्पन्न हो गया है कि उनमें से बहुत से बेकार हो जायेंगे क्योंकि कार्य करने का क्षेत्र बहुत सीमित रह जायेगा। परन्तु मेरा विचार है कि यदि इस व्यवसाय को ठीक ढंग से संगठित किया जाये तो वह सीमित किया गया क्षेत्र कम नहीं होगा नियमित रूप से कारबार करनेवाले अभिकर्ताओं के लिये क्षेत्र काफी विस्तृत रहेगा। यदि हम इस प्रकार कार्य करें तो कोई भी व्यक्ति नहीं निकाला जायेगा और कारबार भी संगठित रूप से चलेगा।

कर्मचारियों के बारे में धारा १० में कहा गया है कि स्थायी कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे। इनके अतिरिक्त हमें मुख्य अभिकर्ताओं और उनके अधीन काम करने वाले कर्मचरियों की सेवाओं

†मूल अंग्रेजी में

[ श्री आल्तेकर ]

को भी स्थायी बनाना या जारी रखना चाहिये और हम जो योजना बना रहे हैं उसके कारण उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिये । प्रवर समिति को इन कर्मचारियों के बारे में विचार करके इनके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये ।

कर्मचारियों के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । वह यह है कि जब निगम स्थापित किया जाये तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि ऐसे दो व्यक्तियों को, जिनकी अर्हतायें समान हैं परन्तु एक किसी बड़े और समृद्ध समवाय में काम करता है और अधिक वेतन पाता है और दूसरा किसी छोटे समवाय में काम करता है इसलिये कम वेतन पाता है, एक ही वेतनक्रम में रखा जाना चाहिये । छोटे समवायों में काम करने वाले अर्ह, योग्य और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इस विषय में केवल प्रवर समिति या सरकार ही कोई निर्णय नहीं कर सकती है । मेरा तो विचार है कि एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाये जो इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, वेतन क्रम और पदोन्नतियों के बारे में अनुसंधान करे और सरकार को अपनी सिफारिशें भेजे । प्रत्येक समवाय ने स्वयं अपने ही तरीके अपनाये हुए हैं । इस मामले को आसानी से हल नहीं किया जा सकता है इसलिये एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाये ।

कुछ समवायों ने सेवा-निवृत्ति के लिये ५५ वर्ष की आयु निश्चित कर रखी है,किसी ने ५८ वर्ष की और किसी ने ६० वर्ष की । सब के लिये ६० वर्ष की आयु निश्चित की जानी चाहये ।

जो व्यक्ति बहुत समय से सेवायुक्त हैं उनके स्थानान्तरण नहीं किये जाने चाहियें और यदि किये भी जायें तो उन्हें इसके लिये काफी प्रतिकर दिया जाना चाहिये ।

अब मैं अंशधारियों के प्रश्न को लेता हूं । माननीय वित्त मंत्री ने पहले ही स्वीकार किया है कि ३१ दिसम्बर , १९५५ को आधार मान कर बीमा सम्बन्धी मूल्यांकन करने और गत तीन वर्ष की औसत बचत के आधार पर प्रतिकर देने के बारे में विचार किया जायेगा । बहुत से मध्यम वर्ग के और निर्धन व्यक्तियों ने बीमा समवायों में पूंजी विनियोजन को सुरक्षित समझते हुये इनमें पूंजी लगा रखी है और इसे आय का एक साधन बना रखा है । इन्हें हानि नहीं पहुंचनी चाहिये और उन्हें बचत का २५ गुना प्रतिकर मिलना चाहिये । बहुत से ऐसे समवायों ने, जिनका काम अच्छा चल रहा था, अंशधारियों के लिये एक अलग निधि, लाभांश समानीकरण निधि, रखी हुई थी । यह धन अंशधारियों को दिया जाना होता है । विधेयक में प्रस्तावित प्रतिकर के अतिरिक्त उन्हें यह भी दिया जाना चाहिये । म्यूचल समवायों का प्रतिकर इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि ३१ दिसम्बर, १९५५ को त्रैवार्षिक मूल्यांकन करने पर जो बचत हो उसके ५ प्रतिशत को उतनी वर्ष संख्या से गुणा किया जाये जितने वर्ष के लिये वह बीमा पत्र हो । यह प्रतिकर होना चाहिये ।

बीमा अधिनियम के अच्छे उपबन्धों को इस निगम पर भी लागू किया जाना चाहिये ।

मैं विवादस्पद दावों का निबटारा करने के लिये एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने का सुझाव देता हूं ताकि यह काम किसी सरकारी विभाग पर न छोड़ा जाये और इसमें विलम्ब न हो और लोगों को शिकायत करने का अवसर भी न मिले ।

उन समवायों की, जो ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं, बीमा राशियों को कम न किया जाये । इनके बीमा पत्रों और उनकी राशियों की अन्य समवायों से तुलना नहीं की जा सकती । यदि इन मामलों में बीमा की गई राशि का भुगतान किया जाता है तो यह सन्तोष रहेगा कि राष्ट्रीयकरण लाभदयक है । प्रवर समिति को गम्भीरता पूर्वक इन सब बातों पर विचार करना चाहिये ताकि अंशधारियों को कोई कष्ट न हो ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** (रायसेन) : मैं इस विधान का स्वागत करता हूं । विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उल्लिखित उद्देश्यों, बीमाधारियों के हितों के संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमे के प्रचार और सांर्वजनिक बचत को एकत्र करने आदि के लिये तो विधेयक में उपबन्ध किया गया है परन्तु मुझे इसमें कुछ कमी दिखाई देती है । उन लोगों के लिये कोई निश्चित उपबन्ध नहीं किया गया है जिन्हें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये धन की बचत करनी है । प्रवर समिति को इस दृष्टिकोण से विधेयक पर विचार करना चाहिये और एक उपबन्ध में यह उल्लेख करना चाहिये कि सामान्य बीमा-धारियों को क्या लाभ होगा । खंड २४ में यह उपबन्धित है कि ९५ प्रतिशत से अधिक फालतू धन का विनियोजन केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार किया जाना चाहिये । इससे बीमाधारियों की बीमे की राशि तो सुरक्षित रहेगी ।

खंड ३४ में यह उपबन्धित है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी सूचनापत्र में एक अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि निगम पर बीमा अधिनियम के कुछ एक या सभी उपबन्ध लागू होंगे । इससे स्पष्ट है कि हम बीमा अधिनियम का संशोधन नहीं कर रहे हैं बल्कि निगम के कार्यसंचालन को सुविधा-जनक बना रहे हैं ।

श्री श्रीमन्नारायण के प्रवर समिति में होने से मुझे आशा है कि श्री एच० डी० मालवीय की पुस्तक **'इंश्योरेंस बिजनस इन इंडिया'** की प्रस्तावना में उन्होंने ग्राम पंचायतों और सहकारी समितियों द्वारा बीमे का कारबार बढ़ाने का जो सुझाव दिया था उस विषय में विधेयक में उपबन्ध किया जायेगा । प्रवर समिति को चाहिये कि विधेयक में इस प्रकार का कोई उपबन्ध बनाये जिससे कि प्रबन्ध व्यवस्था पर अधिक व्यय न हो जैसे कि पहले होता रहा है : मेरे विचार से प्रथम वर्ष के प्रीमियम (बीमे की किस्त) पर ६० प्रतिशत और शेष पर १० प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं होना चाहिये ।

सार्वजनिक बचत का उपयोग करने के लिये हमारी कार्य कुशलता बहुत अधिक होनी चाहिये और प्रत्येक ग्राम तक हमारी पहुंच होनी चाहिये । विधेयक में उपबन्धित उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चार क्षेत्रों की बजाये मेरे विचार से पांच क्षेत्र होने चाहियें : अर्थात् एक केन्द्रीय क्षेत्र भी होना चाहिये । इसके लिये कोई भी स्थान चुन लिया जाये ।

कुछ व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहियें जो लोगों में प्रचार करें कि अनावश्यक रस्मों और संस्कारों पर खर्च करने की बजाय वे धन को बचाकर इस कारबार में लगायें ।

बीमा पत्र की अवधि पूरी हो जाने पर समस्त राशि एक साथ न दी जाकर किश्तों में दी जानी चाहिये ।

बीमाधारियों को अपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये निगम द्वारा सहायता मिलनी चाहिये तभी इस व्यवसाय को सफलता मिलेगी ।

प्रतिकर के लिये न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है परन्तु कर्मचारियों के विषय में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । यह बड़ी विचित्र बात है । कर्मचारियों को भी अपने विवाद का निबटारा न्यायाधिकरण से कराने का अवसर मिलना चाहिये । खंड १० (४) में कहा गया है कि किसी बीमा समवाय के कर्मचारी का निगम में स्थानान्तरण किये जाने पर उसे कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा और इस विषय में कोई न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी उसका दावा स्वीकार नहीं करेगा । और खंड १० के उपखंड (३) में यह उपबन्ध किया गया है किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में सन्देह होने पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । मुझे इस नीति पर आपत्ति है । कर्मचारी को न्यायाधिकरण का निर्णय प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[ पंडित सी० एन० मालवीय ]

प्रतिकर के बारे में हमें अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि वे लोग काफी धन कमा चुके हैं ।

खंड ३१ में उपबन्धित है कि सम्पत्ति आदि को छुपाने पर छः मास का कारावास दंड या एक हजार रुपया जुर्माना होगा । यह पर्याप्त नहीं है । इसे बढ़ाया जाना चाहिये ।

मैं माननीय वित्त मंत्री से सहमत हूं कि यह कारबार एकाधिकार के रूप में चलाया जाये और अधिक निगम न बनाये जायें ।

**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : यह विधेयक ऐसे समय इस भवन के सामने आया है जब कि हम देश में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं । इसके पहले इस सदन में एक और विधेयक पास हुआ था जिसके द्वारा इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था । उसी प्रकार यह विधेयक इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण कर रहा है । इसके प्रति देश में लोगों में काफी उत्साह है । अभी हमारे मंत्री महोदय ने आंकड़ा बतलाया जिससे मालूम होता है कि जब से आर्डिनेन्स (अध्यादेश) जारी हुआ है बीमा कराने वालों की संख्या बढ़ी है । इससे यह साबित होता है कि इसके प्रति देश में लोगों में काफी उत्साह है और ऐसा मालूम होता है कि उनको यह विश्वास हो गया है कि उनका रुपया जो वह प्रीमियम के रूप में देते हैं मारा नहीं जायेगा । इसलिये इस बिल का स्वागत होना स्वाभाविक है और हम सब सरकार को इसके लिये बधाई देते हैं । लेकिन मुझे इस विधेयक में कुछ कामियां (त्रुटियां) दिखायी देती हैं और इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय में इस भवन के सामने अपने कुछ विचार रखूं ।

यह विधेयक केवल जीवन बीमा पर ही लागू होता है और अन्य प्रकार के बीमा पर यह लागू नहीं होगा । इस विषय पर इस भवन में पहले भी कुछ चर्चा हो चुकी है और शायद आज भी इस विषय पर कुछ चर्चा हुई है कि इस काम में कुछ मुकाबले की भावना होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि अगर सरकार दूसरी प्रकार का बीमा भी अपने हाथ में ले तो इस से इस काम में मुकाबले की भावना हो जायेगी और सरकारी कर्मचारी अपना काम सर्तकता से करेंगे । इस विधेयक की धारा ६ में केवल जीवन बीमा का प्रबन्ध लेने की ही बात कही गयी है । लेकिन अगर हम इस धारा में यह और जोड़ दें कि सरकार दूसरे प्रकार का बीमा भी कर सकती है तो हम इसमें मुकाबले की भावना पैदा कर सकते हैं । ऐसा करने से जो दूसरी बीमा कम्पनियां अपना काम करेंगी उससे हमारे काम का मुकाबला हो सकेगा । तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस धारा में यह बढ़ा दिया जाये कि लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) के अलावा सरकार दूसरे प्रकार का बीमा भी कर सकेगी । बीमा कम्पनियों को भी यह सुविधा हो कि जीवन बीमा के अलावा और प्रकार का बीमा कर सकें और सरकार भी सब प्रकार का बीमा करे । ऐसा करने से मुकाबले की भावना पैदा हो जायेगी ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** (सारन—दक्षिण) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में आज प्रातः अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था कि अन्य प्रकार के बीमे को इस विधेयक के क्षेत्र में लाना अनियमित होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी ओर निर्देश करना अथवा सुझाव देना भी अनियमित होगा ।

†**सभापति महोदय** : यदि माननीय सदस्य चर्चा को जीवन बीमा तक ही सीमित रखें तो बेहतर होगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : हम बीमा राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति के बारे में सरकार की आलोचना कर सकते हैं ।

†**सभापति महोदय** : जी हां, किसी अन्य विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने की आवश्यकता बताने से किसी सदस्य को नहीं रोका जा सकता है । पर इस विधेयक का क्षेत्र केवल जीवन बीमा ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री सिंहासन सिंह** : मेरे कहने का यह भाव नहीं था। मैं भवन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता था कि जहां हम लाइफ इंश्योरैंस का काम करने जा रहे हैं वहां हम दूसरे प्रकार का इंश्योरेंस भी करें। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात इस विषय की परिधि के बाहर कैसे हो गयी। लेकिन आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है और इसलिये मैं इस विषय को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहता हूं।

इसके बाद मैं यहां दो चीजों को देखता हूं। हम दफा १० और दफा १४ का एक साथ मुकाबला करें। दफा १० में बीमा कम्पनियों के अधिकारियों या एम्प्लाईज (कर्मचारियों) को हम यह गारंटी (प्रत्याभूति) देते हैं कि उनकी नौकरी नहीं जायेगी। हमने यह गारंटी दी है कि जिस शर्त पर वह पहले काम करते थे उसी शर्त पर वह काम करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ ही उसमें यह भी दिया हुआ है, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने ध्यान दिलाया, कि अगर इस विषय में कोई झगड़ा चला तो यह मामला किसी अदालत में नहीं ले जाया जा सकेगा। गवर्नमेंट जो सुविधायें उनको देगी उनको मानने के लिये उन एम्प्लाईज को बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन इंश्योरेंस कम्पनियों के मालिकों के लिये, जिनके भले या बुरे तरीकों की वजह से हमको जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण करना पड़ा है, हमने दफा १४ में मुआवजा देने का प्रावीजन (उपबन्ध) रखा है। इसके लिये हमने दो तरीके रखे हैं। जो तरीका मुआवजा देने का रखा गया है अगर उससे मालिक संतुष्ट न हों तो दफा १५ के अन्दर एक ट्राईबुनल (न्यायाधिकरण) बनाया जायेगा जिस में वे अपने झगड़े को ले जा सकते हैं। यह तो दफा १४ या १५ में नहीं लिखा है कि इस ट्राईबुनल का फैसला आखिरी होगा लेकिन आम तौर पर उसका फैसला आखिरी होता है। ट्राईबुनल को अधिकार दिया गया है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सके। इस सिलसिले में मैं भवन का ध्यान संविधान के आर्टिकल (अनुच्छेद) ३१ की ओर दिलाना चाहता और यह बतलाना चाहता हूं कि इस बिल में उस आर्टिकल को कुछ बदला जा रहा है। हमने अभी जमींदारी को और बड़ी बड़ी चीजों को लिया है और उसके लिये आर्टिकल ३१ में यह विधान है कि जो मुआवजे की रकम सरकार की ओर से मुकर्रर कर दी जायेगी उस पर किसी अदालत में विचार नहीं किया जा सकेगा। इसके अन्दर यह अधिकार भवन को है कि जो मुआविजा वह तय कर देवें उसके बारे में कि वह जायज़ है या नाजायज़ है, कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता और कानूनन वह मुआविजा जायज माना जायेगा।

इस मौजूदा बिल के अन्दर मुआवजा की दर क्या हो, इसके बारे में हमने एक टंटेबाजी लगा देने की कोशिश की है, और मुआवजे के सवाल को लेकर मुकद्दमेबाजी की नौबत आ सकती है। जैसा कि जमींदारी एबालिशन (उनमूलन) के सिलसिले में हमने मुआवजे के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की थी, वही यहां पर भी कबूल करनी चाहिये थी और यह रख देना चाहिये था कि गवर्नमेंट जो भी मुआवजा तय कर देगी वह कानूनन और ठीक मुनासिब माना जायगा और उसको लेकर कोई कोर्ट में नहीं जायेगा और मुकद्दमेबाजी की सूरत पेश नहीं आयेगी। लेकिन इस बिल के शेडयूल (अनुसूची) नम्बर १ में कम्पेंसेशन (प्रतिकर) के सम्बन्ध में वह भावना नहीं है और इसमें लिखा हुआ है कि दो तरीकों में से जिसे चाहे वह पसन्द करे और पसन्द करने के अलावा वह चाहे तो ट्रिब्यूनल के सामने मुआवजे के प्रश्न को ले जा सकता है और जिसके कि मानी यह हुये कि उस पर अदालती कार्यवाही शुरू हो जायगी। दोनों तरफ से मुकद्दमेबाजी होगी, और मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जायगा और मुआवजे का मामला खटाई में पड़ जायेगा। इसके अतिरिक्त हमने जो मुआवजा देने की इसमें तजवीज की है, उसमें बीस गुना एक शेयर (अंश) पर दिया है। इसमें भी कोई ग्रेड (क्रम) नहीं बनाया गया है कि छोटे शेयरहोल्डर्स (अंशधारियों) को कुछ ज्यादा मुआवजा दिया जाय और बड़े शेयरहोल्डर्स को कम दिया जाये। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी का एक करोड़ रुपया है तो उसको बीस करोड़ दिया जायेगा। बड़े शेयरहोल्डर्स का कम्पेंसेशन का ग्रेड छोटों की अपेक्षा कम होना चाहिये जैसा

[श्री सिंहासन सिंह]

कि हमने ऐयर कम्पनीज (वायु समवायों) को नेशनलाइज किया, उस वक्त बहुत सी कम्पनियां जो लिक्विडेशन (दीवाला) के करीब पहुंच चुकी थीं, काफी मुआवजा देने के फलस्वरूप सम्हल गईं उसी तरह मेरा ख्याल है कि बहुत सी इंश्योरेंस कम्पनियां जो इस समय शायद बुरी हालत में हों वे शेयर्स की वैल्यू (मूल्य) मनमाने तरीके से लेंगीं और उनका हिसाब किताब मुकद्दमेबाजी में पड़ जायेगा। मेरा ख्याल है कि इस विषय पर प्रवर समिति को जिसको कि यह बिल भेजा जा रहा है विचार करे कि उनके लिये क्यों खास रिआयत की जा रही है ? इम्पीरियल बैंक के नेशनलाइजेशन के वक्त भी एक खास रिआयत पूंजीपति वर्ग के साथ की गई थी और उनकी शेयर्स वैल्यू का अच्छा खासा मुआवजा दिया गया जो कि मेरी समझ में देना कुछ उचित नहीं था। जब हमने जमींदारी प्रथा को यहां से मिटाया तो जमींदारों के लिये मुआवजा देने के सम्बन्ध में हमने दफा ३१ (क) में नीति निर्धारित की और मेरी समझ में वह सही और उचित नीति थी और उसमें हमने इस चीज को साफ कर दिया था कि जो भी प्रापरटी (सम्पत्ति) पब्लिक परपज (सार्वजनिक कार्य) के लिये गवर्नमेंट ऐक्वायर (अवाप्त) करेगी और उसके लिये जो वह मुआवजा देना निश्चय करेगी वह फाइनल (अन्तिम) होगा और कोर्ट (न्यायालय) मुआवजे के सम्बन्ध में दखल नहीं दे सकेगी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मुआवजे के सम्बन्ध में पूंजीपतियों को हम विशेष रियायत दे रहे हैं जो कि मेरी समझ में उचित नहीं जान पड़ता और हमारा ऐसा व्यवहार जरा समाजवादी समाज के लक्ष्य के विरुद्ध जाता प्रतीत होता है। मैं समझता हूं कि दो तरह का व्यवहार करना कुछ उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि जमींदारी प्रथा को मिटाने में जमींदारों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में जो सिद्धांत हमने स्थिर किया था वही यहां भी लागू किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस मुआवजे सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करे और मुझे पूरी आशा है कि विचार करने के बाद वह इस सम्बन्ध में अपना उचित निर्णय करेगी।

धारा ११ में कार्पोरेशन (निगम) सारे सम्बन्धित डाक्युमेंट्स (प्रलेख) तलब कर सकती है। अब दफा ११ के मुताबिक अगर कोई शख्स (व्यक्ति) या कम्पनी जिसकी हालत खराब हो, सारे जरूरी कागजात कारपोरेशन को नहीं देते और खाली शेयर रजिस्टर दे देते हैं तो उस हालत में हमें यह पता नहीं लगता कि उनकी शेयर वैल्यू क्या है ? अब अगर कोई व्यक्ति सेक्शन ११ के अनुसार कोई प्रापरटी, किताबें या डाक्युमेंट्स कारपोरेशन के हवाले नहीं करता तो दफा ३१ के मुताबिक उसको ६ महीने की सजा या १००० रुपये जुर्माना हो सकता है या दोनों की सजा हो सकती है। अभी एक सवाल के जवाब में हमारे मंत्री महोदय ने बतलाया था कि ६ ऐसे मैनेजिंग डाइरेक्टर्स (प्रबन्ध संचालक) गिरफ्तार हो चुके हैं और कोई एक भागा हुआ है। इस तरह तो वे शेयर वैल्यू के सम्बन्ध में कागजात और हिसाब किताब पेश नहीं करेंगे और खाली शेयर रजिस्टर बीच में रख देंगे और उसके लिये आप ज्यादा से ज्यादा उनको ६ महीने की सजा कर देंगे और १००० रुपये का जुर्माना कर देंगे। जब ऐयर कम्पनीज का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उनके लिये भी लिमिट (सीमा) रखी गई थी कि इतने दिन के अन्दर मुआवजे का मामला तय हो जायेगा लेकिन दो वर्ष लग गये, उनका मुआवजा तय नहीं हुआ। उन्होंने सारे कागजात दाखिल नहीं किये वैसे ही यहां भी इस बात की आशंका है कि व्यक्ति और कम्पनी सारे कागजात दाखिल नहीं करेंगे क्योंकि कागजात दाखिल न करने के लिये आपने बहुत कम सजा रखी है और मैं चाहता हूं कि इस पिनैलिटी (दण्ड) क्लाज की तरफ भी सेलेक्ट कमेटी को ध्यान देना चाहिये और सजा ऐसी उचित और माकूल रखनी चाहिये जिससे इस तरह की दिक्कत पेश न आये।

दूसरी चीज जिसकी कि ओर मैं सदन और गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह एजेंटों के बारे में इस विधेयक में कोई जिक्र न किया जाना है। जहां इस विधेयक के द्वारा एम्प्लाईज को, काम करने वालों को, सुविधा दी गई है और उनकी सब सुविधायें बरकरार रहेंगी वहां एजेंटों का इस विधेयक

में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि उनका क्या होगा और जो इधर उधर दौड़ दौड़ कर बीमे का काम करते हैं उनको क्या सुविधा प्राप्त रहेगी ? इस विधेयक को देखने से यह पता नहीं लगता कि वे एजेंट अपनी जगहों पर कायम रहेंगे या उनको अलग कर दिया जायेगा या उनके लिये कोई और शर्त्त जोड़ी जायेगी या उनको फिर से नियुक्त किया जायेगा । इस विधेयक में बीमा कर्मचारियों की कुल शर्तें हमने ज्यों की त्यों मंजूर कर दी हैं लेकिन एजेंटों के बारे में इस विधेयक में कहीं कोई चर्चा नहीं है कि उनका क्या हाल होगा.....

**श्री एम० सी० शाह :** उनकी हालत अच्छी होगी ।

**श्री सिंहासन सिंह :** यह आपका कहना ठीक है कि हालत सब की अच्छी होगी लेकिन मैं इस विधेयक में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं पाता । उनकी टर्म्स आफ एम्प्लायमेंट (सेवा की शर्तें) क्या होंगी इसका कहीं पर जिक्र नहीं है ।

**श्री एम० सी० शाह :** घबराइये नहीं सब ठीक होगा ।

**श्री सिंहासन सिंह :** खैर, अब मैं दफा १६ की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कि जोनल आफिसेज (क्षेत्रीय कार्यालय) खोलने का जिक्र आया है और इस तरह की व्यवस्था से मैं पूरी तरह सहमत हूं । लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जब हम सारे देश को पांच जोनों में तकसीम करने (बांटने) जा रहे हैं और मैं उस दिन का बड़े शौक से इन्तजार कर रहा हूं जब यह हमारी १४ स्टेट्स और सात सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड यूनिट्स (केन्द्रीय प्रशासित एकक) आपस में मिलकर पंचमूर्ति बन जायें और पांच ही स्टेट्स रह जायें और देश के शासन की बागडोर सुचारू रुप से सम्हाली जाये और उस दिशा में मैं समझता हूं कि वह अच्छी शुरूआत होगी कि हम भी पांच जोनल आफिसेज खोलें । इसमें चार जगहों पर जोनल आफिसेज खोले जाने की व्यवस्था है । बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास इन चार जगहों पर यह आफिसेज खोले जायेंगे । अब बम्बई तो पश्चिमी जोन के लिये रखा गया है, दिल्ली का आफिस उत्तरी जोन के लिये हो जायेगा, कलकत्ते का आफिस पूर्वी जोन के लिये हो जायेगा और मद्रास का आफिस दक्षिणी जोन के लिये हो जायेगा लेकिन बीच में जो यह सबसे बड़ा जोन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का समुद्र के समान विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र है, इसके लिये कोई जोनल आफिस नहीं खुल रहा है, इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस समुद्र के समान फैले हुये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिये बीच में किसी उपयुक्त स्थान पर पांचवां जोनल आफिस खोलने की व्यवस्था करें । यह आफिस सेंट्रल जगह पर खोला जाना चाहिये जहां से ठीक तरह से कामकाज चलाया जा सके ।

इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण) में यह दिया गया है कि हम देहातों में भी इसका प्रचार करना चाहते हैं । अब सवाल यह है कि देहातों में किस तरीके से प्रचार होगा क्योंकि हमारी सरकारी अहलकार देहातों में घूमकर इसका ठीक से प्रचार कर सकेंगे, मुझे इसमें सन्देह है । इस सम्बन्ध में जैसा कि कोआपरेटिव्स का सुझाव हमारे पंडित सी० एन० मालवीय ने दिया है वही उचित सुझाव है और मैं उससे सहमत हूं और मेरा भी यही सुझाव है कि पोस्ट आफिसेज (डाक घरों) के जरिये यह इंश्योरेंस का काम देहातों में किया जाय । आज हम देखते हैं कि देहातों में हर जगह पर छोटे बड़े पोस्ट आफिसेज खुल गये हैं और उन पोस्ट आफिसेज में अगर आम लोगों को अपने को इंश्योर कराने की सुविधा दे दी जाये तो मैं समझता हूं कि आपकी यह स्माल सेविंग ड्राइव (छोटी बचत आन्दोलन) बहुत हद तक सफल हो जायेगी और इंश्योरेंस की भावना देहातों के अन्दर फैल जायेगी । आज फसल का इंश्योरेंस आप ले ही नहीं रहे हैं और अगर आप लेते तो वह बड़ी आसानी से सारे गांवों और देहातों में फैल जाता । वह न लेते हुये भी मैं समझता कि बीमे का काम भी देहातों में पोस्ट आफिसेज के जरिये आसानी से फैलाया जा सकता है ।

[श्री सिंहासन]

[श्रीमती सुष्मा सेन पीठासीन हुईं]

लेकिन इस विधेयक के अन्दर उसके लिये कोई प्राविजन नहीं है सिवाय इसके कि पोस्ट आफिसेज फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रीएट किया (बनाया) है, उस पर इस विधेयक का कोई असर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पोस्ट आफिसेज का जो फंड है वह जहां तक मेरा ख्याल है वह पोस्ट आफिसेज के मुलाजिमों पर ही लागू है और वह किसी और पर लाग नहीं है। पोस्ट आफिसेज के जो सरकारी अहलकार हैं, वे ही उनके अन्दर अपने को इंश्योर करा सकते हैं, आम पब्लिक के लिये पोस्ट आफिसेज का इंश्योरेंस फंड लागू नहीं है। इसलिये पोस्ट आफिसेज के जरिये देहातों में भी इस विधेयक का प्रचार किया जा सकता है और इस तरह अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सकता है दूसरा सुझाव मैं यह रखना चाहता हूं कि हमारी सरकार को और देश को रुपयों की जरूरत है और इंश्योरेंस के जरिये काफी रुपया आ सकता है और विधेयक के अन्दर लिखा भी गया है : सार्वजनिक बचत को अधिक अच्छे ढंग से एकत्र करना तो पब्लिक सेविंग्स हम करें। पब्लिक सेविंग के भी कई जरिये हो सकते हैं। एक तो वालेन्टरी (एच्छिक) है यानी खुद ब खुद हम अपना जीवन बीमा करावें और दूसरा यह कि हम कोई कम्पल्सरी जीवन बीमा कराने की प्रथा चलावें। अगर गवर्नमेंट कोई कम्पल्सरी (अनिवार्य) बीमे की प्रथा चलाये तो उससे काफी सेविंग हो सकती है और फुजूलखर्ची भी काफी बन्द हो सकती है। अभी बहुत लोगों को कुछ डर है कि जो कई करोड़ के नोट बनने जा रहे हैं उससे इन्फ्लेशन (मुद्रा स्फीत) हो जायेगा, लेकिन सरकार कम्पल्सरी बीमा करवाने के लिये कोई कार्यवाही कर सके किसी अन्य विधेयक के द्वारा या इसी विधेयक में तो भी काफी रुपया बच सकता है। जितने सरकारी अहलकार होते हैं जिनकी पांच सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह है, यदि उनकी तनख्वाह का पांचवां हिस्सा कम्पल्सरी बीमें में ले लिया जाय तो करोड़ों रुपये की बजत मुल्क में हो सकती है और उन कर्मचारियों के लिये भी काफी बचत हो सकती है क्योंकि रुपया तो आखिर उनका ही रहेगा। जो आज कुछ फुजूलखर्ची वह कर रहे हैं वह भी बच जायेंगी। जो वह इनकम टैक्स देते हैं वह भी कम हो जायेगा और मुल्क का भी ज्यादा लाभ होगा ? इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये और हमारे वित्त मंत्री जी और आगे बढ़ कर दूसरी चीजों को भी ले सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट मेरी कही हुई बातों पर विचार करेगी खास कर इस बात पर कि ऐसी नौबत न आने पावे कि कम्पेन्सेशन के सवाल पर मुकद्दमेबाजी हो और सरकार का बहुत सा रुपया वकीलों पर खर्च हो, हालांकि मैं भी उसी पेशे का हूं, लेकिन फिर भी यह चाहता हूं कि ऐसी नौबत न आये क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता के हित में हमें काम करना चाहिये।

**पंडित सी० एन० मालवीय :** जो आपने पांचवें जोन की बात कही है, अगर उसका दफ्तर भोपाल में हो जाये तो क्या हर्ज है ?

**श्री सिंहासन सिंह :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वह जहां चाहे वहां रखे।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : यह जो बिल इस सदन के सामने आया है, उसका बहुत से लोगों ने स्वागत किया है। पहला बिल जो हम पास कर चुके हैं उसका नतीजा यही होना था कि यह बिल हमारे सामने आता। जहां तक इस बिल का मकसद है, मेरे ख्याल में इस भवन में बहुत थोड़े मेम्बर ऐसे होंगे जो इसका खैरमकदम न करें, जो यह न कहें कि यह बिल्कुल वाजिब चीज है जो गवर्नमेंट ने की है। लेकिन, जिस तरीके से यह चीज आई, जिस प्रिफेस (प्रस्तावना) के साथ आई, वह मुझ को जरूर नापसन्द है। मुझे वह जमाना याद है जब कि हमारे यहां पंजाब में लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी बनाई गई तो

हमारे देश के लीडरों ने, पंडित मोती लाल नेहरू और लाला लाजपत राय जी, और दूसरे लोगों ने, उसको एक नैशनल कंसर्न (राष्ट्रीय व्यापार संस्था) समझ कर लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी के नाम से चलाया; और बहुत अर्से तक वह इन्स्टिट्यूशन एक नैशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रतिष्ठापन) समझा जाता रहा। हमारे लोगों ने समझा कि चूंकि हमारे लीडरों ने इसको कायम किया है इसलिये इसकी मदद की जाय। चुनांचे वह कायम हुई और अगर आज यह पार्टिशन (विभाजन) न होता तो इस देश की प्रीमियर (अग्रणी) कम्पनियों में लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी भी होती जैसी कि वह पहले थी। इसी तरह से भारत इंश्योरेंस नाम की एक कम्पनी शुरू में कायम हुई और उसने भी बहुत अच्छी तरह से प्रास्पेरिटी (खुशहाली) हासिल की।

यहां पर जो पहली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं इस बिल के बारे में वह यह है, और पहलुओं पर मैं पीछे आऊंगा क्योंकि मुझे डर है कि इस मामले में काफी तवज्जह नहीं दी गई है और कहीं ऐसा न हो कि हीट आफ दि मोमेन्ट (समय की गरमागरमी) में मैं भूल जाऊं। इसलिये सब से पहली चीज जो अर्ज करता हूं वह यह है कि कितनी ही कंपनियां जो पंजाब से डिस्प्लेस (विस्थापित) हो कर आईं, डिस्प्लेस्ड इंश्योरेंर्स (बीमे) आये, उनकी हालत जो इस देश की और कम्पनियां हैं उनके जैसी नहीं हैं। जो डिस्प्लेस्ड कम्पनियां यहां पर आईं वह बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ कर आई हैं। उसके बाद, जो ऐक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन्स (बीमा-तालिका सम्बन्धी जांच पड़ताल) हुये, उनमें उनकी हालत कम व बेश वह नहीं आई जो कि सही मानों में आनी चाहिये थी। जितना सर्प्लस (फालतू) दिखलाना चाहिये था, वह नहीं दिखलाया गया। मसलन, इस लक्ष्मी इंश्योरेंस को जब पंजाब में एक नैशनल इन्स्टिट्यूशन समझा जाता रहा है, उसके पास की तकरीबन ७५ या ८० लाख रुपये की जायदाद वहीं रह गई। इसी तरह से जितनी भी कम्पनियां आईं डिस्प्लेस्ड होकर, उन सबकी यही हालत हुई। आज मुझे खुशी है, और मैं अपने ट्रिब्यूट पे (सम्मान प्रदर्शित) करता हूं उन तमाम कम्पनियों को जिन्होंने वहां के रायट्स (दंगों) के अन्दर, उस बड़े भारी होलोकास्ट (उपद्रव) के अन्दर, जो लोग मारे गये थे, उनको पूरा मुआवजा अदा किया और लोगों को उससे बहुत खुशी हासिल हुई कि ऐसे हालात में जब कि दो देशों में आपसे में संघर्ष चल रहा था, उसमें मारे गये लोगों को भी मुआवजा अदा किया गया। उन्होंने जिस तरह से यह काम किया, उसके लिये वह मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अगर आज आठ या दस वर्ष बाद यह बिल आता, तो यह कम्पनियां अपनी मेहनत से उन सारे नुक्सानात को पूरा करके अपने सरप्लस को उसी तरह से ज्यादा कर लेतीं, जैसे दूसरी कम्पनियों के सरप्लस हैं। इन कम्पनियों ने कुछ अपने एसेट्स (आस्तियों) को राइट डाउन भी किया (कम भी लिखा), लेकिन जब उनकी प्रास्पेरिटी थी उस समय अगर वह ७०,८० लाख की जायदाद छोड़ कर आये और उसके बाद अपनी हालत अच्छी बना ली, तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो दूसरी कम्पनियों के ऐक्चुरियल ऐसेट्स (बीमा-तालिका सम्बन्धी आस्तियां) है उनसे इन कम्पनियों के ऐसेट्स किस कदर कम होंगे। आज भी अगर उनके इकनामिक (आर्थिक) हालात का अन्दाजा लगाया जाय और उनकी लैंड्स और बिल्डिंगस (भूमि और इमारतों) को ऐसेट्स करार दिया जाय, जो कि पाकिस्तान में हैं, और जिनको पाकिस्तान ने आज तक कांफिस्केट (जब्त) नहीं किया है, जो अभी तक थ्योरिटिकली (सैद्धांतिक रूप में) उन्हीं लोगों के हैं जो कि यहां आ गये हैं, तो उनकी एकनामिक हालत दूसरों से खराब नहीं बैठेगी। लेकिन, हम जानते हैं कि आज उनकी क्या कीमत लगाई गई है और इस लिहाज से उनको क्या प्रायरिटी (प्राथमिकता) मिल सकती है कि उन कम्पनियों के पास अपनी कोई जायदाद नहीं रह गई है। जब उनके ऐक्चुरियल इन्वेस्टिगेशन हुये, तो इस तरह से उनके ऐसेट्स की कीमत कम आंकी गई और जो उन्होंने राइट डाउन कर दिया था वह उनको नुक्सान समझा गया। इसलिये, मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐक्चुरियल इन्वेस्टिगेशन हुये वह उनकी ठीक हालत को रिप्रजेन्ट नहीं करते। वह लोग पिछले छः सात, वर्षों में इस काबिल नहीं हो पाये हैं कि जो उनकी पुरानी हालतकन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उस पर फिर आ जायें। जो उनके नुकसानात पाकिस्तान में हुये, अगर उनको वाकई नुकसान न समझा जाय, और वही उनके ऐसेट्स समझे जायें और ऐसा समझ कर इन्वेस्टिगेशन्स (जांच-पड़ताल) किये जायें, तब यह कहा जा सकता है कि हां वाकई उनमें और दूसरी हिन्दुस्तान की कम्पनियों में कोई फर्क नहीं किया गया है, वर्ना इतना डिस्क्रिमिनेशन (विभेद) उनके साथ होगा और उससे उनका इतना नुकसान होगा जिसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि यहां पर इस तरह की शिकायत की जाती है कि उनके ऐसेट्स (आस्तियां) इतने कम हैं, जबकि उनका इतना नुक्सान पाकिस्तान में हुआ है। हम देखते हैं कि जितने डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (विस्थापित व्यक्ति) पाकिस्तान से आये, उनमें से जितने पहले पंजाब के अन्दर असेम्बली के मेम्बर थे उनको यहां पर भी मेम्बर बना दिया गया। जो लोग मेम्बर्स करार दिये गये, वह वही डिस्प्लेसड पर्सन्स थे जिनको यहां पर हर तरह का प्रिफरेन्स (अधिमान) दिया गया। खर्चे की बात अगर देखी जाय, तो गवर्नमेंट ने डिस्प्लेस्ड पर्सन्स पर २५० करोड़ रुपया खर्च किया। जहां तक डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का ताल्लुक है गवर्नमेंट ने मामूली आदमी की बनिस्बत उनके कम्पेन्सेशन का बेसिस (क्षतिपूर्ति का आधार) दूसरा रक्खा है। इसी तरह से डिस्प्लेस्ड कम्पनीज के मुताल्लिक भी होना चाहिये। मुझे खुशी हुई यह सुनकर कि श्री राधा रमण ने ऐसी वजूहात दी जो बड़ी अच्छी थीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि इन कम्पनियों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाय। मैं कोई एक्स्पर्ट (विशेषज्ञ) नहीं हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट और सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सामने दो रास्ते रखना चाहता हूं। एक तो यह तरीका है कि पार्टिशन (विभाजन) के वक्त जो इन कम्पनियों के ऐसेट्स थे उनकी जो कीमत थी वही उनका क्रेडिट (साख) माना जाय और उनको उसकी प्रापर्टी (सम्पत्ति) में शुमार किया जाय। दूसरा तरीका रफ ऐंड रेडी जस्टिस करने (मोटे तौर पर न्याय बरतने) का यह है कि जो हमारे रूल्स बनाये गये हैं कम्पेन्सेशन के, उनमें पार्ट 'ए' में एक्स्प्लेनेशन (व्याख्या) २ है। इस एक्स्प्लेनेशन की रू से जो साढ़े सात परसेन्ट का सरप्लस है, उसको पांच परसेन्ट कर दिया गया है यानी एक-तिहाई काट दिया गया है। तो जो सरप्लस पूंजी थी, मुआवजा देने क लिये उसको दो-तिहाई कर दिया गया। आज सुबह हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह वजूहात दिये थे कि क्यों वह पांच परसेन्ट ही मुनासिब समझते हैं। मैं इस बारे में ज्यादा इस वक्त नहीं कहूंगा कि पांच परसेन्ट मुनासिब है या नहीं, लेकिन यह जरूर अर्ज करूंगा कि जहां तक डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का सवाल है, आपको पांच परसेन्ट नहीं रखना चाहिये, साढ़े सात परसेन्ट ही रखना चाहिये। अगर आप इस पर और तवज्जह देना चाहें और हर एक कम्पनी को इस बेसिस पर कम्पेन्सेशन देना चाहें, तो मुझे कोई इनकार नहीं है। इन अल्टर्नेटिव्ज (विकल्पों) में से एक को सेलेक्ट कमेटी को कबूल करना चाहिये, ताकि डिस्प्लेस्ड कम्पनियों के साथ इन्साफ़ हो सके और उन्हें उसी बेसिस पर मुआवजा मिल सके जो उनके दूसरे फार्चुनेट (भाग्यशाली) भाइयों को मिले। यह बड़े दुःख की बात होगी अगर उन कम्पनीज को जिनका कि बिजिनेस पाकिस्तान में था और जो उजड़कर यहां आईं, उनके साथ इन्साफ न हुआ। इन्हीं की वजह से आपको स्वराज्य प्राप्त हुआ है और यही वह कम्पनियां हैं जिनको बहुत ज्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है। अभी मेरे भाई श्री सिंहासन सिंह जी ने कहा कि मुआवजे की जो प्राविजन (व्यवस्था) रखी गई है, उससे वह सैटिसफाइड (संतुष्ट) नहीं हैं। वह समझते हैं कि वह ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि यहां पर मुआवजा उसी बिना पर दिया जाना चाहिये जिस तरह से कि जमींदारी एबालिशन (उन्मूलन) के वक्त दिया गया था। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब दफा ३१ आफ दि कांस्टीट्यूशन की तरमीम की गई थी उस वक्त गवर्नमेंट ने बार-बार कहा था कि वह हर केस (मामले) में रीजनेबल (उचित) कम्पेंसेशन देगी। मैं इस मौके पर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी आप देश के इंटरेस्ट (हित) में किसी आदमी की प्राइवेट प्रापर्टी (निजी सम्पत्ति) को लेते हैं, तो क्या वजह है कि आप उसका जो मालिक है उसको घाटे में रखते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश

करते हैं। इस वास्ते मैं अर्ज करता हूं कि अगर आप जेनेरोसिटी (उदारता) से काम नहीं ले सकते, तो कम से कम इन्साफ तो कीजिये। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ऐसे केसिस में जेनेरोसिटी से काम लिया जाय। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इन्साफ तो कीजिये। मुझे मालूम है कि १८९४ का जो एक्ट है, उसके अन्तर्गत अगर किसी चीज को कब्जे में लिया जाता है तो उसकी कीमत का १५ फी सदी ज्यादा अदा किया जाता है। लेकिन आप १५ परसेंट इस केस में ज्यादा दें या न दें, इन्साफ तो करें। बेजा तौर पर जो उनका हक है उससे तो उनको महरूम न करें।

मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने इन कम्पनियों को जन्म दिया था। आज भी जो इंश्योरेंस कम्पनीज़ के कैलंडर्ज होते हैं उनके ऊपर उन लोगों की फोटो होती है। उनके ऊपर आज भी पंडित मोतीलाल और लाला लाजपत राय की फोटो होती है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जिन्होंने बड़ी नेकनियती से काम किया, जिन्होंने देश की इतनी बड़ी खिदमत की, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर इन इनश्योरेंस कम्पनीज को अपने हाथ में लिया, जिन्होंने देश के बंटवारे के वक्त इतनी कुरबानी की, जिन्होंने उसके बाद में मेहनत करके इनको साउंड फुटिंग (ठोस नींव) पर लाया, जिन्होंने इस इनश्योरेंस को पापुलराइज (प्रसिद्ध) किया, आज यह हमें शोभा नहीं देता कि हम उन्हें मुनासिब मुआवजा न दें। जो उनका हक है, हमें उसे उन्हें देना चाहिये।

**श्री सिंहासन सिंह :** आज शेयरों की वैल्यू (मूल्य) क्या है ?

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** आप बतायें कि ५,००० बरस पहले हिन्दुस्तान की कितनी आबादी थी, और आज कितनी है। बिजिनेस एक बिन्दु की तरह से शुरू होता है और वह बढ़ता जाता है, कोशिश करने से। क्या वजह है कि जो आपके पास जायदाद है, उसका आप ही फायदा उठायें और क्या वजह है कि जिनके शेयर्ज हैं और कई केसिस में वे विधवायें हैं, कई केसिस में वे नाबालिग बच्चे हैं, उनको इनका पूरा मुआवजा न मिले ?

**एक माननीय सदस्य :** यह बड़े लोग हैं।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** छोटे हों या बड़े, लेकिन जहां तक कम्पेंसेशन के उसूल का ताल्लुक है, वह उसूल मुनासिब होना चाहिये। जो उसूल कांस्टीट्यूशन (संविधान) में दिये गये हैं, उनका पालन होना चाहिये और जो अंडरटेकिंग्ज (उपक्रम) दी गई हैं उनको आपको आनर करना (मानना) चाहिये। आपने इनश्योरेंस को नेशनलाइज (राष्ट्रीयकृत) किया, ठीक किया, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आखिर आप जिन लोगों को कम्पेंसेशन देने जा रहे हैं, वे लोग कौन हैं। वे लोग कोई बाहर के तो नहीं हैं। वे भी तो यहां के ही निवासी हैं। जिस आदमी को पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता है और उसको १०० रुपया देने के बजाय ५० रूपया दिया जाता है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज़ भी कहता हूं कि इस भवन के जितने भी मेम्बर हैं और उनकी जितनी भी जायदाद है उनको चाहिये कि वे अपनी आधी जायदाद गवर्नमेंट के नाम करवा दें, ताकि उन लोगों को मुआवजा दिया जा सके।

**श्री जी० पी० सिन्हा** (पालामऊ व हजारीबाग व रांची) : बहुत पैसा कमाया है उन्होंने।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** केवल उन लोगों ने ही नहीं, और लोगों ने भी कमाया है। आप आज भी कई कई हजार रुपया बतौर तनख्वाह देते हैं। इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों आप आज भी दे रहे हैं ? इन तनख्वाहों को क्यों आप कम नहीं करते हैं ? मैं अर्ज करता हूं कि जब भी कम्पेन्सेशन देने का सवाल उठे तो कांस्टीट्यूशन की दफा १४ को सामने रखा जाये। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये कि आप कम्पेंसेशन के मामले में डिसक्रिमिनेशन करें। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि जहां तक कम्पेंसेशन का ताल्लुक है, इस पर सिलक्ट कमिटी जरूर गौर करे। बल्कि मेरे ख्याल में बेहतर तो यह होगा कि सिलैक्ट कमिटी इनके रिप्रिजेंटेटिव (प्रतिनिधि) को अपने सामने गवाही देने के लिये बुलाये और इनके साथ इन्साफ करे।

[ पंडित ठाकुर दास भार्गव ]

एम्प्लायीज़ के वास्ते गवर्नमेंट ने सैक्शन (धारा) १० बनाया है, और दूसरे लोग जो हैं जो थर्ड परसंज हैं, उनके लिये सैक्शन १३ है। इन दोनों सैकशंज के बारे में, मुझे थोड़ा सा उसूली एतराज है। दफा १० में तो यह कहा गया है कि टरम्ज और कंडिशंज़ (निबन्धन और शर्तें) वगैरह को चेंज (बदला) नहीं किया जायगा। इसको अगर कोई भी पढ़े, तो वह यही कहेगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा दर्ज करके बहुत अच्छा काम किया है। यहां पर यह भी कहा गया है कि जो भी तनख्वाह एम्प्लायीज को मिलती है, वह दी जाती रहेगी। इस सारे फिकरे को लिखकर आखिर में दो लाइनें हैं जो कि किसी तरह से भी मुनासिब नहीं समझी जा सकती ह। उनमें आपने निगम को ही सारी शक्ति दे रखी है।

मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं कि इसके सिवा आप और कर क्या सकते थे। अगर आपको कुछ करने को बाकी रह गया था, तो यही कि उसकी जायदाद आपने कनफिस्केट (जब्त) नहीं की और इस पर प्राविजन (उपबन्ध) का कोई असर नहीं पड़ा। सब-क्लाजिज २, ३ और ४ आफ क्लाज़ (खण्ड) १० को पढ़ने से तो ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट इज मास्टर आफ दि सिचुएशन (सरकार के ही हाथ में सब्र कुछ है)। सब-क्लाज़ २ में तो आप यहां तक पहुंच गये हैं कि अगर किसी एम्प्लायी (कर्मचारी) की सर्विसिस को टरमिनेट (समाप्त) किया जाता है, तो उसको तीन महीने की तनख्वाह बतौर कम्पेंसेशन दी जायगी और किसी सूरत में भी तीन महीने से ज्यादा की तनख्वाह नहीं दी जायेगी। कम तो दी जा सकती है, लेकिन ज्यादा महीनों की तनख्वांह नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती, यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर उसका आपके साथ मुआहिदा हुआ है कि तीन महीने की तनख्वाह देकर उसको निकाला जा सकता है तब तो ठीक है और यह मान लिया जा सकता है। लेकिन, जिन के साथ मुआहिदा साल या दो साल का हुआ है उनको तीन महीने से ज्यादा की तनख्वाह न देना वाजिब नहीं है।, मैं मानता हूं कि कम्पनियों में ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और अपने जानने-पहचानने वालों को ज्यादा तनख्वाह देकर नौकर रख लेते हैं और उनके साथ लम्बे अर्से के मुआहिदे भी कर लेते हैं। लेकिन, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह इन्सान का कायदा है कि वह अपने आदमियों को रखता है। क्या गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, उनमें लोग अपने आदमी नहीं रखते और उनको ज्यादा तनख्वाह नहीं देते ? मैं कभी नहीं चाहता कि बेजा तौर पर किसी को तनख्वाह दी जाय। अगर आप तनख्वाहों को राशनलाइज (वैज्ञानिकन) करना चाहते हैं तो कीजिये, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जो मुआहिदे हो चुके हैं, जो रिटन कांट्रेक्ट्स (लिखित मुआहिदे) हैं उनको फ्लाउट (तोड़ा) न किया जाय। अगर मेरा किसी के साथ मुआहिदा हुआ है और वह किसी नैपोटिज्म (नाते-रिश्तेदारी) की वजह से नहीं हुआ है, अगर उसको कल टरमिनेट करना हो तो उसकी शर्तों का पालन करना भी जरूरी है। तो आज गवर्नमेंट उस मुहाअदे को तोड़ने के लिये किस तरह से जस्टिफाइड है, यह मैं जानना चाहूंगा। इस वास्ते, मैं सिलेक्ट कमिटी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस क्लाज की तरफ खास तौर से ध्यान दे। यह जो तीन महीने की बात रखी गई है, यह बेहद अनजस्ट (अन्यायपूर्ण) है, और इसकी मैं रिविजन (पुनरीक्षण) चाहता हूं।

अब मैं सैक्शन १३ की तरफ आता हूं। यह एक अजीब सैक्शन है। इसमें लिखा है कि अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो अब जबकि गवर्नमेंट उस कम्पनी को अपने हाथ में लेती है, तो उसको तोड़ सकती है। इस क्लाज में जो (ए) से (एफ) तक लिखा है, यह तो मुझे मंजूर है और इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं जानता हूं कि कम्पनीज अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ मुआहिदा कर लेती हैं। इस तरह के मुआहिदे करके, कम्पनीज उनको फायदा पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन, कोई भी जो मुआहिदा होता है, वह मुंह से नहीं बोलता है। उसको उसके गुण-दोषों के आधार पर परखा जा सकता है।

मैं सिलैक्ट कमेटी से अर्ज करूंगा कि जहां पर दोनों चीजें हों यानी जहां पर नाट रीजनेबली नेसेसरी (उचित रूप से आवश्यक नहीं) हो और "अनरीजनेबली लैक आफ प्रूडेंस" (व्यवहार-कौशल

का अनुचित अभाव) भी हो उस मुआहिदे को हटाया जाये, नहीं तो जहां यह दोनों बातें न हों, वहां प्राइवेट कांट्रेक्ट (निजी मुहायदे) को टिकर (बदलना) विद नहीं करना चाहिये। अगर किसी ने मैलाफायडी (असद्भावपूर्ण) मुआहिदा किया है, तो उसको गवर्नमेंट जरूर हटा दे। आज मैं कार्पोरेशन (निगम) के मैनेजर्स से मुआहिदा करूं, उसको इस वजह से न हटाया जाये कि वह जरूरी नहीं था। मैं चाहता हूं कि इस तरह के मुआहिदों का पोस्टमार्टम (शव-परीक्षा) न किया जाये, अगर वे मैला-फाइडी न हों। अगर किसी मुआहिदे के बारे में यह मालूम हो कि 'अनरीजनेबली नैसेसरी' नहीं था और साथ ही यह भी साबित हो कि वह मेलाफाइडी था या 'अनरीजनेबिल लैक आफ प्रूडैंस' था, तो आप उसको हटा दें, इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस "और" (या) की जगह 'एंड' (और) होना चाहिये। जिस मुआहिदे में ये दोनों चीजें हों, वही हटाने के काबिल है।

इसके अलावा, मैं दफा ३४ की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं, जिसके बारे में मेरे एक दोस्त ने भी जिक्र किया है। उस बिल में यह लिखा है कि इस कार्पोरेशन के १५ मेम्बर होंगे, इसका यह काम होगा, वह काम होगा। लेकिन, इसमें डिटेल्स (ब्यौरे) नहीं हैं, और न बिलों में डिटेल्स होती हैं। उसके अन्दर तो प्रिंसिपल्स (सिद्धांत) ही होते हैं। लेकिन, मैं चाहता हूं कि जब इसके मुताल्लिक रूल्स (नियम) बनाये जायें तो उनको हाउस (लोकसभा) के सामने रखा जाये, हाउस उन पर बहस करे और उनको पास करे। जनाब वाला मुलाहिजा फरमावेंगे कि इस बिल में ऐसा करना बहुत जरूरी है। दफा ३४ में लिखा है कि जो इंश्योरेंस ऐक्ट है, वह उस पर एप्लाई (लागू) नहीं होगा। इसका मतलब तो यह होगा कि निगम अपनी मनचाही कर सकेगा। वह कहेगा हम खुदमुख्तार हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे। वह चाहे तो इंश्योरेंस ऐक्ट की किसी प्रावीजन को अपने ऊपर लागू कर सकता है। ऐसी हालत में मेरा कहना है कि दफा ३४ की जरूरत ही क्या है। कह दीजिये कि हम मालिक हैं, जो चाहेंगे वह करेंगे। इससे अच्छा होता कि इस बिल में यह लिख दिया जाता कि हम इंश्योरेंस ऐक्ट की फलां-फलां दफा को मानते हैं, ताकि हम कह सकते कि आप ऐसा करने में कहां तक जस्टीफ़ाइड हैं या नहीं। इस तरह का ब्लैंकेट (व्यापक) हुक्म दे देना तो आटोक्रेटिक (स्वेच्छाचारिता) है। इसलिए मैं अदब से अर्ज करता हूं कि या तो आप यह चीज हाउस के सामने रखें कि आप किन किन प्रावीजन्स को मानना चाहते हैं, ताकि हम भी उनको देख सकें, वरना इस दफा के कोई मानी नहीं हैं, और यह एक बेकार सी चीज है।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस चीज की जरूरत (महसूस) की कि उसको गरीबों के रुपये की हिफाजत करनी चाहिये, इससे मुझे खुशी हुई। आज फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब ने बतलाया कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि किसी गरीब आदमी का रुपया जाया न हो, इसलिये गवर्नमेंट इस काम को अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं समझता हूं कि बात ठीक है और उम्मीद करता हूं कि आगे से गरीब आदमी का रुपया जाया नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो यह कहा गया कि सारे देश की कम्पनियों ने बेईमानी की है, इससे तो मसला "पड़ौसी के असगुन के लिये अपनी नाक काटना" हुआ, कुछ लोगों ने सिक्यूरिटीज (प्रतिभूतियों) के मामले में बेईमानी की, इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि सारे लोग बेईमान हैं। इससे हमको शर्म आती है, और इससे गवर्न-मेंट की भी शान नहीं बढ़ती।

इसके अलावा, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। वह यह कि जब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में यह काम लिया है तो इसको इतनी अच्छी तरह से करे कि लोग कहें कि हां इससे हमको तसल्ली है। गवर्नमेंट ने बहुत से काम किये हैं, लेकिन उनमें प्राइवेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) से ज्यादा एफीशेंसी (कुशलता) नहीं देखी जाती। हम यह नहीं चाहते कि इस काम में सरकार ऐसा इन्तिजाम करे कि उसकी बदनामी हो। जब अंग्रेज गये थे तो वह अपने बैरों से कह गये थे कि हम जल्दी ही वापस आ जायेंगे,

[ पंडित ठाकुर दास भार्गव ]

क्योंकि यह लोग पोस्ट आफिसों और रेलों का इन्तिजाम नहीं कर सकेंगे । लेकिन, आज पोस्ट आफिसों का और रेलों का इन्तिजाम इतना माकूल है कि कोई यह महसूस नहीं करता कि अंग्रेज चले गये हैं इसलिये इनएफीशेंसी आ गयी है । मैं चाहता हूं कि इस काम का भी ऐसा ही इन्तिजाम किया जाये । यह बहुत मुश्किल चीज है और इसमें गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा । आप रूरल एरियाज (देहाती क्षेत्रों) में जाना चाहते हैं और वहां काम करना चाहते हैं । यह कोई आसान काम नहीं है । अभी तक कम्पनियों ने अरबन (शहरी) एरियाज में काम किया, वे रूरल एरियाज में नहीं गईं । वहां काम करना मुश्किल है । वहां पर यह क्रेडिट एसोसियेशन (ऋण संस्था) बन जायेगी । इसके अन्दर कैटिल इंश्योरेंस (मवेशी बीमा) और क्रौप इंश्योरेंस (फसल बीमा) आवेगा या हाउसेज की स्कीम पर अमल होगा । अगर गवर्नमेंट इन चीजों की तरफ ध्यान देगी, तो मैं समझूंगा कि यह कानून हमारे लिये छिपी हुई न्यामत थी, और इसके लिये देश गवर्नमेंट का बहुत मशकूर होगा । अगर ये चीजें न हुईं और काम में एफीशेंसी न हुई, तो याद रखिये कि खल्क खुदा की जो आवाज निकलती है उसको कोई नहीं रोक सकता । और, फिर आयन्दा हमारी तबीयत नेशनलाइजेशन करने की नहीं होगी और जनता को हमारे ऊपर भरोसा भी नहीं रहेगा । इसलिये, मैं चाहता हूं कि इस बिल को इस तरह चलाया जावे कि लोगों में विश्वास पैदा हो और देश को आगे के लिये उम्मीद हो । अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं अर्ज करूंगा कि इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज ज्यादा नुकसानदेह नहीं हो सकती ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के गुण-दोषों की विवेचना करने से पहले, मैं कहना चाहता हूं कि बैंक और बीमा जैसी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण शीघ्र से शीघ्र कर देना चाहिये । अन्य किन्हीं विचारों के अतिरिक्त, इसमें आदर्श का विचार सबसे महत्वपूर्ण है । प्रधान मंत्री ने भी इसकी ओर इंगित किया है । अभी हाल ही की बात है कि बीमा व्यवसाय में भ्रष्टाचार आम हो गया था और बीमा-पत्रधारियों को और भी अधिक घाटा होने की आशंका हो गई थी । श्री फीरोज गांधी ने उपयुक्त अवसर पर लोक-सभा में उसके कुछ कदाचारों का भांडा फोड़ किया है और कहा है कि बीमा पत्रधारियों के हितों की रक्षा के लिये बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण अत्यन्त आवश्यक हो गया है । इस बीमा -व्यवसाय में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हैं ? यह बीमा-पत्रधारियों का ही कार्य है । यदि आप बीमा-व्यवसाय के इतिहास को देखें, तो पता चलेगा कि कुछ व्यक्तियों ने शेयरों के रूप में धन संग्रह करके इस व्यवसाय को आरम्भ कर दिया था, पर यह उसके चलाने में अधिकांश धन बीमा-पत्रधारियों का ही लगा है । लेकिन उनका सारा धन निजी उपक्रमों में खपा दिया गया है और उनका उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहा है । अभी कुछ वर्ष पूर्व ही यह अनिवार्य बना दिया गया था कि बीमा समवायों को बीमा की किस्तों से होने वाली अपनी आय का ५० प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिये । इससे कुछ प्रतिबंध तो लगा था, पर शेष ५० प्रतिशत तो उनके ही हाथों में छोड़ दिया गया था । वे उसका मनमाना दुरुपयोग करते थे ।

राष्ट्रीयकरण किये जाने पर बीमा पत्रधारी सरकार के प्रति कृतज्ञ रहेंगे । उन्होंने बीमा समवायों में इसलिये धन नहीं लगाया था कि वे धन का विनियोजन करना चाहते थे, बल्कि इसीलिये कि वे अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिये ही उस धन की बचत करना चाहते थे ।

अब, राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार ने शेष ५० प्रतिशत को भी अपने अधिकार में ले लिया है । आज साधारण जनता की सबसे प्रथम आवश्यकता है आवास की । सरकार को अब गृह-निर्माण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना चाहिये । पहले तो गृह-निर्माण के लिये २५ प्रतिशत निर्माण के लिये इच्छुक

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्ति, २५ प्रतिशत सरकार और ५० प्रतिशत बीमा कम्पनी की ओर से मिलता था। अब क्या स्थिति रहेगी ? क्या बीमे की किस्तों से प्राप्त होने वाले इस ५० प्रतिशत अतिरिक्त धन को गृह-निर्माण कार्य में लगाया जायेगा ? अब भी यदि कोई व्यक्ति २५ प्रतिशत लगा सकता है, तो सरकार को उसे गृह-निर्माण के लिये शेष रकम की सहायता देनी चाहिये, इससे अधिक बचत करने को प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीयकरण से एक अन्य लाभ यह होगा कि इससे अपने-आप समवायों का संविलयन हो जायेगा और उससे बीमा व्यवसाय का खर्च भी काफी कम हो जायेगा।

जहां तक खर्च में कमी करने का सम्बन्ध है, उसमें निगम एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। उसमें खतरा भी है। सरकार के अन्य निगमों—विमान निगम या औद्योगिक वित्त निगम, आदि—की तरह, यह भी ऐसा निगम बन सकता है जिसमें कि उच्चाधिकारियों और उनके कार्यालयों पर अधिक खर्च होने लगे। इसके लिये, मेरा सुझाव है कि बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद, इसके सारे कर्मचारियों को आज भी नौकरशाही से अलग रखा जाना चाहिये। उनकी कार्य-कुशलता का निर्णय उनके कार्य से ही किया जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियों में अधिक सुरक्षा की भावना आयेगी और उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधायें मिलेंगी।

इसके बाद, प्रतिकर का प्रश्न आता है। मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिये। क्या उनका आशय शेयरों के आज के बाजार के मूल्य से है ? वर्तमान बाजार मूल्य को उचित प्रतिकर कैसे माना जा सकता है, जबकि शेयरों का यह मूल्य बीमा-पत्रधारियों के बलिदानों के बल पर ही बढ़ा है, अंशधारियों के नहीं। आस्तियों के सम्बन्ध में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जमींदारी उन्मूलन के समय भी हमने बाज़ार मूल्य के आधार पर प्रतिकर नहीं दिया था। हमें सदैव ही कर-दाताओं का, अधिकांश जनता का, विचार सर्वप्रथम करना चाहिये।

राष्ट्रीयकरण में केवल एक ही कमी है। वह है प्रतिस्पर्धा की कमी। कुछ सुझाव दिये गये हैं कि इस प्रतिस्पर्धा के बनाये रखने के लिये एक से अधिक निगम बनाये जाने चाहियें। लेकिन, कई निगम बनाने से बीमा-व्यवसाय का खर्च भी बढ़ जायेगा। इसलिये, दो ही निगम बनाने से इस प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाये रखा जा सकता है। इससे कार्य में शिथिलता भी नहीं आ सकेगी।

†**श्री ए० वी० थामस** (एरणाकुलम्) : इस विधेयक को यथाशीघ्र स्वीकृत कर देना चाहिये। जनता तो जानती है कि सरकार बीमा-व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर ही देगी, पर इसे कैसे किया जायेगा और इससे किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका स्पष्टीकरण न होने से सारे व्यवसाय में बड़ी आशंका और अव्यवस्था फैली हुई है। इसीलिये, यह अत्यावश्यक है कि इस विधेयक को यथाशीघ्र संविधि-पुस्तक में सम्मिलित कर दिया जाये।

प्रवर समिति को इस व्यवसाय से सम्बन्धित प्रत्येक हित के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिये। पिछले विधेयक पर हुई चर्चा के समय प्रवर समिति के लगभग सभी सदस्यों ने इस के सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहा था। मेरे विचार से तो वित्त मंत्री प्रवर समिति के सदस्यो के नामों का चुनाव करने में उनके उन व्यक्त किये गये विचारों से प्रभावित हुये हैं।

राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी सरकारी अध्यादेश के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर दोषारोपण किये गये हैं। निजी क्षेत्र का कहना है कि इससे सम्बन्धित सरकारी विभाग ने ठीक तरह से कार्य नहीं किया है, और सरकार का कहना है बीमा-व्यवसाय में भ्रष्टाचार था और राष्ट्रीयकरण करना लोकहित में है। लेकिन अब इस स्कूली बहस से कोई लाभ नहीं है कि राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या हैं और इससे क्या हानियां होने की संभावना है। हमें उसमें समय और शक्ति नहीं खोनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[ श्री ए० वी० थामस ]

विधेयक में कहा गया है कि उसका उद्देश्य जीवन बीमा व्यवसाय को यथासंभव सर्वाधिक लाभदायक बनाना है। व्यवसाय को भी इसमें सरकार की पूरी-पूरी सहायता करनी चाहिये।

कहा गया है कि जीवन बीमा व्यवसाय का कुछ भाग निजी क्षेत्र के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। कहा गया है कि विधेयक में ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिये कि जीवन बीमा व्यवसाय के क्षेत्रों में लगभग आधे दर्जन सुप्रबंधित समवाय कार्य करते रहेंगे। मैं पूछता हूं कि फिर राष्ट्रीयकरण करने को शेष ही क्या रहेगा? यदि निजी क्षेत्र में कुछ सुप्रबंधित समवाय रहते हैं, तो फिर राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ही क्या है? और यदि निजी क्षेत्र में कुछ कुप्रबंधित समवायों को ही रहने दिया जाता है तो उससे समाज को हानि पहुंचेगी।

कहा गया है कि कोस्टारिका जैसे एक छोटे से देश के अतिरिक्त अन्य कहीं भी पूरा-पूरा राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है और फ्रांस तक में जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में निजी क्षेत्र को छूट दी गई है। लेकिन, हमें अपने उद्देश्य को भी तो ध्यान में रखना चाहिये। हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय आय, धन-सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को क्रमशः कम करने का उद्देश्य अपने सामने रखा था। उक्त योजना में लगाने के लिये आवश्यक धन हमें समूचे क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण से ही मिल सकता है।

सरकार को सामान्य बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये था। इस समय यदि समूचे सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करना उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो मोटर बीमा का राष्ट्रीयकरण तो किया ही जाना चाहिये था। सभी जानते हैं कि मोटर बीमा अनिवार्य होता है और उसमें प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं उठता। पता नहीं सरकार ने उसे क्यों छोड़ रखा है।

इसके बाद प्रश्न आता है मैसूर और त्रावणकोर-कोचीन राज्यों द्वारा संचालित राज्य बीमा उपक्रमों का। खण्ड २५ में निगम को पूरे देश में जीवन बीमा व्यवसाय करने का विशेषाधिकार दिया गया है। खण्ड ३५ में केवल डाक जीवन बीमा व्यवसाय को छूट दी गई है। हालांकि वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा है फिर भी लगता है कि जीवन बीमा व्यवसाय करने का एकाधिकार निगम ही के हाथों में रहेगा। उसमें इन दो राज्यों द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय भी आ जायेगा। प्रवर समिति को इस पर पूरी तौर से विचार करना चाहिये। इस व्यवसाय को राज्य सरकारें चला रही हैं। हमें कोई एक तिथि नियत कर देनी चाहिये कि इस तिथि को इन दोनों राज्य बीमा व्यवसायों और निगम के कार्यकरण की जांच की जायेगी और केवल उनको तभी इस निगम के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इन दोनों राज्य बीमा व्यवसायों को भी उसी ढंग पर चलाया जाना चाहिये जिस ढंग पर कि इस विधेयक के अनुसार गठित यह निगम चलेगा। इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये, और उसके लिये मैसूर तथा त्रावणकोर-कोचीन की राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाना चाहिये। निगम के अन्तर्गत इनके लाये जाने पर, उन राज्य सरकारों को अपने विकास-कार्यों के लिये वह धन नहीं मिलेगा जो उन्हें आज मिल रहा है। इस विधेयक को अंतिम रूप देते समय सरकार और प्रवर समिति को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये।

कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण केवल इसलिये किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर खर्च करने के लिये धन उपलब्ध हो सके। इस पर निजी क्षेत्र ने उचित ही आपत्ति की है कि जीवन बीमा निधि का अधिकांश भाग आज भी, वर्तमान परिनियत व्यवस्था के अनुसार, विभिन्न विकास-कार्यों के लिये सरकार को उपलब्ध है। केवल इसी एक आधार पर ही राष्ट्रीयकरण को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। अपितु वित्त मंत्री के उस कथन पर भी इसे न्यायसंगत सिद्ध करना होगा जो उन्होंने पहले विधेयक के वाद-विवाद के दौरान में कही थी उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीयकरण में १० वर्ष के भीतर जीवन बीमा का कारोबार १२०० करोड़ रुपये से बढ़ कर ८००० करोड़ रुपये किया जा सकता है। प्रत्युत

इतना ही नहीं वह इससे भी कहीं बढ़ सकता है। यदि यह बात सत्य है तो सचमुच बनाये जा रहे निगम को इस बात का बड़ा श्रेय होगा। क्योंकि लोगों को स्वभावतः राष्ट्रीकृत उद्योगों के बारे में बड़े सन्देह हैं। कहीं इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की भांति यह न हो कि बाद में जाकर यह बात कोरी शेखी ही सिद्ध हो। सरकार को इस बात को पूरा करने के लिये खास ध्यान रखना चाहिये। कारोबार के बढ़ने पर ही सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कुछ धन प्राप्त हो सकता है और तभी इस राष्ट्रीयकरण का कुछ लाभ हो सकता है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कारोबार उसी गति से बढ़ता रहे जैसे कि यह पिछले वर्षों से बढ़ता आ रहा है।

†**श्री ए० एम० थामस** : उससे अधिक।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : ठीक उससे अधिक। कुछ कम नहीं। किन्तु जो कुछ मैंने कहा था वह प्राईवेट क्षेत्र के अनुमान के आधार पर ही था। 'अधिक' कहने से कोई बात सिद्ध नहीं होती है।

†**श्री ए० एम० थामस** : बात यह है कि अभी तक बीमा उद्योग बहुत कम लोगों तक पहुंचा था। अब सरकार इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाना चाहती है। इसीलिये उसने इस का राष्ट्रीयकरण किया है। अतः यह स्वाभाविक है कि अब उसी ढंग पर काम नहीं किया जा सकता है जैसे कि पहले होता रहा है। अब सरकार को अधिक व्यापक लक्ष्य रखने होंगे। तभी सरकार इसके राष्ट्रीयकरण का औचित्य सिद्ध कर सकती है।

इस सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रीयकरण से कई लोग बेकार हो सकते हैं और हमारे देश में पहले ही बेकारी बढ़ रही है। पहले तो यदि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को कोई नौकरी नहीं मिलती थी तो वह किसी बीमा कम्पनी के अधीन कार्य करके अपना निर्वाह करने लगता था। किन्तु अब मुझे भय है उनमें से बहुत से लोग बेरोजगार बना दिये जायेंगे क्योंकि इस विधेयक के अन्तर्गत केवल स्थायी कर्मचारियों को ही नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या वे पूर्ण-कालिक कर्मचारी हैं ?

†**श्री ए० एम० थामस** : जी, हां। उनमें से कई पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। कई लोगों को नोटिस दे दिये गये हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब तक सरकार यह आशा नहीं कर सकती है कि यह उद्योग इतना नहीं बढ़ सकेगा कि इससे सभी वर्तमान कर्मचारियों को नौकरी दी जा सकती है तब तक सरकार को राष्ट्रीयकरण करने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिये।

फ्रांस में जहां पर जीवन बीमा के कुछ अंश का राष्ट्रीयकरण किया गया है एक राष्ट्रीय बीमा स्कूल भी खोला गया है। हमारे यहां भी बीमा निगम को ऐसा ही स्कूल चलाने का कार्य सौंपा जाना चाहिये जहां पर लोग बीमा कार्य को सीख कर इसे ठीक ढंग से चला सकें। राष्ट्रीयकरण के विरोधी कई सदस्य पहले ही बता चुके हैं कि सरकारी पोस्टल बीमा विभाग कैसे असफल सिद्ध हो रहा है। श्री ए० डी० शराफ ने फ्रांस के बीमा उद्योग का हवाला देते हुये हाल ही में बम्बई में कहा है कि यद्यपि फ्रांसीसी सरकार ने राष्ट्रीयकरण द्वारा कई अच्छी अच्छी कम्पनियां अपने हाथ में ले ली थीं किन्तु फिर भी वे गैर-सरकारी क्षेत्र के बीमा उद्योग के सामने अच्छी नहीं सिद्ध हो सकी हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

सरकार ने इस विधेयक में बीमा उद्योग के संगठन की केवल रूपरेखा ही दी है। इस बात का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि यह निगम कैसे बनेगा? इसमें कौन-कौन से हितों के व्यक्ति

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० एम० थामस]

लिये जायेंगे अथवा क्या यह वित्त मंत्रालय का ही एक विस्तार मात्र होगा। लोगों को इस सम्बन्ध में कई सन्देह हो रहे हैं। जब तक सभा को इसके गठन के बारे में पता नहीं चलता है तब तक वह उसके सुधार के विषय में कुछ नहीं कह सकती है। क्षेत्रीय बोर्डों (जोनल बोर्डस्) के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया है। इस सम्बन्ध में हमें १९५० के अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई योजना को भी बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिये क्योंकि उसके अन्तर्गत भारत में संविहित रूप से अभिस्वीकृत एक बीमा संस्था बनाने का उपबन्ध था। इस संस्था का कार्य चलाने के लिये दो परिषदें बनाई जानी थीं। एक जीबन बीमा और दूसरी सामान्य बीमा। प्रत्येक परिषद् की अपनी अपनी कार्यकारिणी समिति बनाई जानी थी। इन समितियों का कार्य बीमा आयुक्त को परामर्श आदि देना था। जिस प्रकार का प्रतिनिधान इन परिषदों में रखा जाने को था क्या वैसा ही इस निगम में भी रखा जायेगा ?

एक बार पहले जब निर्माण आवास और संभरण मंत्री को एक प्रश्न किया गया था तो उन्होंने उसका उत्तर देते हुये कहा था कि जीवन-बीमा के राष्ट्रीयकरण करने के कारण अभी आवास योजना को स्थगित कर दिया गया है। अब मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीयकरण के कारण उपलब्ध होने वाली कुछ निधि को आवास योजना के लिये भी लगाया जाय। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विधेयक में यह स्पष्टतया बताया जाय कि इस प्रकार प्राप्त होने वाली निधियों को कहां कहां लगाया जायेगा। अन्त में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह लोगों की आशाओं को पूर्ण करेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं वर्तमान विधेयक का पूरी तौर से समर्थन करता हूं और मेरे विचार से भारत की बहु संख्यक जनता का समर्थन भी इसे प्राप्त है। किन्तु दो प्रकार के लोग इसे पसन्द नहीं करते। एक तो वे लोग हैं जिनको इस राष्ट्रीयकरण से कुछ हानि हुई है और वे यह सोचते हैं कि इस व्यापार को अपने हाथ में लेने वाला निगम इस व्यापार को अच्छी प्रकार नहीं चला पायेगा, जैसा कि वे साधारणतया सोचते हैं कि राज्य द्वारा चलाये गये व्यवसाय ने अब तक कोई समाधानकारक परिणाम नहीं दिखाये हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो राष्ट्रीयकरण में विश्वास तो करते हैं किन्तु जिन्हें सरकार या निगम की क्षमता में विश्वास नहीं है। वे यह सोचते हैं कि निगम को ऐसे काम का कोई अनुभव नहीं है और वह उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहेगा। किन्तु मेरे विचार से इस कार्यवाही से राज्य नीति का एक निदेशक तत्व कार्यान्वित किया गया है। यह एक आर्थिक शक्ति है। अब तक यह आर्थिक शक्ति गैर सरकारी क्षेत्र के हाथ में थी। उसने अपने लाभ के लिये बचनों का उपयोग किया है। अतः सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत कर एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इस विधेयक का पहला उद्देश्य यह है कि जीवन बीमा रक्षण के विषय में बीमाधारी को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जाये। मेरे विचार से यही महत्व की चीज है। जीवन बीमा व्यवसाय अन्य कारबार की तरह नहीं है जिसका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है। अतः यही उचित है कि वह सरकार के अधीन हो। अभी भी कुछ लोगों को आशंका है कि राष्ट्रीयकरण से सर्वत्र नौकरशाही बढ़ जायेगी। मेरे विचार से राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है किन्तु आजकल सरकारी प्रणाली इस प्रकार बनी हुई है कि हमें भी कभी कभी यह संदेह होता है कि वास्तव में क्या ऐसे विधेयकों स लोगों को लाभ होगा और क्या सरकार या निगम उन्हें उचित प्रकार से कार्यान्वित कर सकेगी।

हमें बताया गया है कि निगम में पन्द्रह से अधिक सदस्य न होंगे किन्तु विधेयक में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सदस्यों की क्या योग्यतायें होंगी अथवा किन अर्हताओं के कारण कोई व्यक्ति सदस्य न बनाया जा सकेगा। विधेयक में यह एक बहुत अच्छा उपबन्ध रखा गया है कि निगम का सदस्य बनने वाले किसी व्यक्ति का बीमा कंपनियों में कोई वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं रहेगा, अन्यथा वह सदस्य बनने का अधिकारी नहीं होगा। इसके लिये सरकार को सदा जागरूक रहकर यह देखना होगा कि क्या

†मूल अंग्रेजी में

निगम के सदस्यों का निगम के अधीन लिये जाने वाले किसी व्यापार में कोई व्यक्तिगत हित तो नहीं है ।

उसके अलावा विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे यह दिखायी पड़े कि कौन लोग सदस्य बनने के योग्य होंगे और सरकार इस निगम के लिये किन व्यक्तियों का नाम निर्देश करेगी । इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को आशंका है कि प्रशासनिक यंत्रप्रणाली में काम करने वाले पदाधिकारी यहां रख दिये जायेंगे और वे ही निगम के भारसाधक होंगे । मेरी धारणा है कि इस जैसे काम में नौकरशाही तरीके अधिक लाभदायक सिद्ध न होंगे । इस विधेयक के विरोधी कुछ सदस्यों ने भी यह कहा है कि इस व्यवसाय के विभागीकरण या नौकरशाही से निगम सफलतापूर्वक काम न कर सकेगा । श्री ए० डी० श्राफ ने भी अपने भाषण में इसी प्रकार की बातें कहीं हैं । मैं खासकर यही बात बताना चाहता हूं कि लोगों को यह संदेह है कि इस निगम में बीमा कारबार चलाने की क्षमता का अभाव होगा । उससे व्यापार को नुकसान होगा । इस समय जब कि सरकार बीमा-व्यापार अपने हाथ में ले रही है हमें उन सज्जनों के प्रति आभारी होना चाहिये जिन्होंने बीमे के क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य किया है और उसे एक दृढ़ संगठन का रूप दिया है ।

मैं यहां और एक बात पर जोर देना चाहता हूं । उन कुछ लोगों ने जो राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे नहीं हैं, यह कहा है कि गैर सरकारी क्षेत्र के साथ साथ यदि सरकार बीमा व्यवसाय में भाग लेती, तो कुछ स्पर्धा होती और उसके फलस्वरूप प्रत्येक को अधिक काम करने का प्रोत्साहन मिलता । यदि सरकार के साथ गैर सरकारी क्षेत्र को भी कारबार करने दिया जाता तो उससे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में सरकार पर नियंत्रण रहता जो देश की बीमा कम्पनियों के लिये अपेक्षित है । मैं यह नहीं जानता कि बीमे की लागत ऊंची है या नीची इसका निर्णय करने के लिये नयी कसौटियाँ क्या होंगी । जब तक स्पर्धा रहती है तब तक कोई भी एक कम्पनी के व्यापार की तुलना दूसरी कम्पनी के व्यापार से हो सकती है । किन्तु यहां एकाधिकार की स्थिति में तुलना के लिये कोई साधन नहीं हैं ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : व्यय की प्रतिशतता तो है । यदि व्यय २५ प्रतिशत के बजाय २० प्रतिशत हो जाय तो क्या आप यह न कह सकेंगे कि हम ने अधिक अच्छा काम किया है ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : किन्तु तब तो आपको अपनी सफलताओं में ही परस्पर तुलना करनी होगी । प्रारम्भ में आप यह भी कह सकते हैं कि चूंकि हम पहली बार एक नया व्यवसाय संगठित कर रहे हैं, इसलिये हम व्यय नहीं घटा सके हैं । इस तरह की बात सरकार की ओर से कही जा सकती है ।

मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं किन्तु साथ ही मेरी यह धारणा है कि गैर-सरकरी क्षेत्र को कुछ समाधान देने के हेतु यदि कुछ थोड़े समय के लिये सरकार, एकाधिकार प्राप्त करने के बजाय, गैर सरकारी क्षेत्र के साथ साथ काम करती, तो वह अधिक अच्छा होता, क्योंकि प्रत्येक समय राष्ट्रीयकरण के समर्थनों और विरोधियों में द्वन्द चलता रहता है और विरोधियों का यह कहना है कि एकाधिकार की स्थिति में, तुलना के लिये कोई पैमाना न रहेगा और प्रत्येक चीज सरकार मनमाने ढंग से तय करेगी । मेरी अपनी राय है कि यदि सरकार गैर सरकारी क्षेत्र के साथ कम से कम कुछ थोड़े समय के लिये काम करती, तो गैर सरकारी क्षेत्र शान्त हो जाता ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस विषय में कुछ नहीं बताया गया है कि निगम के १५ सदस्य किस प्रकार चुने जायेंगे, वे किन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, वे सभी सरकारी कर्मचरी होंगे या गैर सरकारी इत्यादि । माननीय वित्त मंत्री यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि निगम की रचना के बारे में उनके क्या विचार हैं और निगम में किस प्रकार के व्यक्ति नाम निर्देशित किये जायेंगे। माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीनारायण दास]

पर विचार करें कि निगम में बीमाधारियों और बाहरी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि भी हों क्योंकि उस प्रकार निगम में लोगों का अधिक विश्वास होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री ए० एम० थामस ने बताया है कि इस निगम का एक कार्य यह होना चाहिये कि वह कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे। इस राष्ट्रीयकृत व्यवसाय का एक उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमे का प्रसार हो। भारत जैसे देश में, एक केन्द्रीय कार्यालय के साथ-साथ चार प्रादेशिक कार्यालयों से कोई लाभ न होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के बीमे के प्रसार के लिये कार्यालयों की संख्या क्रमशः बढ़ायी जानी चाहिये। जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सुझाव दिया है, इस ओर भी ध्यान देना सरकार का कर्तव्य है कि यह निगम फसलों के बीमे और पशुओं के बीमे का कारबार भी शीघ्र ही अपने हाथ में ले। वह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो भारत में रहने वाले किसानों के लिये हितावह होगा। मैं भी यह सुझाव दूंगा कि इस निगम का यह एक कार्य होना चाहिये कि बाहरी कार्यकर्ताओं और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के प्रशिक्षन के लिये स्कूल चालू किये जायें ताकि इस सेवा के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारी मिलें।

यह समाधान का विषय है कि राष्ट्रीयकरण से बीमाधारियों को अधिक सुरक्षा दी जा रही है किन्तु दावों के मामलों के सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि निगम और बीमाधारियों के बीच कोई विवाद अच्छी प्रकार न तय किया जा सके तो वह विवाद निर्णय के लिये एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिये।

खंड १८ में कहा गया है कि यह निगम केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अन्तर्गत काम करेगा। मैं इस उपबन्ध का विरोध नहीं करता किन्तु यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि इन सरकारी निदेशों से व्यापार के प्रबन्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो। अतः इस आशय के संरक्षण दिये जाने चाहिये कि केवल नीति के मामलों में ही निदेश दिये जायेंगे और कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

प्रधान कार्यालय के विषय में यह कहा गया है कि सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकी है कि वह कहां स्थापित किया जायेगा और इसलिये वह वहीं स्थापित किया जायेगा जहांके लिये वह निश्चय करेगी। मैं नहीं जानता कि इस आशय का उपबन्ध यहां क्यों नहीं रखा गया। वह दिल्ली में भी स्थापित किया जा सकता है किन्तु मेरा यह सुझाव है कि वह इस राजधानी के नौकरशाही वातावरण से कहीं दूर किसी मध्य स्थान में स्थापित किया जाना चाहिये।

खंड २२ में, निगम के लेखाओं और हिसाब किताब की लेखापरीक्षा के लिये उपबन्ध है। इस विषय में मैं यह सुझाव दूंगा कि अन्य निगमों की तरह यहां भी लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से नियुक्त किये जायें। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि नियमों का विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाना चाहिये और उनमें संसद् द्वारा परिवर्तन किये जाने के बाद ही वे लागू किये जाने चाहियें। मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार को प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर सदस्यों के विचारार्थ लोक-सभा के पटल पर रखा जाना चाहिये।

माननीय मंत्री ने कहा है कि पूरे समय के सभी कर्मचारी निगम द्वारा कायम रखे जायेंगे। मेरा इस विषय में यह कहना है कि उन बाहरी कार्यकर्ताओं को भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते रहे हैं और जिन्हें कुछ अनुभव भी प्राप्त है, नहीं हटाया जाना चाहिये और उन्हें अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा प्रकट करता हूं कि यह अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण में सहायक सिद्ध होगा।

**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य) : सभानेत्री महोदया, इस इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में जो मेरे विचार हैं वह तो मैं पहले ही बता चुका हूं। पहले जब बात हुई थी उस समय मैं कह चुका हूं कि मेरी राय है कि राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद यदि उस में काम करने वाले कुछ गलती भी करें तो भी मैं राष्ट्रीयकरण से सहमत हूं। और जरूर यह राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, क्योंकि इससे बहुत कुछ लाभ है। जो पैसे आयेंगे वे देश के असली काम में लगेंगे। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि जब लोगों को यह मालूम हुआ कि राष्ट्रीयकरण होने जा रहा है उस समय उन्होंने जैसा उत्साह दिखलाया वैसा उत्साह राष्ट्रीयकरण होने के बाद आरम्भ में हीं दिखलाया, अर्थात् विशेष बिजिनेस नहीं आया, यह हतोत्साहित करने वाली बात थी। परन्तु आगे चल कर उन्होंने कहा कि इस समय वह बहुत ही उत्साहजनक है। गत वर्ष इन महीनों में जितना काम मिला, इस वर्ष इन महीनों में उससे अधिक काम मिला। यह सचमुच बहुत ही उत्साहजनक बात है। मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार दिन पर दिन काम बढ़ता जायेगा। परंन्तु मुझे एक सन्देह है और मैं चाहता हूं कि वह सन्देह गलत निकले। यह जो इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण होने जा रहा है उसका काम जिस प्रकार वित्त मंत्री जी ने बतलाया कि इन दो तीन महीनों में बढ़ा है गत वर्ष से, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि उसका काम बराबर बढ़ता जाय। मेरा सन्देह यह है और इसके लिये मैंने उपाय भी बतलाया था। मैं कोई प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) का हिमायती नहीं हूं। मैं राष्ट्रीयकरण का हिमायती हूं लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि काम अच्छी तरह से चले। इस चीज को दृष्टि में रखकर मैंने उस समय कहा था कि यदि इसके साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर भी रखा जाय और वह भी अपना काम करता जाय तो इससे एक प्रकार का हैल्दी कम्पिटीशन (स्वस्थ स्पर्धा) होता है और काम अच्छी तरह से चलता है और सभी लोग यह जान सकते हैं कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ है और उसके नतीजे के तौर पर जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट काम कर रहा है वह ठीक तरह से कर रहा है। इसका जवाब देते हुये हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि प्राइवेट सैक्टर के साथ जो बुराइयां हैं उनके रहते हुये जो हमारा कारपोरेशन है वह उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकेगा। उस समय से मैं यह सोच रहा हूं कि इसका क्या हल है। पहली बार जब एमरजेंसी प्राविजंस बिल (आपात उपबन्ध विधेयक) आया था उस वक्त भी वित्त मंत्री जी ने जवाब देते हुये यह कहा था कि प्राइवेट सैक्टर में जो बुराई है वह जारी रहेगी। श्री वेंकटरामन् ने भी यही बात कही है। आज भी वित्त मंत्री जी ने यही बात दोहराई है। क्या यह ऐसी बुराई है कि जो कंट्रोल के जरिये खत्म नहीं हो सकती है, यह बात मैं सोच रहा था। मैं एक बार फिर यह कहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर को रहने देना हमारी कारपोरेशन के हित में ही होगा। जब किसी चीज का राष्ट्रीयकरण होता है, तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि उसमें जो सरकारी अफसर काम करने वाले होते हैं उनमें सेवा की भावना नहीं होती है। यही हालत इनकी पहले थी और आज जब हम आजाद हो गये हैं फिर भी इनकी यही हालत है। वे सेवा की भावना से कोई काम नहीं करते हैं। वे काम हुकूमत करने की भावना से करते हैं। इसके विपरीत जो व्यापारी होते हैं, जो प्राइवेट कम्पनी वाले होते हैं वे सेवा की भावना से काम करते हैं। इस वास्ते प्राइवेट सैक्टर चाहे वह सेवा की भावना से काम करे चाहे किसी और भावना से काम करे, जब तक हम उसकी ओर नहीं देखेंगे और उसके साथ कम्पीट करने की कोशिश नहीं करेंगे और उनसे बैटर सर्विस (अच्छी सेवा) मुहैय्या करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे और हम को उस काम में लाभ मिलने की आशा नहीं हो सकेगी।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जरा भी उनका काम नीचे जाता है तो वे उसके कारणों की खोज करना शुरू कर देते हैं। वे इस बात का पता लगाने का पूरा प्रयत्न करते हैं कि इस कमी की वजह क्या है और क्यों काम कम आने लग गया है। जब उनको इस कमी का पता लग जाता है तो वे इसको सुधारने की कोशिश करते हैं और सुधार भी लेते हैं। हमारी सरकार का काम जो होता है वह कुछ इस किस्म का होता है कि यदि उसमें कोई

[श्री झुनझुनवाला]

त्रुटि रह गई तो बजाय इसके कि उसकी जांच की जाय और उसको दूर करने की कोशिश की जाय, वे उसका जवाब सोचना शुरू कर देते हैं और कोई एक्सक्यूज (बहाने) ढूंढने लग जाते हैं। इतना करके ही वे कह देते हैं कि उनका जो काम है वह खत्म हो गया। यह जो दो त्रुटियां मैंने अभी बतलाई हैं यह किसी चीज के राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद पाई जाती हैं। जो मैलप्रेक्टिसिस (कदाचार) हैं उनको मैं छोड़ देता हूं। उनको बतलाने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यह जो त्रुटियां मैंने बतलाई हैं उनमें बहुत अड़चनें पड़ती हैं। इस वास्ते मैं कहता हूं कि यदि प्राइवेट सैक्टर भी रहे और कम्पीटीशन की भावना बनी रहे तो अच्छा है। मैं विदेशों के उदाहरण देना नहीं चाहता। अभी अशोक मेहता जी ने आपको बतलाया कि फ्रांस में प्राइवेट सैक्टर ने अच्छी उन्नति दिखायी है। अन्य देशों की मिसालें भी उन्होंने दीं। मगर वहां की क्या स्थिति है इसको मैं नहीं जानता हूं। मुझे तो जो थोड़ा बहुत पब्लिक सैक्टर में काम करने वालों का ज्ञान है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह राष्ट्रीयकरण के हित में ही होगा कि प्राइवेट सैक्टर को रखा जाय।

आपने जो प्राइवेट सैक्टर में बुराइयां हैं जो कि आपके ख्याल में दूर नहीं हो सकती हैं और जिनके होते हुये आप उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं इनको भी मैं थोड़ा बहुत समझता हूं। मैं तो इस बिल में कोई प्राविजन शामिल किये जाने के हक में हूं, जोकि अभी तक शामिल नहीं की गई है जिससे कि गवर्नमेंट को यह अधिकार हो कि अगर सरकार के डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी खबर आवे कि कोई प्राइवेट सैक्टर या कोई फर्म गलत काम कर रही है तो वह उसको तुरन्त अपने हाथ में ले ले। इस तरह की कोई सेफगार्ड (संरक्षण) रखकर इस बिल में यह प्राविजन (उपबन्ध) की जानी चाहिये कि प्राइवेट सैक्टर भी बना रहे। यह चीज नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) के हक में होगी।

अब मैं सैक्शन १० पर आता हूं जिसमें एम्पलायीज़ (कर्मचारियों) का ज़िक्र किया गया है। हमारे भाई ठाकुर दास जी ने इसके बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें बतलाई हैं। सरकार ने इस क्लाज (खंड) को बहुत बुद्धिमानी से रखा है। पहले तो उसने यह कहा है कि जो भी एम्प्लायी होगा उसको नहीं निकाला जायगा और उसकी सर्विस पूरी तरह से सेफ है। उसके बाद यह कह दिया गया है कि सैंट्रल गवर्नमेंट या जो यह कारपोरेशन है यह देखेगी कि यदि किसी खास आदमी की आवश्यकता नहीं है तो उसकी सर्विस को टर्मिनेट (समाप्त) किया जाये। इसके अलावा सरकार कहती है कि साहब हम सब को रखेंगे, सभी की नौकरी कायम रहेगी लेकिन जब हम चाहेंगे उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी टर्म्स और कंडीशन्स (निबन्धन तथा शर्तें) वही रहेंगी। आगे चलकर कहा जाता है कि अगर रेशनलाइजेशन (वैज्ञानिकन) के ख्याल से सरकार यह समझे कि उनके वेतन में कमी होनी चाहिये या उनकी किसी शर्त को तबदील करना चाहिये तो वह ऐसा कर सकेगी। इसको मैं नहीं समझता। आरम्भ में तो कहा गया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा और आगे यह कहा जाता है। इसका क्या अर्थ होता है? इस सम्बन्ध में कुछ एम्प्लाईज (नियोजक) हमारे पास आये। उनके मन में बड़ा डर पैदा हो गया है। हमारे शाह साहब कहते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें यह लिख दिया जाये कि जिनका वेतन इतने रुपये तक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ऊपर का जो स्टाफ है जिनको बहुत भारी तलब मिलती है उनको यदि हटा दिया जाय तो कोई खराब बात नहीं होगी, किन्तु जिन बेचारों का वेतन दो सौ, चार सौ, या पांच सौ रुपये तक है उनके वेतन में यदि कमी कर दी जायेगी तो उनके ऊपर बड़ा भारी आघात होगा।

दूसरी बात हमारे भाई थामस साहब ने कही कि आज कल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बड़ी बेकारी फैल रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब से कंट्रोल लागू किये गये तब से व्यापारी वर्ग में भी बहुत से लोग बेकार हो गये हैं। पहले बहुत से व्यापारी वर्ग के लोग जिनको और कोई

काम नहीं मिलता था वे बीमे का काम कर लिया करते थे। पहले वे कम्पनी के पास नहीं जाते थे बल्कि वे कुछ लोगों के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि यदि आप हमारी कुछ मदद कर दें और हमको कुछ काम दें तो हमारी गुजर हो जायेगी। अगर उनको लोग काम देने को तैयार हो जाते थे तो वे बीमे का काम शुरू कर देते थे और उनका निर्वाह चलता था। मैं ऐसे बहुत से आदमियों को जानता हूं। ऐसे लोगों को प्राइवेट कम्पनियों के पास जाने में कठिनाई नहीं होती थी। परन्तु अब यह जो कारपोरेशन बन जायेगा उसके पास इन लोगों को जाने में दिक्कत होगी। यह ठीक है कि यह कारपोरेशन सरकारी मुहकमा नहीं होगा लेकिन उसके एम्प्लाई अपने को सरकारी आदमी ही समझेंगे और उनके पास जो प्राइवेट आदमी जावेगा उसको काम करने में दिक्कत ही होगी चाहे उसका काम कम्पनी या कारपोरेशन के फायदे के लिये ही क्यों न हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मिडिल क्लास मैन (मध्य वर्गीय लोग) बीमा करवाते हैं उनको बीच बीच में रुपये की जरूरत पड़ जाती है। इसी प्रकार की जरूरत बीच में देहात वालों को भी होगी। मालूम नहीं कि जब यह मुहकमा सरकारी हो जायेगा तो लोगों को इस प्रकार की सहूलियत कहां तक दी जा सकेगी। इसमें हमको कुछ सन्देह मालूम होता है।

इसके अलावा जो कारपोरेशन बनेगा उसमें कौन लोग लिये जायेंगे इसका भी कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिये। जैसा अभी हमारे दिल्ली के भाई ने कहा था कि अगर यह सरकारी मुहकमा हो गया तो इसमें फील्ड वर्कर्स की बात की ज्यादा कदर नहीं की जायेगी चाहे उनकी बाद फायदेमन्द ही क्यों न हो। वहां तो जो अफसर कह देंगे वह ठीक माना जायेगा। लेकिन बीमे में असली काम करने वाले फील्ड वर्कर ही होते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह स्पष्टीकरण हो जाता तो ठीक होता कि इस कारपोरेशन में कौन कौन लिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं भी अपने उन दोस्तों की आवाज में अपनी आवाज मिला देना चाहता हूं जिन्होंने कि कहा है कि इस कारपोरेशन में पालिसी होल्डर्स के प्रतिनिधि हों, फील्ड वर्कर्स के भी प्रतिनिधि हों और एम्प्लाईज़ के भी प्रतिनिधि हों।

फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह बतलाया कि जो फारेन कम्पनीज (विदेशी समवाय) हैं और जिन फारेनर्स (विदेशियों) ने पालिसीज़ ली हैं उनका फंड यहां से वहां चला जाये। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह चला जाना चाहिये। परन्तु इसी प्रकार हमारे देश के जिन लोगों ने विदेशों में बीमा कराया है उनका फंड यहां लाने का भी कोई प्रावीजन अगर हो सकता हो तो किया जाना चाहिये। आप जिस प्रकार फारेनर्स को अपना फंड यहां से ले जाने की इजाजत देते हैं उसी प्रकार हमारे लोगों का फंड भी यहां लाया जाना चाहिये।

यह राष्ट्रीयकरण खास कर इसलिये किया गया है कि इसके द्वारा हमको अपनी सैकिंड फाइव इअर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) के लिये रुपया मिल सके। और उसको हम जहां चाहें वहां लगा सकें। यह ठीक है कि जो प्लान गवर्नमेंट ने अपने सामने रखा है उसमें अपने दृष्टिकोण के अनुसार रुपया लगावे। परन्तु यदि इसका भी इसमें थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण कर दिया जाता तो अच्छा रहता।

प्राइवेट सैक्टर वाले भी और बहुत सी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज (छोटे पैमाने का उद्योग) भी अच्छा काम कर रही हैं उनको भी इसमें कुछ सहायता मिलेगी या नहीं यह इससे नहीं मालूम होता। इसका भी कुछ स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

हम अब देहातों से रुपया उठायेंगे। अगर उस रुपये से वहां कुछ काम किया जायेगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो रुपया वह बचा कर जमा करते हैं उसमें उनका किस तरह से लाभ होता है और उनको और रुपया जमा कराने का उत्साह पैदा होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस रुपये को वहां लगाना चाहिये ताकि लोगों को मालूम हो कि उनको किस प्रकार अपने रुपये से तत्काल लाभ होता है। ऐसा करने से उनमें आगे के लिये रुपया बचाने की प्रवृत्ति पैदा होगी।

[श्री झुनझुनवाला]

दूसरी बात मुझे सेक्शन ३४ के बारे में कहनी है। इसमें यह लिखा है : "केन्द्रीय सरकार, राजकीय सूचनापत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि बीमा अधिनियम में स्थित सभी अथवा कोई उपबन्ध, ऐसी शर्तों अथवा परिवर्त्तनों के अधीन जो अधिसूचनामें उल्लिखित हों, निगम पर लागू होंगे; किन्तु उपरोक्त के सिवा उस अधिनियम की कोई बात निगम पर लागू नहीं होगी।"

यह ठीक है कि सरकार को इस तरह का अख्तियार होना चाहिये परन्तु कुछ बातों का इस बारेमें सुझाव जरूर दिया जाना चाहिये क्योंकि यह मामला सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में जायेगा और सिलेक्ट कमेटी को कुछ मालूम होना चाहिये। कम से कम थोड़े से सेक्शन जो कि बहुत जरूरी हैं उनको तो इसमें बतला देना चाहिये कि यह चीज हम एप्लाई (लागू) करेंगे जिससे कि लोगों को विश्वास हो कि हां साहब इसके बारे में राष्ट्रीयकरण हुआ है। इन बातों को सामने रखते हुये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा।

†**श्री सी० आर० अय्यूणि :** विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में तीन उद्देश्य दिये गये हैं पहले और तीसरे उद्देश्यों के बारे में कोई शिकायत नहीं है किन्तु दूसरे उद्देश्य के विषय में मुझे कुछ शंकायें हैं। यह कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा पहुंचाना संभव होना चाहिये। किन्तु मेरा अनुभव यह है कि जब सरकार किसी चीज को अपने हाथ में ले लेती है वह अपने कर्मचारियों पर इस सम्बन्ध में कोई नियंत्रण नहीं रख पाती कि वे सामान्य जनता से उचित ढंग से और सभ्यतापूर्ण व्यवहार करें। यदि देश की जनता का यह अनुभव है, तो मुझे पक्का विश्वस है कि सरकार विवरण में उल्लिखित उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेगी।

बीमा कम्पनियाँ वेतन और कमीशन के आधार पर एजेन्टों को नियुक्त करती थीं। मैं नहीं जानता कि अब यह प्रथा जारी रखी जायेगी अथवा नहीं। यदि बीमा विभाग के कर्मचारियों को कमीशन न दिया गया तो निश्चय ही काम कम हो जायेगा। यह ठीक है कि नवीन दशाओं में भी पालिसी रखने वालों को रुपया मिलेगा किन्तु उसमें भी कठिनाई है। कुछ बीमा कम्पनियों के मामले में, किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को उन कंपनियों से रकम प्राप्त करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। यदि वह सरकार के हाथ में हो और यदि सरकारी कर्मचारी सहृदय न हों तो प्रत्येक बीमाधारी को अपना रुपया पाने के लिये विधि-न्यायालय में जाना पड़ेगा। यदि वह अनिवार्य बीमे का प्रश्न हो तब तो मामला बहुत आसान होता है किन्तु जीवन बीमा के विषय में, सारी बात बिलकुल अलग है। इसलिये मेरा केवल यही निवेदन है कि कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि वह बड़े अच्छे ढंग से सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यवहार कर सकें और उनके जीवन का बीमा कर सकें। यदि बीमा विभाग इस प्रकार की प्रक्रिया न अपनाये तो प्रारम्भ में तो राष्ट्रीयकरण के उत्साह में लोग कुछ थोड़ा-सा बीमा करा लें किन्तु कुछ समय बाद ऐसी स्थिति नहीं रहेगी।

दूसरी बात मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि खंड १० बिलकुल न्यायोचित नहीं है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य एक बीमा कम्पनी चला रहा है और उसने कुछ कर्मचारी नियुक्त किये हैं। किन्तु यह मालूम नहीं कि वे खंड १० के उपबन्धों से शासित होंगे अथवा नहीं। खंड १० में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अन्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों के बराबर नहीं समझा जायेगा। मैं नहीं जानता कि "सरकार" की क्या परिभाषा है और क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार भी सम्मिलित की जायेगी। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर प्रकाश डाला जाये। मैं जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी बीमा व्यवसाय और सरकारी बीमा-व्यवसाय के कर्मचारियों में क्यों भेदभाव किया गया है। आशा है कि वित्त मंत्री इस बात को भी स्पष्ट करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

आगे खंड १० के उपखंड (२) में कहा गया है कि वेतनक्रमों के वैज्ञानिकन के लिये, किसी भी कर्मचारी का, वेतन कम किया जा सकता है और यदि कर्मचारी उससे सहमत न हो तो उसे तीन महीने का पारिश्रमिक देकर हटाया जा सकता है। मुझे यह उचित नहीं मालूम होता। मेरे विचार से सेवा के वर्षों की संख्या पर निर्भर एक क्रम होना चाहिये जैसे पांच वर्षों की सेवा पर तीन महीने का पारिश्रमिक, दस वर्ष की सेवा पर छः महीने का और पन्द्रह वर्ष की सेवा पर नौ महीने का पारिश्रमिक इत्यादि। अन्यथा इस उपबन्ध से गरीब कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होगी। मैं यह भली भांति समझता हूं कि इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि उन लोगों को सही रास्ते पर लाया जाये जिन्हें प्रबन्धकों के लड़के-दामाद होने के नाते बहुत बड़ी बड़ी धनराशियां दी जायेंगी किन्तु साथ ही यदि वैज्ञानिकन के नाम पर अन्य लोगों के लिये यह उपबन्ध लागू किया गया तो वह ठीक नहीं होगा।

हम देखते हैं कि इस विधेयक में "पूरे समय के कर्मचारी" शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोई कर्मचारी पूरे समय का कर्मचारी है या नहीं इसका अंतिम निर्णय केन्द्रीय सरकार के हाथ में होगा। मेरा निवेदन है कि वह शक्ति न्यायाधिकरण को दी जानी चाहिये।

आगे यह बताया गया है कि निगम के १५ सदस्य होंगे और पांच व्यक्तियों की, जिनमें मनेजिंग डायरेक्टर और ज़ोनल मैनेजर होंगे, एक कार्यकारिणी समिति बनायी जा रही है। इन समितियों और पदाधिकारियों में वास्तव में अन्तर क्या है? इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे यह मालूम हो सके कि उनके क्या कार्य हैं और उनकी शक्तियां क्या हैं। हमें कोई कल्पना नहीं है कि किन व्यक्तियों को चुना जायेगा। संभवतः माननीय मंत्री यह चाहते थे कि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई न हो और इसलिये उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि निगम में १५ सदस्य होंगे।

त्रावनकोर-कोचीन में बीमा-व्यवसाय के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इस बात की काफी शिकायत है कि प्रत्येक जगह एक प्रकार की नौकरशाही पद्धति अपनायी जा रही है। सरकार जब व्यापार अपने हाथ में ले लेती है, तब सरकार के पदाधिकारी या कर्मचारी यह समझने लगते हैं कि वे जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं और जनता के साथ सभ्यतापूर्ण व्यवहार आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि जहां तक संभव हो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि उसके पदाधिकारी जनता से उचित प्रकार का व्यवहार करें जिससे कि सद्भावना पैदा करने में सहायता मिल सके।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** (अम्बड़) : जिन मित्रों ने इस विधेयक का पूरी तौर से समर्थन किया है, मैं भी उनका साथ देता हूं। साधारण आदमी या मध्यमवर्ग के लोगों के लिये अपनी-अपनी छोटी बचतें इकट्ठा करने के लिये बीमे के सिवा और कोई दूसरा जरिया नहीं है। बीमे से रुपया बचाने में उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो यह कि वह बीमे की बचत को सुरक्षित समझता है ताकि बुढ़ापे में या घरेलू आवश्यकता के समय, उसकी पालिसी पूरी हो जाने पर उसे उचित धन मिल सकता है। दूसरा यह कि अपने जीवन का बीमा करवाकर उसे यह विश्वास हो जाता है कि किसी दुर्घटना से या समय से पहले मौत हो जाने पर उसके परिवार को कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी। इस आशय से की गई बचत का स्थान देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बचत का बीमा कम्पनियों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। किन्तु वर्तमान घटनाओं से और माननीय वित्त मंत्री के भाषण से हमें ज्ञात हुआ है कि साधारण आदमी के विश्वास का दुरुपयोग किया गया है। जब कभी वह किसी कम्पनी में बीमा कराता है, वह उस कम्पनी में विश्वास करता है और जब उसे यह मालूम होता है कि उसकी बचत सुरक्षित नहीं है, तब सिवा पश्चाताप करने के उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं रह जाता और उस पश्चाताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिये मैं सरकार को बधाई देता हूं कि बीमा व्यापार का राष्ट्रीय-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एच० जी० वैष्णव]

करण कर साधारण व्यक्ति की बचतों को सुरक्षित किया गया है। उसकी ये छोटी बचतें दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास योजनाओं के लिये काम में लायी जायेंगी। इस प्रकार यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और सभी क्षेत्रों से इसे समर्थन प्राप्त हुआ है।

यहां मैं इस विधेयक के कुछ दोषों का उल्लेख भी करना चाहता हूं और मेरी राय में प्रवर समिति को उन पर विचार करना चाहिये। सर्वप्रथम, खंड १० बीमा कंपनियों के विद्यमान कर्मचारियों की सेवायें निगम को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में है। जहां तक उपखंड (१) का सम्बन्ध है, सभी उसकी प्रशंसा करेंगे किन्तु उपखंड (१) में जो कुछ दिया गया है, वह उपखंड (२) से छीन लिया गया मालूम होता है। इस प्रकार उपखंड (१) द्वारा दिया गया आश्वासन उपखंड (२) के उपबन्धों से, जिसमें यह कहा गया है कि निगम विभिन्न कंपनियों के हितों पर विचार करेगा और छंटनी की आवश्यकता पड़ने पर, उस विशिष्ट कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर विचार करके ही वह कुछ कर्मचारियों अथवा व्यक्तियों को कम कर सकता है, छीन लिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २० मार्च, ११५६ के साढ़े दस बजे तक क लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

## [ सोमवार, १९ मार्च, १९५६ ]

पृष्ठ

**आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भद खुल जाना** १२१७–१८

अध्यक्ष ने आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने की जांच पड़ताल के बारे में प्रक्रिया के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दिया; यह प्रश्न ६ मार्च, १९५६ को डा० लंका सुन्दरम् द्वारा उठाया गया था और उस समय अध्यक्ष ने अपना विनिश्चय नहीं दिया था ।

**विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति** १२१८

सचिव ने लोक-सभा को बताया कि १३ मार्च, १९५६ को राष्ट्रपति ने विधि-जीवी परिषद् (राज्यों की विधियों का मान्यीकरण) विधेयक १९५६ पर अपनी अनुमति दी है जो कि संसद् के सदनों ने चालू सत्र में पारित किया था ।

**राज्य-सभा से संदेश** ... १२१८

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सात संदेशों की सूचना दी —

(१) कि लोक-सभा द्वारा ३ मार्च, १९५६ को पारित जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने १५ मार्च, १९५६ की अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर, जैसा कि प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से मालूम होता है, कोई भी सिफारिश नहीं करनी है : —

(एक) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६, जो १३ मार्च, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(दो) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५६, जो १३ मार्च, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(तीन) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५६, जो १४ मार्च, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(चार) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५६, जो १३ मार्च, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(पांच) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५६, जो १३ मार्च, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(छः) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५६, जो १३ मार्च, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

पृष्ठ

**प्राक्कलन समिति** ... ... १२१८

बाईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

**अनुपस्थिति की अनुमति** ... ... ... ... १२१९

दस सदस्यों को लोक-सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई और तीन सदस्यों की अनुपस्थिति को माफ किया गया ।

**विधेयक-विचाराधीन** ... ... ... १२१९–७०

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) ने जीवन बीमा निगम विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**मंगलवार, २० मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि––**

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) द्वारा वक्तव्य, जीवन बीमा निगम विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के सम्बन्ध में चर्चा ।

---

M98LSD—16-10-57—190—GIPF